C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol.VI, Third Session, 2014/1936 (Saka)
No.19, Thursday, December 18, 2014/Agrahayana 27, 1936 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question No.361 to 364	4-55
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.365-380	56-100
Unstarred Question Nos.4141 to 4370	101-523

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

FELICITATION BY THE SPEAKER 524
Congratulations to Indian scientists
on successful launch of GSLV MK-III
from Sriharikota

PAPERS LAID ON THE TABLE 525-540

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE 541
11th to 13th Reports

COMMITTEE ON ETHICS 542
1st Report

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE 542
Minutes

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE 542
1st to 3rd Reports

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS
(i) 1st to 3rd Reports 543
(ii) Statements 543-544

STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT 544
1st to 3rd Reports

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS 545
3rd Report

STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS 545
181st Report

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 9 DATED 24.11.2014 REGARDING RESERVATION FOR WOMEN JUDGES ALONGWITH REASONS FOR DELAY
Shri D.V. Sadananda Gowda 546

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 29th Report of the Standing Committee on Energy on 'Availablity of identified Non-conventional Resources of Energy-their potential vis-à-vis Utilization', pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy

Shri Piyush Goyal 547

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE 548-566

Situation arising out of hike in Prices of Life Saving Drugs and Prevalence of Spurious Drugs resulting in serious health hazard

Shrimati Ranjeet Ranjan 548
551-555

Shri Ananth Kumar 548-550,
561-566

Kumari Sushmita Dev 555-557

Shri Feroze Varun Gandhi 557-561

Shri Jagat Prakash Nadda 565-566

GOVERNMENT BILLS- Introduced

(i) Lokpal and Lokayuktas and other Related Law (Amendment) Bill, 2014 568

(ii) Regional Rural Banks (Amendment) Bill, 2014 569

MATTERS UNDER RULE 377 570-584

(i) Need to include people belonging to Musahar Scheduled Caste community in the list of Scheduled Tribes

Dr. Mahendra Nath Pandey 570-571

(ii) Need to set up a laboratory at B.J. Medical College, Ahmedabad, Gujarat on the lines of National Institute of Virology, Pune

Shri Naranbhai Kachhadia 571-572

(iii) Need to include people belonging to Scheduled Caste Bengali community living in Uttarakhand and Uttar Pradesh in the list of Scheduled Castes

Shri Bhagat Singh Koshyari 573

(iv) Need to extend Train No. 64904 running between Delhi and Mathura upto Bharatpur, Rajasthan

Shri Bahadur Singh Koli 574

(v) Need to take adequate measures for socio-economic welfare of differently-abled persons in the country

Shri Maheish Girri 575

(vi) Need to ensure equal educational standards in all the schools and colleges in the country

Dr. Satyapal Singh 575-576

(vii) Need to construct an approach road to Swarnagiri Fort in Jalore District, Rajasthan

Shri Devji M. Patel 577

(viii) Need to inter-link Palar and Pennaiyar rivers in Tamil Nadu

Shri B. Senguttuvan 578

(ix) Need to provide funds for repair and maintenance of roads constructed under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Krishnanagar Parliamentary Constituency, West Bengal

Shri Tapas Paul 579

(x) Need to address the problems of jute sector in the country

Dr. Ratna De (Nag) 580

(xi) Need to accord approval to the proposal of Government of Maharashtra for setting up of a 300-bed Super Speciality Hospital at Sambhaji Nagar in Aurangabad Parliamentary Constituency

Shri Chandrakant B. Khaire 581

(xii) Need to construct an over-bridge or under-pass on Gehri Mandi Jandiala Guru level-crossing in Khadoor Sahib Parliamentary Constituency, Punjab

Shri Ranjit Singh Brahmpura 582

(xiii) Need to provide adequate power supply in Dhaurahra Parliamentary Constituency in UP

Shrimati Rekha Verma 583

(xiv) Need to provide reservation in jobs, promotions and educational institutions to people belonging to Other Backward Classes and also set up a separate Ministry to look into the issues pertaining to them

Shri Nana Patole 584

MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL, 2014 585-621

Shrimati Anupriya Patel 585-587

Shrimati Meenakshi Lekhi 588-590

Shri N. K. Premchandran	591-593
Shri Prahlad Singh Patel	594-595
Shri Rajesh Rajan	596-597
Shri Nana Patole	598
Shri Dushyant Chautala	599-600
Shri Parvesh Sahib Singh Verma	601-603
Shrimati Ranjeet Ranjan	604-605
Shri Anil Shirole	606
Shri P.P. Chaudhary	607
Shri Nitin Gadkari	608-621
Clauses 2 to 5 and 1	621
Motion to Pass	621
DISCUSSION UNDER RULE 193	622-665
Reported dilution of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme	
Shri Prahlad Singh Patel	622-625
Dr. Shrikant Eknath Shinde	626-628
Shri Kadiyam Srihari	629-632
Shri Dhananjay Mahadik	633-635
Shri Prahlad joshi	636-639
Shri Rajeev Satav	640-642
Shri Rajesh Ranjan	643-646
Shri Dharam Vira Gandhi	647-648
Shri E.T. Mohammad Basheer	649-651
Shri Hukum Singh	652-653
Shri C.N. Jayadevan	654-656
Shrimati Anupriya Patel	657-658
Col. Sonaram Chaudhary	659-661
Shri S. Rajendran	662-664

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 704

Member-wise Index to Unstarred Questions 705-709

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 710

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 711

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Prahlad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, December 18, 2014/Agrahayana 27, 1936 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, मैं आपकी परमिशन लेकर अपनी बात रखना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : आप प्रश्न काल के बाद बोलिएगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : दूबे साहब, अगर आप मेरी जगह होते तो मुझ से ज्यादा आप बोलते। लेकिन बदकिस्मती से आपको चांस भी नहीं मिल रहा है।

महोदया, सदन में दो-तीन बिल लाए गए हैं, जिनको पास करने का प्रयास हो रहा है। हमारा यह कहना है कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन्स रूल्स के मुताबिक आज तक कोई भी बिल रेअरैस्ट ऑफ द रेअर केस में आपकी परमिशन से ही यहां आता है और सदन से पास होता है। लेकिन अब सप्लीमेंटरी बिजनेस के रूप में बिल को लाया जा रहा है। उस बारे में बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में डिसकस नहीं होता है। सड्नली बिल को सप्लीमेंटरी के रूप में लाया जाता है और उसे पास करने के लिए कहा जाता है। यदि यह रुख रहा तो यह ठीक नहीं है। पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, आप हैं। बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में आप तय कीजिए। आप जो भी तय करेंगी, हम उसको मानेंगे।

माननीय अध्यक्ष : हम आज दोपहर में बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में तय करेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : लेकिन इसको ओवरराइड करके।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): नहीं कर रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : ऐसा हो रहा है। आप इसको मान रहे हैं। आपके पास फुल मैजोरिटी है, इसलिए कुछ भी चलता है, यह ठीक नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : हम बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में इस पर बात करेंगे। आप अभी प्रश्न काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं नायडू साहब से बोल रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : उन तक बात पहुंच गयी है।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : मैडम, हम खड़गे जी की बात का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हर कोई इस पर नहीं बोलेगा। यह कोई विषय नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : एक चींटी भी शक्तिमान हाथी को परेशान कर सकती है, इसलिए हम लोगों को कमजोर मत समझिए। कुछ भी होता है, यह ठीक नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, आप सभी मत बोलिए। मैंने आप सभी की भावना को समझ लिया है। हम इस पर बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में बात कर लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : महोदया, हम लोगों को आपका संरक्षण मिलना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं सदन की भावना को समझ गयी हूं।

11.04 hrs.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER : Q. No.361, Shri Kodikunnil Suresh.

(Q.361)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Madam Speaker, drinking water problem of the three lakh people in the Kuttanad Taluk of Kerala is very pathetic. Kuttanad region is a low-lying area, below the sea level, surrounded by the Vembanad Lake. It is a merging place of four rivers like Achankovil, Pamba, Manimala and Meenachil. The situation is 'water water everywhere but not a drop to drink'.

There are 13 Gram Panchayats in Kuttanad area and we have a requirement of 26.7 MLD water. Various studies conducted in the area show that water in the Vembanad Lake is contaminated owing to continuous use of pesticides in the paddy fields of Kuttanad and the increased tourism activity at the lake. Various water-borne diseases, especially cancer, are the order of the day. Healthy living of the people is under threat due to water contamination. In order to provide safe drinking water, a comprehensive drinking water supply scheme is the only solution. The Kerala Water Authority in the Government of Kerala has prepared a submitted a comprehensive water supply scheme for Rs.204 crore to Central Government for assistance under Japan International Cooperation Agency (JICA), but JICA is not ready to assist the project.

I would like to ask the hon. Minister whether the Government of India will consider taking up the project with financial assistance of World Bank or any other financial sources. I would like to add one more point.

HON. SPEAKER: Let me remind you that second supplementary question is also there.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam, in 15th Lok Sabha, you were the Chairman of Standing Committee on Rural Development.

That Standing Committee had also recommended a comprehensive water supply scheme for Kuttanad. You are aware of that.

HON. SPEAKER: Yes, I remember that I went there on your request.

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Hon. Speaker Madam, the hon. Member has rightly said that there is water problem in Kuttanad. It is in a way backwaters area. A project was submitted, not to Government of India, but to have assistance from Japan, that is, between Japan and the Kerala Government. We processed and sent that proposal to the concerned Japanese agency and ultimately they did not approve the project.

At present, there is a project which covers 14 Gram Panchayats. The total population of this area is 2.5 lakh. Kavalam Panchayat is having drinking water problem and water is supplied through tankers. There are 13,000 household connections and 2,600 public standposts from where water is collected. But as I have quoted, the Kerala Government wanted to have this project through JICA and JICA is a funding agency of Japan. They did give some help to certain other projects. As far as this project is concerned, they did not agree and ultimately we had to send the project back to Kerala Government.

HON. SPEAKER: Now, the second supplementary question may be asked by the Member.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : My question is with regard to a comprehensive water supply scheme for Kuttanad. I know that JICA have not approved the proposal. But what is the alternative? I would invite your kind attention to this problem. You have been eye-witness to the problem in Kuttanad. You have been there in a lot of events and asked the people about their problems.

Another important issue is the sanitation. There is no facility for sanitation in Kuttanad. The Government of Kerala has prepared two projects- a drinking water project as well as a sanitation project. But the sanitation project is also pending with the Central Government. Drinking water and sanitation are very urgent for people of Kuttanad. You are aware of that. I would like to know from

the hon. Minister whether the Government of India has considered a comprehensive drinking water supply scheme as well as a comprehensive sanitation scheme for Kuttanad.

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: As far as drinking water is concerned, that is the object of the Government. By 2022, we would be covering at least 90 per cent of rural household houses through piped water and 80 per cent households will be provided water connections. As far as comprehensive water supply project for Kuttanad is concerned, it has been sent back to the Kerala Government. But there is a possibility that the World Bank may agree to this. So, if it is sent to our Ministry, we would certainly recommend it to the World Bank.

माननीय अध्यक्ष : आपकी तरफ से भी कुछ ऐसी पहल हो जाए, मैंने खुद यह देखा हुआ है, वास्तव में पूरा इलाका संकटग्रस्त है। इस एरिया में दोनों तरफ से कुछ पहल हो जाए।

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैंने पहले ही कहा कि इस क्षेत्र में वाकई ऐसी स्थिति है और वहां पीने के पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रयत्न किया और यह चाहते थे कि जापान से उनका एग्रीमैन्ट हो, हमने भी कोशिश की, दो बार इसका रिव्यू भी किया गया।

माननीय अध्यक्ष : वहां सेनिटेशन की भी प्राब्लम है, सारा एरिया घिरा रहता है।

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: When we are in a position to provide drinking water, sanitation would follow.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने फॉरेन एडेड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजैक्ट के बारे में काफी डिटेल में जवाब दिया है। मैं मंत्री जी का इस अवसर पर धन्यवाद करता हूं। मैं राजस्थान से आता हूं और राजस्थान में भी बीकानेर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं यह एनक्शर-1 देख रहा था, जिसमें अभी हमारे मित्र सुरेश जी बता रहे थे कि केरल के इसमें तीन प्रोजैक्ट्स हैं। इसके अलावा मैं जो एनक्शर-2 देख रहा था, इसमें एक प्रोजैक्ट पंजाब से रिलेटिड है - पंजाब रूरल वाटर एंड सेनिटेशन इम्प्रूवमैन्ट प्रोजैक्ट, इसके हल होने से बीकानेर संसदीय क्षेत्र का भी कुछ हल निकलने की संभावना है, जिसमें नहर का पानी आता है, जो गंगानगर, हनुमानगढ़ होते हुए बीकानेर तक आता है। लेकिन नहर में सेफ वाटर नहीं आता है, लोग गंदा पानी पीने को मजबूर होते हैं। इस प्रोजैक्ट से कुछ उसका हल निकलने की संभावना है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फॉरेन एडेड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजैक्ट, इसमें यदि आप एनक्शर-1 देखेंगे तो केरल जैसे राज्य के लिए तीन और कुछ अन्य राज्य भी हैं, जिनमें एक या दो हैं तो राजस्थान में ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ज्यादा प्राब्लम है, जबकि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। इसलिए फॉरेन एडेड प्रोजैक्ट में जो प्रोजैक्ट आलरेडी चल रहा है फ्लोराइडयुक्त जायका वाला, जो नागौर से संबंधित है, क्या उसका एक्सटेंशन होगा या इसका आपने जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट बताया है, क्या आप इसकी कोई कम्पलीशन डेट बता सकेंगे? मैं यही आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : महोदया, जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि पंजाब में पीने के पानी की समस्या को हल करने का बहुत बड़ा प्रोजैक्ट है, जिससे 74 लाख की आबादी को उस प्रोजैक्ट से लाभ होगा। यह भी सही है कि उसमें राजस्थान के बॉर्डर को टच करती हुई आबादी है। यह 1280 करोड़ का प्रोजैक्ट है, इसमें 154 मिलियन यू.एस. डालर्स वर्ल्ड बैंक से लिये गये हैं और भारत सरकार का इसमें 15 प्रतिशत का अंशदान है, बाकी राज्य सरकार देगी।

जहां तक इन्होंने राजस्थान की बात कही, राजस्थान में नागौर में एक बहुत एम्बिशियस, बहुत बड़ा प्रोजैक्ट है, जिसका 22 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। यह राजस्थान वाटर सप्लाई एंड फ्लोरोसिस मिटिगेशन प्रोजैक्ट नागौर है, इसमें दस अलग-अलग छोटी स्कीम्स हैं और इस प्रोजैक्ट में खर्चा 2938 करोड़ है। माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि इसका समय निर्धारण क्या है। मैं बताना चाहता हूं कि जनवरी, 2013 में इसकी शुरूआत की गई थी और जनवरी, 2020 तक यह प्रोजैक्ट पूरा होने की संभावना है। इसमें अभी तक सेनिटेशन का कोई कम्पोनैन्ट नहीं है, इसमें अभी सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर ही रखा गया है, क्योंकि वहां पीने के पानी की सबसे विकट समस्या है।

SHRI KADIYAM SRIHARI : Madam Speaker, unfortunately, even after 67 years of Independence, half of the villages in the country are not provided with safe drinking water. In half of the villages, even today, we are not having schemes to protect water. People are consuming contaminated water which is fluoride affected, nitrate affected, iron affected and it is also affected by solid dissolves. By consuming such contaminated water, they are subjected to all health problems. In some areas, people are not getting even raw or surface water. To overcome such a problem, the Gujarat Government under the dynamic leadership of our

present Prime Minister, Shri Narendra Modiji, conceived a water project through which they are supplying water to 8215 habitations and 135 towns.

Taking Gujarat model into account and also taking Modiji as inspiration, the Government of Telangana conceived a project through which it wants to provide water to nearly 24,600 habitations, 62 municipalities and five corporations by spending Rs.32,000 crore in the next four years. It is a very ambitious project.

I would like to ask the hon. Minister whether any study was made on the availability of water as also on fluoride affected areas and whether the Government is giving priority to such areas or regions.

Secondly, I would like to know whether the Government supports the States like Telangana which on its own wants to take up such big projects and whether you would facilitate foreign aid to complete such ambitious projects which are taking place in Telangana.

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Madam Speaker, the hon. Member has asked about Telangana and he has also talked about the habitations. There are about 16,96,000 habitations in our country. There is 100 per cent population coverage who gets 40 extra litres per head per day in 73.6 per cent uptil now which comes to 12,49,695 habitations and partially covered where the requirement is met get less than 40 litres per head per day which comes to 3,68,463 habitations which is 21.7 per cent.

He has put a very relevant question about quality. There are about 78,506 habitations in our country where the quality of water definitely cannot be said that it is drinkable. The definition of water quality affected habitations is that any parameter exceeding permissible limit prescribed by the Bureau of Indian Standards, that is 10500 and out of total habitations which I have talked about, that is, 78,500, 1991 are affected by arsenic. There are 14,132 habitations which are affected by fluoride; salinity affected habitations are 17,472; habitations where iron content is there are 42,093; and nitrate content affected are 2818. That means 78,506 are affected by these kinds of minerals and other fluorides.

Madam, as far as Telangana is concerned, he has said that about 24,600 habitations. I have already answered to the hon. Member that by 2022, we would be covering the entire country with 90 per cent piped water. As far as Telangana is concerned, we have received a request letter from Telangana but no formal proposal has been made by Telangana.

HON. SPEAKER: You ask the State Government to send a formal proposal.

(Q.362)

SHRI R. GOPALAKRISHNAN : Madam Speaker, According to the Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana (MKSP), the Tamil Nadu State Government recommended and have submitted 11 proposals worth Rs.67.60 Crore for the year 2013-14 to the Ministry of Rural Development, Government of India. However, it was not sanctioned citing the reason that the Annual Action Plan was not in the revised template. Thereafter, the Government of Tamil Nadu submitted a revised proposal as per prescribed template on 4th April, 2014.

In the reply given by the Government of India, it is stated that 8 proposals received and one proposal was received through AAP. It is disheartening to see that the proposals of the Tamil Nadu Government have not been approved by the Central Government.

Our hon. Puratchi Thalaivi Amma has high considerations and kind heartedness for the welfare of women in Tamil Nadu. Obtaining Central funds under the scheme to speed up implementation of the women oriented welfare schemes is the foremost concern of the State Government of Tamil Nadu.

In view of the above, I would like to know the reasons for not approving the proposals of the Tamil Nadu under the scheme. I would also like to know whether the Government of India have informed about such reasons for delay to the State Government of Tamil Nadu, if so, the details thereof.

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Madam Speaker, Tamil Nadu has forwarded eight proposals from the State and under MSKP, there are two ways to send the proposal. One is under the annual plan and if some proposal is sent under the annual plan, then the release of the fund or the approval of the proposal becomes easy for the Government because the entire mechanism is to be drawn by the particular State Government. But when there is a proposal from some one like NGO or some other community organization, then we have to see the entire background of the NGO and others. Accordingly, we could not clear all the eight

proposals – four were sent in 2011; two in 2012; and two in 2013. So, eight proposals of Tamil Nadu could not find the approval because of certain infirmities.

HON. SPEAKER: You must have given them those reasons.

SHRI R. GOPALAKRISHNAN : Tamil Nadu is the pioneer State in formation of women Self Helf Groups to empower the women. Under the leadership of our hon. Puratchi Thalaivi Amma, the woman SHGs have spread fast all over the State. As MKSP is the part of the National Rural Livelihood Mission (NRLM), I would like to know whether the Central Government have any special and separate scheme to develop Self Helf Groups especially for rural women in the country including Tamil Nadu, if so, the details thereof, proposals received and approved, budgetary allocations made/released to various States including Tamil Nadu and if not, the reasons therefor?

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Madam, as I have mentioned, the Government of Tamil Nadu had sent 8 proposals in three years. No proposal was found up to the mark. If the State of Tamil Nadu comes with fresh proposals, then we can consider them and certainly if everything is found to be in order, those would be approved.

श्री राजीव सातव : अध्यक्ष जी, महिला किसानों के सशक्तीकरण की बात हम इस प्रश्न के माध्यम से कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले दो-तीन सालों से सूखा है और इस बार तो भयंकर सूखे की स्थिति है जिस कारण हर रोज़ तीस से चालीस किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहे हैं। मेरे खुद के हिंगोली क्षेत्र में भी हर रोज़ दो-तीन किसानों द्वारा आत्महत्या हो रही है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह प्रश्न है कि महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा की जो महिला किसान हैं, उनके सशक्तीकरण के लिए कोई अलग से योजना की घोषणा क्या केन्द्र सरकार यहाँ पर करेगी?

माननीय अध्यक्ष : क्या प्रपोज़ल भेजा है?

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदया, आदरणीय सदस्य ने कहा कि सूखे की स्थिति में क्या नए कदम हम उठा सकते हैं। महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना का मतलब ही यह था कि ऐसी महिलाएँ जिनका सिर्फ कृषि ही व्यवसाय है या वह व्यवसाय भी उनका खुद का नहीं है, उनके परिवार का या उनके

पति का है, उसमें उनके सहायतार्थ जो परियोजना 2010-11 में बनी, इस महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना का उद्देश्य ही यह था - to meet the specific needs of woman farmers the scheme is being launched and a sum of Rs. 100 crore was provided by the then Finance Minister in the scheme. The scheme was to be implemented through NRL.

इसमें देश में 10 करोड़ ऐसे घर हैं जहाँ महिलाएँ कृषि आधारित अपना व्यवसाय करती हैं। इस स्कीम के तहत यह आइडैंटिफाइ किया गया और उसमें लगभग 8 करोड़ के करीब ऐसे घर हैं जिनको महिला सशक्तीकरण प्रोग्राम के माध्यम से छुआ जा सकता है। उसमें हमने यह माना कि जहाँ कृषि है, उसके साथ कुछ और जोड़ दिया जाए और जहाँ फौरैस्ट लैंड है, वहाँ भी उनका जो बेसिक व्यवसाय है - पत्ते तोड़कर लाना या दूसरा कार्य है, उसके साथ साथ खेती भी करने का प्रावधान किया गया, पोलट्री का व्यवसाय उसके साथ जोड़ने की कोशिश की गई। इस प्रकार से कई जगह हमने देखा कि इस प्रोग्राम के माध्यम से जो गरीब हैं, जिनको अल्ट्रा पूअर की संज्ञा दी गई, उनकी संख्या भी 3 करोड़ हाउसहोल्ड्ज़ है। उनके लिए भी व्यावसायिक तौर पर दो व्यवसाय इकट्ठा करने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे मैंने कहा 2010-11 में यह स्कीम शुरू हुई है और मैं यह कह सकता हूँ कि अभी इसके रिज़ल्ट आने बाकी हैं।

श्री राजीव सातव : अध्यक्ष जी, मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं आया।

माननीय अध्यक्ष : विदर्भ का प्रपोज़ल भेजोगे तो करेंगे।

श्री मानशंकर निनामा। महिला किसान सशक्तीकरण की बात है। उसी पर प्रश्न पूछना है।

श्री मानशंकर निनामा : अध्यक्ष जी, आपका बहुत ही धन्यवाद कि आपने महिला किसानों से जुड़े इस विषय पर मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी।

महोदया, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि राजस्थान में लिंग अनुपात बहुत कम है। महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के अंतर्गत कुछ विशेष आबंटन के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

माननीय अध्यक्ष : क्या राजस्थान से प्रस्ताव आया है, यह बता दो।

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : जी हाँ, राजस्थान से 15 प्रस्ताव आए। 12 प्रस्ताव 2011 में, 2 प्रस्ताव 2011 में और 2 प्रस्ताव 2013 में आए। 2014 में कोई प्रस्ताव हमें प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इन 15 प्रस्तावों में जो अप्रूव हुआ, वह सिर्फ एक ही हो सका।

DR. RATNA DE (NAG) : *Mahila Kisan Shashaktikaran Pariyojana* was aimed at meeting the special needs of the women farmers and to empower them technically and socio-economically. It is a sub-component of the National Livelihood Rural Mission. I would like to know if any in-depth analysis has been conducted to know whether this specific aim is met and the woman farmers indulging in small and marginal farming benefited out of this scheme.

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: As I have mentioned, there are about 10 crore households. Out of 10 crore households, we have identified three crore households which could be categorized as ultra poor households. The scheme was launched on that basis. The scheme was launched in 2011-12. Till now, a sum of Rs. 40 crore has been allocated to the scheme and this allocation is demand based. I mentioned the case of the State of Rajasthan. They sent 15 projects, out of which one project was sanctioned. When there would be more demands we would be coming forward with more allocations.

Moreover, if a woman is totally engaged in agriculture we would like that she should also adopt one or two other agriculture allied professions. By that she can improve upon her income. Some of the surveys have shown that in one crop where this group is identified, the income has gone up by more than Rs.30,000 than what it used to be. When it comes to two crops or six months, it has come to Rs. 60,000. The project is basically to empower them economically and socially.

HON. SPEAKER: Is it not technically? किसान महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए नहीं है। Are there no woman-friendly technology or woman-friendly tools?

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Madam, that is what I have said. When we talk of agriculture, we have suggested them not to use pesticides and chemical fertilizers, instead they should use cow dung and others by which they can improve upon their produce. This has been established technologically that where chemical fertilizer is not used, the yield has not come down, but instead has gone up. These are the innovations.

(Q.363)

श्री अशोक महादेवराव नेते : अध्यक्ष जी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में कौशल विकास पर आधारित रोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की है ताकि वहां युवकों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराकर उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किए जाने की आज के समय की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि सरकार ने देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों विशेषतः महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरोली-चिमुर संसदीय क्षेत्र, जो नक्सलवाद से अति प्रभावित और अति पिछड़ा भी है, वहां के युवकों के लिए कौशल आधारित रोज़गार के लिए प्रशिक्षित करने हेतु क्या कोई कदम सरकार ने उठाया है? जिससे नक्सलवाद प्रभावित युवकों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवा कर राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके।

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : मैडम स्पीकर, हमने एन.आर.एल.एम. के तहत कुछ इलाकों को आइडैंटिफाई किया। जैसा खुद आदरणीय सदस्य ने कहा, जम्मू-कश्मीर के लोगों को राष्ट्रीय धारा से जोड़ने के लिए हमने हिमायत नाम की योजना शुरू की। हमने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना शुरू की। उसके तहत यह भी कहा गया कि हम जिन्हें ट्रेनिंग देंगे, उनमें से 75% को किसी-न-किसी क्षेत्र में नौकरी भी दी जाएगी। इस तरह की ये दो अलग-अलग योजनाएं हैं। एक रूरल सेल्फ इम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (आर. सेटी) है, जिसके तहत उन्हें ट्रेंड किया जाता है, उनकी स्किल डेवलपमेंट की जाती है। इससे वे अपना काम खुद शुरू कर सकते हैं। दूसरी, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है, उसके तहत हमने बड़े-बड़े हाउसेस के तहत काम शुरू किया है कि वे इन-हाउस ट्रेनिंग भी देंगे और उस ट्रेनिंग के बाद वे यह एश्योर भी करेंगे कि उन लोगों को रोज़गार भी दिया जाए।

इसके अलावा कुछ दूसरी स्कीम्स भी हैं। जैसा मैंने कहा कि हिमायत स्कीम जम्मू-कश्मीर के लिए है, वैसी ही रोशनी नाम की स्कीम नक्सल प्रभावित इलाके में है। उसमें हम वहां के नौज़वानों को उन क्षेत्रों से बाहर लाकर, उनके रहने का, उनके खाने का, उनकी ड्रेस का, उनके पढ़ने का, उनकी ट्रेनिंग इत्यादि सभी का इंतज़ाम करते हैं। उन्हें ट्रेनिंग देकर उन्हें व्यवसाय करने लायक बनाते हैं। इस तरह, ये दो अलग-अलग स्कीम्स हैं।

श्री अशोक महादेवराव नेते : अध्यक्ष महोदया, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि देश में, विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में प्रशिक्षण प्राप्त जिन युवकों को रोज़गार उपलब्ध कराया गया है, उनमें आदिवासी, अनुसूचित जाति, एवं ओबीसी युवकों की संख्या कितनी है और क्या यह पर्याप्त है?

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : मैडम, जैसा मैंने बताया कि डीडीयूजीकेवाई के नीचे 37 परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनके तहत हम उन्हें स्किल ट्रेनिंग देते हैं। महाराष्ट्र में हमने अभी तक 50,193 कैंडीडेट्स को ट्रेनिंग दी हैं और उन्हें उस ट्रेनिंग के माध्यम से लाभ प्राप्त हुआ है। इसके लिए जो भी बजट था, वह हमने उन 50,193 लोगों के लिए सैंक्शन किया है।

SHRI K.H. MUNIYAPPA : Madam, through you, I want to ask a question to the hon. Minister.

In 2013-14, under skill development training, the target was to train five crore unemployed educated persons in the Labour Department, in the MSME sector, Education Department, and all other sections put together. Mahatma Rashtriya Udyog KhatriYojana and Pradhan Mantri Employment Generation Programme are addressing the rural masses to give employment to educated unemployed people. This time, MNREGA was to be allocated more funds but they were not able to sanction those funds. The target under the Pradhan Mantri Employment Generation Programme is to employ one crore educated unemployed in 650 districts. That was the plan. The main object was to give proper training, to educate them properly in order to create employment for them because more than 50 crore people, including students and the educated ones, are unemployed in this country.

I cannot understand what the hon. Minister is planning to do. He is a very senior leader in this side, but so junior in that side. The answer is not coming properly. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: It is not proper. Nobody is junior or senior here.

SHRI K.H. MUNIYAPPA : Shri Birender Singh is a very good friend of mine.

HON. SPEAKER: I know that.

SHRI K.H. MUNIYAPPA : He was in-charge of Karnataka. … (*Interruptions*) मैं इनको मानता हूं।...(व्यवधान) ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं।...(व्यवधान) उधर नहीं, इधर से जुनियर हो गए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप तो सीनियर हैं, प्रश्न पूछिए।

SHRI K.H. MUNIYAPPA : I want to know from the hon. Minister whether he has any comprehensive programme for the educated unemployed in this country. More than 50 crore people are agitating for jobs.

May I know from the hon. Minister whether there is any comprehensive programme for skill training and also for employment? Thank you.

HON. SPEAKER: Yes, Mr. Minister. The Question is about rural employment – Training to unemployed youth in rural areas.

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Madam Speaker, he can hear political answers when I give reply to the discussion under Rule 193 on MNREGA. You will get a complete reply from me as to whether I am junior here or whether I was junior there. … (*Interruptions*)

As I have told you, regarding the physical achievement of skill development and placement of trainees, I would like to say that the number of candidates targetted for training under the DDUGKY Scheme, in 12th Plan period, in 2012-13, were 2,12,000. The candidates who were trained were more than that, that is 2,17,997; and the candidates who have got the placement were 1,62,552.

It has been made very clear that under the DDUGKY Scheme, 75 per cent of the total would be assured jobs. That is the aim of giving training under the DDUGKY Scheme. In 2013-14, 2,50,000 candidates were targeted and the training was given to 2,01,019. Out of 2,01,019, around 1,37,417 candidates were placed, that is they were given employment. Till October 2014, the target with regard to training was 2,10,000 and we have given training to 46,998 candidates. Out of 46,998 candidates, 23,000 candidates have been placed.

As far as achieving the targets of 12th Five Year Plan, I have a State-wise list of the information, giving details about the number of candidates who were given training and the number of candidates who were given the placement.

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। हमारा देश गांव का देश है। गांव में बड़ी संख्या में रोजगार भी हैं और वहां बेरोजगारी भी है। हमारे गांव में परम्परागत रूप से पहले जो रोजगार होते थे, वे धीरे-धीरे खत्म हो चुके हैं। अभी हमारी सरकार ने जो नया कार्यक्रम शुरू किया है, वैसे तो हमारे देश की पहचान दुनिया में एक स्केम वाले देश के रूप में हो चुकी थी। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी ने स्किल इंडिया बनाने की जो बात कही है और जो ग्रामीण रोजगार के कौशल विकास का कार्यक्रम शुरू किया गया है, वह वाकई में बहुत काबिलेतारीफ है। मैं प्रशंसा करना चाहता हूं, किन्तु मंत्री जी से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गांव में जो परम्परागत रोजगार होते थे, वे धीरे-धीरे लुप्त हो रहे हैं और इसी कारण से बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या उनको भी इन कार्यक्रमों में शामिल करेंगे? जहां जिस तरह के संसाधन उपलब्ध हों, क्या उस तरह के ट्रेड वहां पर लाए जा सकते हैं, ताकि उनको फिर से प्रोत्साहित किया जा सके?

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : मैडम, जैसा मैंने बताया कि लाइवलीहुड मिशन के तहत दो बड़ी स्कीम्स लांच की गयीं, उनके तहत यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा वर्ग है, आज के दिन गांव में न तो लोगों के पास इतनी जमीन रही कि उस जमीन पर वे कोई दूसरा काम कर सकें और गांव में जो कुटीर उद्योग था, वह भी आहिस्ता-आहिस्ता लुप्त होता जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम हमने किया, उसमें हमें कामयाबी भी मिली है। मैं बताना चाहूंगा, जैसा मैंने कहा कि नक्सल अफेक्टेड जो एरियाज हैं, उनके अंदर हमने नौ स्टेट्स में सत्ताईस डिस्ट्रिक्ट्स को चिन्हित किया और पचास हजार यूथ की ट्रेनिंग के लिए टार्गेट रखा।

इसके साथ-साथ जो दूसरे ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसमें हमने जो टार्गेट रखा है, उसमें 15 प्रतिशत जो हमारे माइनोरिटी के भाई हैं, उनकी संख्या रखी है। 15 प्रतिशत ट्रेनिंग उनको दी जाएगी और इसके साथ-साथ जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनको भी प्राथमिकता से ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारी जो दूसरी स्कीम्स चल रही हैं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य योजना और पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान, पंचायत सशक्तीकरण अभियान और ई-पंचायत, इन सबको मिलाकर हमने एक बहुत बड़ा विस्तृत कार्यक्रम रखा है। आज के दिन सिर्फ हमारे देश में ही स्किल्ड लोगों की कमी नहीं है, बल्कि दुनिया भर में कमी है। अगर हम इस कमी को पूरा करें तो लाखों की संख्या में विदेशों में भी हमारे स्किल्ड लोग काम करने जा सकते हैं।

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Madam, it is true that we need to do skilling in this country. But skilling, let us remember, produces only servants because finally how many fitters, welders, electricians can the industry consume. That is one part.

There is an organization called the Labour Bureau in Chandigarh. It is based in Chandigarh. It has produced a report which is very interesting. I have a page of that report. It is titled "Youth Employment, Unemployment Scenario, 2012-13." This report spells out very interesting facts that one in every three graduate is unemployed. It is there in their report of 2012-13. Whereas, if you juxtapose this data with the illiterate youth – this all refers to the age group of 15 to 29 - rate of unemployment in 2012-13 was only 3.7 per cent. This is so nationally. In 2011-12, it was even lower at 1.2 per cent.

I want to know one thing from the Government. I think the whole House would be interested in this. Are we looking at the ground realities about employment and how to meet this challenge because of our huge population which is increasing day by day? Is the Government aware that unemployment is higher amongst the educated youth than amongst the illiterate youth? Are we doing anything to bring about what is called the respect to labour so that educated youth also can do all kinds of work, not just make them servants but make them able to accept work and give respect? Is the Government aware of this? Is the Government planning to meet this challenge in any way and in which way?

HON. SPEAKER: The Question is about rural educated unemployed youth..

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Madam, he is right. Expressing his concern, he has said that we are creating workforce. Those youth who have attained higher education, they are more unemployed than the workforce which is available.

One thing is very clear in this scheme that in one component, we have selected Champion Employer of those concerns where they would be giving skill development training under DDU to the youths. They would be part and parcel of

their concern. In-house training is given to such youth. If those youths don't go as workforce but they feel that they are part and parcel of the same establishment which has provided employment to them, then the scenario is changed. Then, nobody can be categorised as number one man or number three man. They are part and parcel of the same concern. This is the concept of Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana.

(Q.364)

श्री धनंजय महाडीक : अध्यक्ष महोदया, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सभी मेम्बर्स को ट्रेनिंग दी गई थी। सरकार ने उस ट्रेनिंग पर हजारों-करोड़ों रुपए खर्च किये। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या उस ट्रेनिंग से उन्हें कोई लाभ हुआ है, उन पर कोई प्रभाव पड़ा है? क्या उन लोगों ने कोई अनोखे निर्णय लिए हैं? सरकार की नयी-नयी योजनाएं आती हैं। क्या उन्होंने उनमें से कोई योजना नये तरीके से इम्प्लिमेन्ट की है? ट्राइबल एरियाज के जो सदस्य हैं, जो कम एजुकेटेड हैं, उस योजना या उस ट्रेनिंग से उन्हें कोई लाभ हुआ है? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके पास सेकेण्ड सप्लिमेन्ट्री पूछने का अवसर है।

श्री धनंजय महाडीक : अध्यक्ष जी, यह ट्रेनिंग का ही सब्जैक्ट है। एक बार ट्रेनिंग देने से क्या वे लोग पूरी तरह से सक्षम हो गए हैं? यदि सरकार के पास उसका कोई ब्योरा है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Madam, Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan was launched only two years back. Hon. Member has said that a huge amount has been spent on training, etc. It is not the correct position. Correct position is that in this financial year, amount released till now to the states is Rs.395 crore. The RGPSA gives performance based incentives to the states for strengthening panchayats. If a particular state has taken action for the enhancement of the state capability and capacity, of panchayats including devolution of funds which is earmarked for a particular Panchayat, additional 20 per cent funds can be allotted to that particular State. This is how we are giving training so that young generation should also know ethics, morals of the political life because that is the nursery for political life. That is why the scheme has been launched two years back. We have given funds under the scheme but the unspent element of the funds is still huge, since the full fledged scheme is only less than one year, only 19 per cent has been spent.

श्री धनंजय महाडीक : अध्यक्ष महोदया, पंचायत राज योजना में 5000 जनसंख्या वाले गांव में एक पंचायत अभियन्ता (इंजीनियर) दिया जाता है। वह इसलिए नियुक्त किया गया है कि वह बिल्डिंग प्लान के लिए अप्रूवल देता है और कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन देता है। इस योजना में ऐसा है कि 5000 जनसंख्या वाले गांव के लिए भी एक ही अभियन्ता है और 35000-40000 जनसंख्या वाले गांव के लिए भी एक ही अभियन्ता है। जैसे जनसंख्या बढ़ती है, क्या मैनपावर बढ़ाने की जरूरत नहीं है? यदि महाराष्ट्र में देखा जाए तो पिछले साल यानी 2013-14 में 83.71 करोड़ रुपये फंड दिए गए थे। इस साल दिसम्बर आ चुका है, लेकिन अभी तक सिर्फ 34.75 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। मार्च आने में तीन महीने बचे हैं। क्या महाराष्ट्र के लिए ज्यादा बजट देने की कोई योजना है? ग्राम पंचायत में जो नई बिल्डिंग बनती है, उसके लिए 12 लाख रुपये दिए जाते हैं। यह सिर्फ नई बिल्डिंग के लिए है, नया ऑफिस बनाने के लिए है। अभी कई गांवों में 40 साल पुरानी बिल्डिंग हैं। यदि सरकार के पास उनके लिए भी कोई योजना है तो बताने की कृपा करें।

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदया, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना में हमने ट्रेनिंग के लिए एक व्यापक योजना बनाई है। जिस जिला मुख्यालय में कोई जगह उपलब्ध होगी, वहां हम इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 करोड़ रुपये देंगे जिससे वहां के ग्रामीण क्षेत्रों से चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने अधिकारों के प्रति ज्ञान हो और पंचायती राज की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी को और मजबूत किया जाए।

RGPSA के तहत इस साल हमने 214 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना सैंक्शन किए हैं। However, Ist instalment funds have been released deducting unspent balance with the state. इसके साथ-साथ दूसरे साधन भी जो पंचायत के सशक्तीकरण का माध्यम हो सकते हैं, उनके लिए हमने पूरी योजना तैयार की है। लेकिन इसमें हमने यह भी कहा है, जैसे किसी स्टेट गवर्नमैंट का एलोकेशन इस बात पर निर्भर करता है कि वह हर पांच साल में यह निश्चित करे कि चुनाव हों। वह यह भी निश्चित करे कि स्टेट फाइनैंस कमीशन की रिकमैंडेशन्स पर की गई कार्यवाही विधान सभा के पटल पर पांच साल के लिए रखी जाएं। वहीं से ये रिकमैंडेशन्स डिवोलुशन ऑफ फंड से संचालित है। उसमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत का प्रावधान जरूर है, लेकिन यदि उससे ज्यादा हो तो वे बढ़ाकर भी उपरोक्त स्कीम में कर सकते हैं। हमने इस तरह के मापदंड निर्धारित किए हैं ताकि उन मापदंडों के आधार पर हम उन्हें फंड्स रिलीज़ करें तथा पिछले वर्ष की अप्रयुक्त राशि को समायोजित कर प्रथम किश्त की केन्द्रांश राशि निर्गत की जा चुकी है।

श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव : अध्यक्ष महोदया, हिन्दुस्तान में अभी जो काम चला है, जो ग्राम पंचायत और जिला परिषद समिति अच्छे काम करती है, क्या उसके लिए प्राइज़ देने के बारे में कोई प्रावधान है?

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : जी हां।

श्री वीरेन्द्र कश्यप : अध्यक्ष महोदया, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान, यह ठीक है कि 2012-13 में इस योजना को लागू किया गया और पिछले दो वर्षों में इसमें पैसे के प्रावधान भी किए गए हैं। मंत्री जी ने जवाब दिया है -- The funding of RGPSA for State plans is on a 75:25 basis by the Central and State Governments respectively. For North Eastern States, this ratio is 90:10. मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नार्थ-ईस्ट के पहाड़ी क्षेत्रों को भी इसमें 90:10 के रेशियो में लिया जाएगा? यह भी कहा गया --At least one third reservation for women in Panchayats or other local bodies. हमें इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हमने 30 प्रतिशत नहीं बल्कि 50 प्रतिशत किया था। महिलाओं की बुद्धिमता, इफैक्टिवनैस, एक्टिवनैस की वजह से वह 50 प्रतिशत से 58 प्रतिशत हो गया यानी हिमाचल प्रदेश में आज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में महिलाओं का रिजर्वेशन लगभग 60 प्रतिशत हो गया है। केन्द्र सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए जो कार्य कर रही है, क्या उसमें सरकार से कोई प्रोत्साहन मिलने की संभावना है?

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : यह बात सही है कि जो सिस्टर स्टेट्स हैं, उनमें 90:10 का रेशियो है और बाकी के राज्यों में 75:25 का रेशियो है। बाकी 33 प्रतिशत कम से कम है। अगर इन्होंने 60 प्रतिशत पहुंचा दिया तो हम इनका धन्यवाद करते हैं। वैसे भी पहाड़ी राज्यों में महिलाओं का Proportion ज्यादा होता है। इसके लिए इनको धन्यवाद। मैं यह भी कहूंगा कि एडिशनल इन्सेन्टिव्स जो अच्छा काम करते हैं, जैसे राजीव गांधी ग्रामीण सशक्तीकरण योजना के तहत जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, इसमें महिलाओं का भी एक रोल है, अगर इसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा है तो 20 प्रतिशत जब हम निर्धारण करेंगे तो वह अंश भी देखेंगे कि महिलाओं का इसमें पार्टिसिपेशन अधिक हो।

12.00 hrs.

FELICITATION BY THE SPEAKER

Congratulations to Indian Scientists on successful launch of GSLV Mk-III from Sriharikota

माननीय अध्यक्ष : जैसा कि आपको विदित है, हमारे देश ने आज श्रीहरिकोटा से अपने नवीनतम रॉकेट "जीएसएलवी एमके. III " को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। अब तक सबसे भारी यह 630 टन रॉकेट एक प्रोटोटाइप क्रू मॉड्यूल को भी अपने साथ लेकर गया है जो इस देश को अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इस प्रक्षेपण से भारत ने उन राष्ट्रों के चयनित समूह में प्रवेश कर लिया है जिनके पास ऐसे जटिल मिशन की प्रौद्योगिकी है। हमें अपने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर अत्यधिक गर्व है।

यह सभा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के समर्पित दल को इस मिशन को सफल बनाने पर अपनी बधाई देती है।

12.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to the Laid on the Table.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Judicial Academy India, Bhopal, for the period August, 2012-July, 2013, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Bhopal, for the period August, 2012-July, 2013.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 1366/16/14)

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT, MINISTER OF PANCHAYATI RAJ AND MINISTER OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 29 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005:-

(1) S.O.1888(E) published in Gazette of India dated 23rd July, 2014, making further amendments in Schedule I to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

(Placed in Library, See No. LT 1367/16/14)

(2) The National Rural Employment Guarantee Act Schedule I & Schedule II Amendment Order, 2013 published in Notification No. S.O.1987(E) in Gazette of India dated 4th August, 2014.

(Placed in Library, See No. LT 1368/16/14)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Silk Board, Bangalore, for the year 2013-2014.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Silk Board, Bangalore, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Silk Board, Bangalore, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1369/16/1

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Cotton Textiles Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Cotton Textiles Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1370/16/1

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Fashion Technology, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Fashion Technology, New Delhi, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1371/16/1

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Silk Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Silk Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1372/16/1

(5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the National Jute Manufactures Corporation, Kolkata, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the National Jute Manufactures Corporation, Kolkata, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1373/16/1

(b) (i) Review by the Government of the working of the Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1374/16/1

(6) A copy of Notification No. S.O. 2968(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 25th November, 2014, regarding extension of packaging of Foodgrains and Sugar in jute packaging material for a further period of two months from 30.11.2014 or until further orders, whichever is earlier under sub-section (1) of Section 3 of the Jute Packing Material (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 under sub-section (2) of Section 3 of the said Act.

(Placed in Library, See No. LT 1375/16/14)

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Powerloom Development and Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Powerloom Development and Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1376/16/14)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Neyveli Lignite Corporation Limited and its subsidiary companies NLC Tamilnadu Power Limited and Neyveli Uttar Pradesh Power Limited for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Neyveli Lignite Corporation Limited and its subsidiary companies NLC Tamilnadu Power Limited and Neyveli Uttar Pradesh Power Limited for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1377/16/1

(b) (i) Review by the Government of the working of the Coal India Limited, Kolkata, and its subsidiary companies for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Coal India Limited [Vol. I and Vol. II (Part I & II)], Kolkata, for the year 2013-2014, and its subsidiary companies alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1378/16/1

(c) (i) Review by the Government of the working of the Solar Energy Corporation of India, New Delhi, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Solar Energy Corporation of India, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1379/16/1

(d) (i) Review by the Government of the working of the Power Finance Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Power Finance Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1380/16/1

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 179 of the Electricity Act, 2003:-

(i) The Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.754(E) in Gazette of India dated 28th October, 2014.

(ii) The Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram (Constitution and the manner of application of the Fund and Form and Time for Preparation of Budget) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.755(E) in Gazette of India dated 28th October, 2014.

(Placed in Library, See No. LT 1381/16/14)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सांवर लाल जाट): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(Placed in Library, See No. LT 1382/16/1

(2) (एक) नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, इंदौर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, इंदौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 1383/16/14)

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF SHIPPING (SHRI NITIN GADKARI): On behalf of Shri Pon Radhakrishnan, I beg to lay on the Table:--

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Shipping Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Shipping Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1384/16/1

(b) (i) Review by the Government of the working of the Dredging Corporation of India Limited, Visakhapatnam, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Dredging Corporation of India Limited, Visakhapatnam, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1385/16/1

(c) (i) Review by the Government of the working of the Kamarajar Port Limited, Chennai, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Kamarajar Port Limited, Chennai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1386/16/1

(d) (i) Review by the Government of the working of the Sethusamudram Corporation Limited, Chennai, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Sethusamudram Corporation Limited, Chennai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1387/16/1

(2) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam, for the year 2013-2014.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam, for the year 2013-2014.

(iii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1388/16/1

(3) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Paradip Port Trust, Paradip, for the year 2013-2014.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Paradip Port Trust, Paradip, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1389/16/1

(4) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Nehru Port Trust, Navi Mumbai, for the year 2013-2014.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawaharlal Nehru Port Trust, Navi Mumbai, for the year 2013-2014.

(iii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Nehru Port Trust, Navi Mumbai, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Jawaharlal Nehru Port Trust, Navi Mumbai, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1390/16/1

(5) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Erstwhile-Bombay Dock Labour Board, Mumbai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Erstwhile-Bombay Dock Labour Board, Mumbai, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1391/16/1

(6) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Mormugao Port Trust, Goa, for the year 2013-2014.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mormugao Port Trust, Goa, for the year 2013-2014.

(iii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mormugao Port Trust, Goa, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Mormugao Port Trust, Goa, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1392/16/1

(7) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Paradip Port Trust, Paradip, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Paradip Port Trust, Paradip, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1393/16/1

(8) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2013-2014.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2013-2014.

(iii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1394/16/14)

(9) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Tariff Authority for Major Ports, Mumbai, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Tariff Authority for Major Ports, Mumbai, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1395/16/1

(10) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the New Mangalore Port Trust, New Mangalore, for the year 2013-2014.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the New Mangalore Port Trust, New Mangalore, for the year 2013-2014.

(iii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the New Mangalore Port Trust, New Mangalore, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the the Audited Accounts of the New Mangalore Port Trust, New Mangalore, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1396/16/1

(11) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the V.O. Chidambaranar Port Trust, Tuticorin, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the V.O. Chidambaranar Port Trust, Tuticorin, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1397/16/1

(12) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958:-

(i) The Merchant Shipping (Standards of Training, Certification and Watch-keeping for Seafarers) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 546(E) in Gazette of India dated 31st July, 2014.

(ii) The Merchant Shipping (Management for the Safe Operation of Ships) Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 351(E) in Gazette of India dated 23rd May, 2014.

(iii) The Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 33(E) in Gazette of India dated 20th January, 2014

(13) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) & (ii) of (12) above.

(Placed in Library, See No. LT 1398/16/14)

(14) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 10 of the National Highways Act, 1956 :-

(i) S.O. 2833(E) to S.O. 2835(E) published in Gazette of India dated 7th November, 2014, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.

(ii) S.O. 2836(E) published in Gazette of India dated 7th November, 2014, declaring highways, mentioned therein, as new National Highways.

(iii) S.O. 2837(E) published in Gazette of India dated 7th November, 2014, making certain amendments in the Notification No. S.O. 689(E) dated 4th April, 2011.

(iv) S.O. 2788(E) published in Gazette of India dated 29th October, 2014, declaring highways, mentioned therein, as new National Highways.

(v) S.O. 2789(E) published in Gazette of India dated 29th October, 2014, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.

(vi) S.O. 1626(E) published in Gazette of India dated 27th June, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 202 (Hyderabad-Yadgiri Section) in the State of Andhra Pradesh.

(vii) S.O. 1708(E) published in Gazette of India dated 9th July, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 18 (Kadapa-Kurnool Section) in the State of Andhra Pradesh.

(viii) S.O. 2115(E) published in Gazette of India dated 22nd August, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 202 (New NH No. 163) (Yadgiri-Warangal Section) in the State of Andhra Pradesh.

(ix) S.O. 1125(E) published in Gazette of India dated 24th April, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 5 in the State of Andhra Pradesh.

(x) S.O. 36(E) published in Gazette of India dated 7th January, 2014, authorising the officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 214A (Digamarru to Ongole Section) in the State of Andhra Pradesh.

(xi) S.O. 645(E) published in Gazette of India dated 4th March, 2014, making certain amendments in the Notification No. S.O. 3509(E) dated 27th November, 2013.

(xii) S.O. 41(E) published in Gazette of India dated 7th January, 2014, authorising the officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management

and operation of National Highway No. 222 in the State of Andhra Pradesh.

(xiii) S.O. 38(E) published in Gazette of India dated 7th January, 2014, making certain amendments in the Notification No. S.O. 335(E) dated 14th February, 2011.

(xiv) S.O. 573(E) published in Gazette of India dated 26th February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 71 (Sangrur-Patran Khanauri Road upto Punjab/Haryana Border Section) in the State of Punjab.

(xv) S.O. 1003(E) published in Gazette of India dated 2nd April, 2014, making certain amendments in the Notification No. S.O. 2977(E) dated 1st October, 2013.

(xvi) S.O. 3649(E) published in Gazette of India dated 12th December, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 11 in the State of Rajasthan.

(xvii) S.O. 3665(E) published in Gazette of India dated 13th December, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 11 in the State of Rajasthan.

(xviii) S.O. 3651(E) published in Gazette of India dated 12th December, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 11 in the State of Rajasthan.

(xix) S.O. 458(E) published in Gazette of India dated 18th February, 2013, authorising the Revenue Divisional Officer, Nalgonda, as the competent authority to acquire land for building, maintenance,

management and operation of National Highway No. 565 in the State of Andhra Pradesh.

(xx) S.O. 462(E) published in Gazette of India dated 18th February, 2014, authorising the officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 12A (New NH-30) (Chilpi-Simga Section) in the State of Chhattisgarh.

(xxi) S.O. 3315(E) published in Gazette of India dated 2nd November, 2013, authorising the officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 365 in the State of Andhra Pradesh.

(xxii) S.O. 3316(E) published in Gazette of India dated 2nd November, 2013, authorising the Joint Collector, Mahabubnagar, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 765 in the State of Andhra Pradesh.

(xxiii) S.O. 2487(E) published in Gazette of India dated 19th August, 2013, making certain amendments in the Notification No. S.O. 49(E) dated 5th January, 2012.

(xxiv) S.O. 1789(E) published in Gazette of India dated 21st June, 2013, authorising the Joint Collector, Mahabubnagar, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 75E (Rewa-Sidhi Section) in the State of Madhya Pradesh.

(xxv) S.O. 572(E) published in Gazette of India dated 26th February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 71

(Sangruru-Patran Khanauri Road upto Punjab/Haryana Border Section) in the State of Punjab.

(xxvi) S.O. 596(E) published in Gazette of India dated 28th February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 50 in the State of Maharashtra.

(xxvii) S.O. 3319(E) published in Gazette of India dated 2nd November, 2013, authorising the officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 12A in the State of Madhya Pradesh.

(xxviii) S.O. 571(E) published in Gazette of India dated 26th February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 71 (Sangrur-Patran-Khanauri upto Punjab/Haryana Border Section) in the State of Punjab.

(xxix) S.O. 2483(E) published in Gazette of India dated 19th August, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 79 in the State of Rajasthan.

(xxx) S.O. 2492(E) published in Gazette of India dated 19th August, 2013, entrusting Highway Nos. 79 & 113 in the State of Rajasthan to National Highways Authority of India.

(xxxi) S.O. 2734(E) published in Gazette of India dated 10th September, 2013, authorising the Additional Joint Collector, Krishna, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 221 in the State of Andhra Pradesh.

(xxxii) S.O. 644(E) published in Gazette of India dated 4th March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 65 (Nagaur-Jodhpur Section) in the State of Rajasthan.

(xxxiii) S.O. 3652(E) published in Gazette of India dated 12th December, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 11 in the State of Rajasthan.

(xxxiv) S.O. 314(E) published in Gazette of India dated 4th February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 89 (Ajmer-Nagaur Section) in the State of Rajasthan.

(xxxv) S.O. 3083(E) published in Gazette of India dated 9th October, 2013, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8 (Beawar to Baghana Section) in the State of Rajasthan.

(xxxvi) S.O. 3080(E) published in Gazette of India dated 9th October, 2013, authorising the officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 78 in the State of Madhya Pradesh.

(xxxvii) S.O. 459(E) published in Gazette of India dated 18th February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 27 (Mangawan-Chakghat Section) in the State of Madhya Pradesh.

(xxxviii) S.O. 242(E) published in Gazette of India dated 24th January, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 15 (Suratgarh-Sriganganagar Section) in the State of Rajasthan.

(xxxix) S.O. 574(E) published in Gazette of India dated 26th February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 71 (Sangrur-Patran Khanauri Road upto Punjab/Haryana Border Section) in the State of Punjab.

(15) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (x) to (xxxix) of (14) above.

(Placed in Library, See No. LT 1399/16/1

(16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Inland Waterways Authority of India, Noida, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Inland Waterways Authority of India, Noida, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1400/16/14)

12.03 hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
11th to 13th Reports

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee (2014-15):--

(1) Eleventh Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Eightieth Report (15th Lok Sabha) on 'Tatkal and Advance Reservation System in Indian Railways' relating to the Ministry of Railways.

(2) Twelfth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Eighty-second Report (15th Lok Sabha) on 'Sale and Distribution of Imported Pulses' relating to the Ministry of Consumer Affairs and Food and Public Distribution.

(3) Thirteenth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Eighty-first Report (15th Lok Sabha) on 'Fertilizer Subsidy' relating to the Ministry of Chemicals and Fertilizers.

12.03 ½ hrs.

COMMITTEE ON ETHICS

Ist Report

श्री एल.के.आडवाणी (गांधीनगर): महोदया, मैं आचार समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.04 hrs.

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE

Minutes

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): I beg to lay on the Table the minutes (Hindi and English versions) of the First sitting of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House held on 3 December, 2014.

12.04 ½ hrs.

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE

1st to 3rd Reports

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : मैं कृषि संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(1) खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के 57वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाही के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का पहला प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014- 2015) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का दूसरा प्रतिवेदन।

(3) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का तीसरा प्रतिवेदन।

12.05 hrs.

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS
1st to 3rd Reports

SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Railways:-

(1) First Report on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 21st Report of the Standing Committee on Railways (15th Lok Sabha) on 'Major Railway Accidents during the last five years – Causes and Remedial Measures'.

(2) Second Report on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 25th Report of the Standing Committee on Railways (15th Lok Sabha) on 'Ongoing and Pending Railway Projects, with special emphasis on Projects in the Northeast Region'.

(3) Third Report on 'Demands for Grants 2014-15 of the Ministry of Railways'.

(ii) Statements

SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): I beg to lay on the table the following Statements (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Railways:-

(1) Action Taken by Government on the recommendations contained in Chapter-I of the 22nd Report of the Standing Committee on Railways (15th Lok Sabha) on Action Taken by Government on the recommendations contained in the 20th Report of Standing Committee on Railways (15th Lok Sabha) on 'Demands for Grants – 2013-14 of the Ministry of Railways'.

(2) Action Taken by Government on the recommendations contained in Chapter I and Chapter V of the 24th Report of the Standing Committee on Railways (15th Lok Sabha) on Action Taken by Government on the recommendations contained in the 19th Report of Standing Committee on Railways (15th Lok Sabha) on 'Passenger Amenities and Passenger Safety in Indian Railways'.

12.06 hrs.

STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT

1st to 3rd Reports

SHRI PINAKI MISRA (PURI): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Urban Development:-

(1) First Report on 'Demands for Grants (2014-2015)' of the Ministry of Urban Development.

(2) Second Report on 'Demands for Grants (2014-2015)' of the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation.

(3) Third Report on Action Taken by the Government on the Recommendations contained in the Thirty-first Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Urban Development on the subject, 'Functioning of Delhi Development Authority (DDA) particularly with reference to affordable houses in Delhi and its role in regularization of unauthorized colonies in Delhi and matters connected thereto', of the Ministry of Urban Development.

12.06 ½ hrs.

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS
3rd Report

SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): I beg to present the Third Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants 2014-15 of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Fertilizers).

12.06 ¾ hrs.

STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS
181st Report

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं संघ राज्यक्षेत्रों (दमन और दीव, दादर और नागर हवेली और चंडीगढ) के प्रशासन के बारे में समिति के 180वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 181वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.07 hrs.

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 9 DATED 24TH NOVEMBER, 2014 REGARDING RESERVATION FOR WOMEN JUDGES ALONGWITH REASONS FOR DELAY

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): I beg to make statement (i) correcting the reply given on 24 November, 2014 to Unstarred Question No. 9 asked by Sarvashri Ram Charitra Nishad and Ravindra Kumar Pandey, MPs, regarding 'Reservation for Women Judges' and (ii) giving reasons for delay in correcting the reply.

(i)

Part of the Annexure		For	Read
Sl. No.8	Gujarat	--	03
Sl. No.14	Madhya Pradesh	01	02
Total		55	59

(ii) In the Annexure the number of women Judges as on 10.11.2014 in the High Courts of Gujarat and Madhya Pradesh were shown as "nil" and "01" respectively. During review it was noticed that the number of women Judges as on 10.11.2014 in the High Courts of Gujarat and Madhya Pradesh were "3" and "2" respectively. Accordingly, a correcting statement has been put up. Delay in sincerely regretted.

(Placed in Library, See No. LT 1401/16/14)

12.07 ½ hrs.

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 29th Report of the Standing Committee on Energy on 'Availablity of identified Non-conventional Resources of Energy-their potential vis-à-vis Utilization', pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL): Madam Speaker, I beg to lay this statement on the status of implementation of the recommendations contained in the 29th Report of the Standing Committee on Energy in pursuance of the Direction 73-A of the hon. Speaker, Lok Sabha vide Lok Sabha Bulletin Part-II dated 1st September, 2004.

The 29th Report of the Standing Committee on Energy was presented to the Lok Sabha on 24th August, 2012. The Report relates to availability of Identified Non-Conventional resources of Energy – their Potential vis-à-vis Utilization by the Ministry of New and Renewable Energy for 2011-12.

Action Taken Statement on the recommendations/observations contained in the 29th Report of the Committee had been sent to the Standing committee on Energy on 23rd November, 2012.

There were 14 recommendations made by the Committee in the said Report where action was called for on the part of the Government. These recommendations pertain to potential and utilization of renewable energy sources such as Wind Energy, Small Hydro Power, Solar Energy, Biomass, Urban and Industrial Waste to Energy, Geo-Thermal Energy, Tidal Energy and Research and Development on Renewable Energy.

The present status of implementation of the various recommendations made by the Committee is indicated in the annexure to my Statement, which is laid on

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 1402/16/14.

the Table of the House. I would not like to take the valuable time of the House to read out the contents of this Annexure. I would request that these may please be considered as read.

12.08 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Situation arising out of hike in Prices of Life Saving Drugs and Prevalence of Spurious Drugs resulting in serious health hazard

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : अध्यक्ष महोदया, मैं रसायन और उर्वरक मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाती हूं और प्रार्थना करती हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :

> "जीवन रक्षक औषधियों की कीमतों में वृद्धि और नकली दवाओं की मौजूदगी के कारण हो रहे गंभीर स्वास्थ्य संकट से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI ANANTHKUMAR): Madam Speaker, pursuant to the announcement of National Pharmaceutical Pricing Policy (NPPP), 2012, the Government has notified Drug (Price Control) Order, 2013 (DPCO 2013) on 15.5.2013 in super-session of DPCO, 1995. There are 680 (628 net) drug formulations related to 348 bulk drugs/active pharmaceutical ingredients with specified dosages and strengths as listed in the National List of Essential Medicines (NLEM), 2011 and included in the Schedule-I of DPCO, 2013. Ceiling price for 509 medicines have so far been fixed under provisions of DPCO, 2013. Significant reduction in prices have been effected on the medicines notified under DPCO, 2013 as compared to the highest price prevailed prior to the announcement of DPCO, 2013. The details of price reduction are as follows:

% reduction with respect to Highest prevailing Price to the Retailer	No. of drugs
0< = 5%	51
5<=10%	46
10<=15%	55
15< = 20%	44
20 < = 25%	65
25< = 30%	57
30<=35%	30
35<=40%	34
Above 40%	127
Total	509

As per Para 13 (1) of DPCO, 2013, all the existing manufacturers of scheduled formulations, selling the branded or generic or both the versions of scheduled formulations, at a price higher than the ceiling price (plus local taxes as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of all such formulations downward not exceeding the ceiling price (plus local taxes as applicable). Also as per Para 13 (2) of said DPCO, all the existing manufacturers of scheduled formulations, selling the branded or generic or both the versions of scheduled formulations at a price lower than the .ceiling price (plus local taxes as applicable) so fixed and notified by the Government shall maintain their existing 'maximum retail price'.

No person is authorized to sell any such formulation to any consumer at a price higher than that fixed by the Government. In respect of other medicines not covered under scheduled category of DPCO, 2013, the manufacturers are allowed to increase a maximum retail price up to 10 percent annually.

श्रीमती रंजीत रंजन : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर के संबंध में कहना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ में 11 नहीं बल्कि 17 महिलाओं की मौत हुई थी।

माननीय अध्यक्ष : यह सब्जुडिस मैटर है, हाईकोर्ट में है। आप दूसरी बात बोल सकती हैं।

श्रीमती रंजीत रंजन : इसमें लिखा है कि छत्तीसगढ़ में 11 की डैथ हुई। मैं इसी को सुधार रही हूं। It says: " …. death of 11 women who had undergone sterilization procedure at the said family planning camp was reported ..." … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : इसमें लिखा है?

श्रीमती रंजीत रंजन : महोदया, यह मेरे पास है। It is given in the answer. … (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Madam Speaker, in the House she can speak on that … (*Interruptions*)

SHRIMATI RANJEET RANJAN : It says: "Steriiization/Tubectomy operation camp for women was conducted on 08-11-2014 at M/s. Namichand Jain Charitable Hospital …" It is given in the answer. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

SHRI ANANTHKUMAR: Madam Speaker, actually … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अनंत जी, आप बाद में उत्तर दीजिएगा।

SHRI ANANTHKUMAR: Madam, regarding this, actually this notice contains two different questions. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मुझे मालम है, आप बैठिए।

श्रीमती रंजीत रंजन : माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर नहीं देने से ही यह महसूस होता है कि आप कितने गंभीर हैं। …(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No running commentary please.

श्रीमती रंजीत रंजन : माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, कांग्रेस की पॉलिसी को घुमाफिरा कर उत्तर दिया है। मैं आपसे दो-तीन प्रश्न पूछना चाहती हूं। जुलाई में दवा मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण ने 108 दवाओं को मूल्य नियंत्रण में लाने के फैसले पर आपकी सरकार ने सितंबर 2014 में रोक लगा दी। मेरा प्रश्न है कि क्यों रोक लगा दी? हमारी सरकार ने ऑलरेडी एम्स में 200 जैनरिक दवाइयों को फ्री में बंटवाने की सुविधा 2013 में दी थी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आज की तारीख में इसकी क्या हालत है? नकली दवाइयां, दवाओं के दाम बढ़ना, सही इलाज और डॉक्टरों द्वारा लापरवाही, बहुत गंभीर विषय हैं। आज दुनिया में हथियार से जितना मुनाफा होता है उसके बाद सैकेंडरी मुनाफा दवाओं के व्यवसाय और डॉक्टरी पेशे से होता है। यह देखकर बहुत अफसोस होता है कि हमारे देश में दवाई और डॉक्टर, दोनों व्यावसायी पेशा बन गए हैं। मोदी साहब अमेरिका गए और बहुत सी बातें की। 61 दवाओं का पैटेंट 2014

में खत्म हो रहा है। इस पर क्या बात हुई? विश्व में दवाइयों का बहुत बड़ा चैनल नहीं चाहता कि हमारी जैनरिक दवाइयां, जिसे 85 प्रतिशत लोग यूज़ करते हैं या करना चाहते हैं, इन दवाइयों का उपभोक्ता भारत में हो। मुझे आश्चर्य होता है कि यू.ए.ई. में इंडिया से 50 प्रतिशत दवाइयाँ जाती हैं, अमेरिका में हमारी दवाइयाँ जाती हैं, लेकिन हम बाहर से दवाइयाँ मंगाते हैं। हमारे देश में दुनिया की कुल आबादी का छठवाँ हिस्सा रहता है। लेकिन पूरे विश्व में स्वास्थ पर खर्च की जाने वाली रकम का एक प्रतिशत ही इंडिया में खर्च करते हैं। अभी दिल्ली में चुनाव है तो आप कहेंगे, मंत्री जी मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यह गंभीर विषय है, आपको दिल्ली में यह जरूर बताना चाहिए कि हम भाषण अच्छा देंगे, वायदे करेंगे, लेकिन बाद में जो पॉलिसी, अभी मैं दवाइयों के रेट पर भी आऊँगी। कैन्सर की दवाइयाँ, जो पहले आठ हजार पाँच सौ रुपए की थीं, वह अब एक लाख आठ हजार रुपए की हो गयी हैं। आप कहेंगे कि कांग्रेस की ऐसी पॉलिसी थी कि हमें बढ़ानी पड़ी। मेरे ख्याल से चुनाव से पहले आपको लोगों से भी कहना चाहिए था कि हम भाषण तो देंगे, लेकिन जिस पॉलिसी को लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही थी, उसी पॉलिसी में हमको आगे बढ़ना है। उसके अलावा हम सक्षम नहीं हैं। यदि आय इसे क्लियर करेंगे, तो जनता तय करेगी कि उन्हें किसकी पॉलिसी पर चलना है, क्योंकि आपने उन्हीं की पॉलिसी का विवरण दिया है।

मैं अध्यक्ष महोदया के माध्यम से मंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर गरीब तीन-चार तरह की दवाइयों से मरता है। महंगी दवाइयों से लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास को ही नुकसान है। अमीर लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि, जेनेरिक दवाइयों की बात छोड़िए, वे विदेश जाकर अपना इलाज करा लेते हैं। हम में से भी बहुत से लोग विदेश ही चले जाते हैं। यदि दवाइयों की बात छोड़ दें तो गरीब तीन-चार तरह के कारणों से मर जाता है। एक, जब वह हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वह सरकारी अस्पताल की सफाई को देखकर मर जाता है, कभी ऑपरेशन का रेट सुनकर मर जाता है, कभी पैर की बीमारी है और पेट का इलाज कर दिया गया, इस कारण से मर जाता है, कभी एक्सपायर्ड दवाई के सेवन से मर जाता है तो कभी नकली दवाइयों के कारण मर जाता है। मैं आपसे इस मेजर इश्यू पर, सबसे पहले जिन दवाइयों के रेट बढ़े हैं, उसे आप क्लियर करें।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग कैंसर की बीमारी से प्रभावित होते हैं। इनमें से एक-तिहाई हर वर्ष मर जाते हैं। वर्ष 2025 तक भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या में पाँच गुना वृद्धि हो जाएगी। कैंसर के जिस दवाई की कीमत पहले आठ हजार पाँच सौ रुपए थी, अब उस दवाई की कीमत एक लाख आठ हजार रुपए हो गयी है। ब्लड प्रैशर, हर्ट डिजीज़ जैसी बीमारियों की दवाएँ, जो पहले 147 रुपए की थी, वह अब 1615 रुपए की हो गयी हैं। रेबीज़ की दवाई, जो पहले 2670 रुपए की थी, अब वह 7000 रुपए की हो गयी है।

टी.बी., मधुमेह, एच.आई.वी. जैसी बीमारियों की दवाओं में भी पाँच से बारह गुना का इज़ाफा हुआ है। वर्ष 2011 के आंकड़े के अनुसार, देश में बीस लाख अट्ठासी हजार लोग एच.आई.वी. से ग्रसित हैं। अमेरिका का ऐसा षडयंत्र है कि जो दवाइयाँ पेटेंट हैं, वे और कहीं नहीं बन सकती हैं।

मैं आपसे तीन-चार बातें कहना चाहूंगी कि आखिर हमारी जरूरत की 85 प्रतिशत का निर्माण हम स्वयं करते हैं। हमारी जेनेरिक दवाइयाँ गुणवत्ता की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरती हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे अस्पतालों में, यह फैक्ट है कि डॉक्टर्स जेनेरिक दवाइयों को नहीं लिखते हैं क्योंकि डॉक्टरी पेशा, एक व्यावसायिक पेशा है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज में 50 लाख रुपए का डोनेशन देकर एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है। डॉक्टर बनने के बाद उसका मेन मकसद रहता है कि दुबारा उन पैसों को कहाँ से अर्जित करें। इनमें से ही, इस तरह की मानसिकता वाले डॉक्टर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चंगुल में आते हैं। वे गिफ्ट, विदेश यात्रा आदि के चंगुल में फंसकर प्रिस्क्रिप्शन में महंगी दवाइयों को प्रेस्क्राइब करते हैं। आखिर हमने आईएमए बनाया, रेगुलेटरी बॉडी बनी डाक्टरों को संरक्षण देने के लिए। हमारे देश में पेशेंट को संरक्षण देने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं है? यूएस में है, यूके में है, वहां पर सीनियर सिटिजन्स का फ्री इलाज होता है। हमारे यहां फ्री इलाज की बात छोड़ दीजिए, अगर सरकारी अस्पतालों में हमें जेनुइन दवाइयां मिल जाएं तो हमारे लिए बहुत रहम की बात होगी। एक व्यक्ति अस्पताल में एंजियोग्राफी कराने गया, उसे डाक्टर में बुलाकर कहा कि आपका स्ट्रिंग लगना है, जल्दी बताओ क्या करना है। उसने कहा, लगा दो। फिर डाक्टर ने पूछा कि कौन सा स्ट्रिंग लगाना है - इंडियन लगाना है या इम्पोर्टेड लगाना है। उस व्यक्ति ने पूछा कि दोनों में फर्क क्या है? तब डाक्टर ने बताया कि इम्पोर्टेड लगाएंगे तो पेशेंट की लाइफ सेफ है, अगर इंडियन लगाएंगे तो कोई गारन्टी नहीं है। क्या हमारे देश का डाक्टर ऐसी मानसिकता से चलेगा? मरता क्या न करता, उस व्यक्ति ने रेट पूछा तो डाक्टर ने बताया कि इंडियन स्ट्रिंग का रेट 40 हजार रुपये है और इम्पोर्टेड स्ट्रिंग का रेट डेढ़ लाख से शुरू होता है। वह व्यक्ति अपनी जमीन, घर और ज्वैलरी बेचकर अपने पेशेंट का इलाज कराता है। आखिर इस सोच को बदलने के लिए कोई गंभीर कानून क्यों नहीं लाया जाता है? आप 85 प्रतिशत जेनेरिक दवाई दे रहे हैं। हमारा देश गरीब देश है, 65 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। ऐसी जेनेरिक दवाई, जिसकी कीमत दस हजार रुपये हो, एक व्यक्ति जिसको सात हजार रुपये तनख्वाह मिलती है, वह उसे कैसे खरीद सकता है। उसके ऊपर हम इतना लोड डाल देते हैं। मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या जेनेरिक दवाइयों के बारे में कोई कानून है कि डाक्टर को जेनेरिक दवाई ही लिखनी है? गांवों में हमारे पीएचसी हैं। एम्स के बारे में मैं पढ़ रही थी कि 200 दवाइयां मुफ्त में बांटने की बात आई कि हर दिन 20 करोड़ का टारगेट लिया गया है, लेकिन हमारे पास इतने सुव्यवस्थित अस्पताल ही नहीं हैं जिनमें हम दवाइयों को मुफ्त में बांट सकें। मैं इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगी।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि आप पता करें कि क्या एम्स में वे मुफ्त दवाइयां बंट रही हैं? हर जिले में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल और पीएचसी हैं, वहां सारी दवाइयों को बेच दिया जाता है। इसकी इनक्वायरी होनी चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल और पीएचसी में जो दवाइयां खरीदी जाती हैं, उसका इतना बड़ा चैनल है कि दो-तीन महीने पुरानी एक्सपायरी दवाइयां बचती हैं, उनको खरीदा जाता है क्योंकि ऐसी दवाएं दवा विक्रेता द्वारा काफी सस्ते में मिलती हैं और सांठ-गांठ के द्वारा उसमें उन लोगों को काफी कमीशन मिलता है। छत्तीसगढ़ में बहुत दर्दनाक घटना हुई, बस्तर में हुई, उसके बाद बिहार में भी हुई। सबसे पहली बात यह है कि भारत में नसबन्दी का ठेका सिर्फ महिलाओं को दिया गया है? हमारे यहां सर्वे में यह बात सामने आई है कि सिर्फ एक प्रतिशत पुरूष नसबन्दी कराते हैं, जबकि मेडिकल रिसर्च कहती है कि इससे उनके पुरूषार्थ में कोई कमी नहीं आती है। बच्चे पैदा भी महिलाएं करेंगी, बच्चों को पालेंगी भी महिलाएं और जब पापुलेशन कंट्रोल की बात आएगी तो नसबन्दी की जिम्मेदारी भी महिलाओं को दी जाएगी। बहुत शर्म आती है इस बात को कहने में कि टारगेट पूरा करने के लिए ऐसे काम होते हैं। वहां पर जो डाक्टर हैं, उनको 50 हजार नसबन्दी करने के लिए पुरस्कृत भी किया गया, यह कैसा पुरस्कार है कि महिलाओं को जानवर की तरह घसीटकर ले जाया जाता है, जबर्दस्ती नसबन्दी कर दी जाती है। आपने भी मेंशन किया है कि हो सकता है इन्फेक्शन और लो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन की वजह से ऐसी घटना हुई। यह जानकारी आपने उत्तर में दिया है। घटना के बाद मंत्री ने कहा - मैं मंत्री हूं, डाक्टर नहीं हूं। डाक्टर ने कहा - मेरा काम सिर्फ ऑपरेशन करना था, दवा के बारे में दवाई वालों से पूछिए। दवा वालों ने कहा कि दवाई के बारे में दवा विक्रेता से पूछो, दवा उसने दी थी। मेरे ख्याल से हम सभी अपनी-अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जिस अस्पताल में यह घटना हुई, वह अस्पताल पिछले पांच साल से बंद था। तो उसमें किस तरह की सफाई थी, जो आपने ऑपरेशन की सहमति दे दी। मैं पूछना चाहूंगी कि अगर अस्पताल, डॉक्टर, मिनिस्टर जिम्मेदार नहीं है, तो इस घटना का जिम्मेदार कौन है? बगल में ही बस्तर जिला था, वहां भी 13 महिलाएं बेहोश होने लगीं, उन्हें बिलीडिंग होने लगी, उनकी किडनी खराब हो गयी और यह सब कुछ नसबंदी के कारण हुआ। यह कैसा टार्गेट है, जहां पर महिलाओं को इंसान नहीं समझा जाता है। दो भिखारिनों को पकड़ कर ले जाया गया, उनकी जबरदस्ती नसबंदी कर दी गयी, क्योंकि टार्गेट पूरा करना था और उन्हें ग्यारह-ग्यारह सौ रुपये प्रोत्साहन राशि दे दी गयी।

माननीय अध्यक्ष : ताम्रध्वज साहू जी। रंजीता जी, I am sorry. इतना नहीं और वह भी विषय के बाहर आप बोल रही हैं, यह नसबंदी पर चर्चा नहीं है।

श्रीमती रंजीत रंजन : अध्यक्षा जी, मैं एक मिनट और लेना चाहूंगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि हमारे देश में नकली दवाएं, एक्सपायरी दवाएं, लोगों को जानवर से बदतर समझना, ं आम बात हो गयी है। मरीज के पेट में, डॉक्टर कभी कैंची छोड़ देता है, कभी तौलिया छोड़ देता है, तो क्या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसे जिम्मेदार ठहराया जाए। भारत में, रैगुलेटरी बॉडी, मरीज के संरक्षण के लिए, जरुर आनी चाहिए। पैथोलॉजी पर आनी चाहिए, नर्सिंग होम पर आनी चाहिए, प्राइवेट डॉक्टर्स पर आनी चाहिए, ताकि एक ऐसी स्वतंत्र बॉडी बने, जो पैनी नजर रख सके कि आखिर हमारे डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं?

अध्यक्षा जी, मेरा निवेदन है कि आप इसे नियम 193 में लें और इस पर बहस कराएं कि हमारे यहां के डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं हैं? हमारा यह पेशा व्यवसायीकरण की ओर क्यों चला गया? मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगी कि राजनीति अलग है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की जान-माल और हिंदुस्तान को स्वस्थ रखने का जिम्मा इस विभाग पर है, इसलिए इसे नियम 193 में लेकर इस पर बहस कराएं।

माननीय अध्यक्ष : नियम 193 की बाद में बात करेंगे। कुमारी सुष्मिता देव। रंजीता जी, आप बैठ जाइये।

श्रीमती रंजीत रंजन : अध्यक्षा जी, वाइंड-अप तो करने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : मैं यहां बैठी हूं, टाइम भी देख रही हूं, आधा-आधा घंटा ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं करते हैं। आपको कितनी बार बोला है। इस पर आधा घंटा, पौन घंटा चर्चा के लिए नहीं है, यह कॉलिंग-अटेंशन है, इसे जितना होना हो, उतना ही होना चाहिए।

श्रीमती रंजीत रंजन : अध्यक्षा जी, आप भी एक महिला हैं, इसलिए महिला होने के नाते मैं आपसे कहना चाहूंगी।

माननीय अध्यक्ष : मालूम है, आप बहुत गभीर विषय उठा रही हैं, मैं मना नहीं कर रही हूं, लेकिन कॉलिंग-अटेंशन को उसी के तरीके से करो।

श्रीमती रंजीत रंजन : मेरा कहना है कि 61 दवाइयों का जो पेटेंट अभी खत्म हुआ है, दुबारा पेटेंट होना है, हमारे मोदी साहब अमरीका जाकर बात करके आये।

माननीय अध्यक्ष : प्लीज-प्लीज, कहीं का कुछ सवाल नहीं। कुमारी सुष्मिता देव।

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

---

* Not recorded.

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): Madam Speaker, the hon. Minister for Chemical and Fertilizer has given a statement on the Floor of the House. He is referring primarily to the Drugs and Cosmetics Act, 1940. But, it is my humble submission that the Act that we should be discussing here today is the Essential Commodities Act, particularly Section 3 and 5 of the Essential Commodities Act. By virtue of it the Government of India regulates the price of life saving drugs and essential drugs.

Historically, in 1997 the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) was set up. In 2012, the Supreme Court gave a judgement by virtue of which the Government of India was directed to put in place a mechanism by which the price of these essential life saving drugs can be regulated. The DPC of 2013 is the circular through which the UPA Government had delegated this power to the NPPA.

The question before this august House is this. We have seen that on 29 May 2014, the NPPA meeting was held and a decision was taken and 108 drugs -- which affect Cancer patients, Diabetic patients, HIV / AIDS patients, and Blood Pressure patients -- were brought under pricing control. Consequently, on 10 July, an order was issued. As a result of this order of the Authority, lakhs and lakhs of patients who suffer from Cancer, Diabetes, etc. could avail of this policy, and the prices were controlled. But on 22 September 2014, incidentally or otherwise, a few days before the hon. Prime Minister left for the USA, the 29 May 2014 guideline was retracted by the Government. This is despite the fact that certain pharmaceutical companied had filed two petitions in the High Court of Delhi and in the Bombay High Court challenging this order, but this Government did not deem it proper to wait for the courts to adjudicate on this issue.

माननीय अध्यक्ष : इतना लम्बा भाषण नहीं देते हैं।

KUMARI SUSHMITA DEV : Madam, it is a cause of concern, and we bring it up in this House of Parliament. The reason for it is the recent Bilaspur incident, which has shown that spurious medicines can lead to deaths. One cause of contaminated

and spurious medicines is price rise, and 2.2 per cent of people in India, due to high expenses of medicines, go below poverty line in this country. In these circumstances, our question must be answered by the hon. Minister, through you, which is not addressed in this statement. Should there not be a statutory authority? Should not the NPPA be made a statutory authority to stop Government interference? Repeatedly, this Government is interfering in the works of various autonomous bodies. In this case, it is extremely important because it is not clear to me that सात जुलाई का जो ऑर्डर था, वह उन्होंने रिकॉल किया है या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंटरनल गाइडलाइन को इन्होंने रिकॉल किया है। The message is that this body has been rendered defunct.

आप अगर पैरा 19 देखेंगे, the DPCO 2013 says that in greater public interest and in exceptional circumstances this NPPA can go outside the schedule and put non-scheduled drugs under the drug pricing control policy, which this authority did in greater public interest. Two Affidavits are pending by NPPA, which clearly justifies this move, but this Government, arbitrarily, has gone and revised that guideline, which has had a huge impact.

I am making the last point, and I will not take more time. Shrimati Ranjeet Ranjan made a mention of this issue, and the hon. Health Minister is also seated now in this House. The incident that happened in Bilaspur calls for a new focus of sustainable development. Population is a challenge, but dignity of a woman is a greater challenge for this nation. A sterilization camp, in which, people who were attending to them did not bother to change their gloves and where 86 women were operated, that is, one and a half minutes each and there was no time to sterilize the equipment. We need a re-look at our family planning programme. Thank you, Madam.

SHRI FEROZE VARUN GANDHI (SULTANPUR): Madam, the first hon. Member who spoke, Smt. Ranjeet Ranjan, said twice that there is a drug which has gone up from Rs. 8,500 to Rs. 1,08,000. Madam, this is patently untrue.

माननीय अध्यक्ष :आप अपनी बात रखिए। उसका जवाब मंत्री जी देंगे।

SHRI FEROZE VARUN GANDHI : There was a blog written by a former Minister who has put this on record. He has published this, and because he is not a Member, I need not take his name. I just want to say one thing. I have got a list of 26 drug prices that have remained almost exactly the same, and all 26 drugs are out of 108 drugs on which the NPPA has put price control. These are the essential drugs. Six drugs out of 108 were weight-loss drugs, much as though I would like one of those drugs. The fact remains that it is not important whether their prices go up three per cent or five per cent. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग टोका-टोकी मत कीजिए। इनको बोलने दीजिए, जो वह बोलना चाहते हैं।

SHRI FEROZE VARUN GANDHI : Shri Pappu Yadav is defending his wife very valiantly, Madam. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

SHRI FEROZE VARUN GANDHI : I want to speak on the basis of facts here; I am not speaking on the basis of interpretation.

Madam, the second speaker said that it has been rolled back. Firstly, Madam, the order has not been rolled back; the order stands.

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात रखिए।

SHRI FEROZE VARUN GANDHI : The guidelines that were given state that in the future, before the NPPA, the pharmaceutical pricing authority goes ahead for a blanket price control measure, they are to consult more widely with all stakeholders involved, including the pharmaceutical sector.

Madam, we can achieve nothing in our country by bleeding out the pharmaceutical sector. *The Economist* in 1992 called it the 'dead' sector of India. The same *Economist* has said two years ago that it is the biggest sector to watch out for, for India internationally.

---

* Not recorded.

When we talk about price control, I just want to expand the scope of the debate, Madam…

माननीय अध्यक्ष : वरुण जी, आप अपने क्लेरिफिकेशंस पूछिए।

SHRI FEROZE VARUN GANDHI : The price control started with 347 drugs, which was 96 per cent of all Indian medicines, in 1978. We then went down to 142, which was in 1986. In 1995, we went down to 74, and now we have made an attempt to go back further. Price control led to a very muted investment, very little R&D and very little capital investment, which in fact led to spurious drugs being formed because nobody wanted to invest their money in producing high quality drugs for our country. It led to non-availability and it led to shortages.

Now, the point is what the Government, in effect, has actually done. The Government has taken a middle road. The Government has said that 800 drugs, not just these 108 drugs, which are absolutely essential for the life and the dignity of the common man, must be maintained. However, the Government has also said that nothing can be achieved by killing the golden goose that we have built up over the years, which is called the pharmaceutical sector.

We cannot adopt a policy of Fabian socialism in 2014. When these socialist policies were adopted and rightfully so, they were done because industries were in their infancy. They needed time to grow; they needed time to expand. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Let him complete and then the Minister will reply. वरुण जी, आप चेयर को एड्रैस करके अपनी बात बोलिए। आपको उनको जवाब नहीं देना है।

…(व्यवधान)

SHRI FEROZE VARUN GANDHI : The pharmaceutical industry is there for the poor people of this country and nobody is saying 'no'.

HON. SPEAKER: You have to seek your clarifications on this issue and that is all.

SHRI FEROZE VARUN GANDHI : We cannot look at this debate as a zero sum debate of price vs. control or affordability vs. innovation. Why can it not be both?

That is all, I am saying. The fact remains that when we talk about rising drug prices, most of the information, that has been put forward is not correct. What is the truth? Firstly, the order has not been rescinded. So, that is incorrect. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : वह मिनिस्टर बोलेंगे, आप अपनी बात बोलिये।

…(व्यवधान)

SHRI FEROZE VARUN GANDHI : Madam, I cannot hear what the hon. Members are saying. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप चेयर को एड्रैस कीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI FEROZE VARUN GANDHI : We are talking about the finite health of the pharmaceutical companies and the infinite health of our country. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Do you have any clarification to seek?

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Varun Ji, you have to address the Chair only. It is not a debate. If you want to ask any clarification, then you can ask that clarification.

… (*Interruptions*)

SHRI FEROZE VARUN GANDHI : I will end by saying that it is not the question of the industries. It is a question of a middle path that has to be taken.… (*Interruptions*) We need to expand the scope of the debate. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Have you asked your clarification?

… (*Interruptions*)

SHRI FEROZE VARUN GANDHI : No, Madam, I have not yet asked… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Varun Ji, please conclude.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

माननीय अध्यक्ष : मैं यहां मौजूद हूं, यहां आपस में क्या हो रहा है?

SHRI FEROZE VARUN GANDHI : I would like to conclude by saying that in the year 2014, we need to have an approach where we protect the poorest amongst us and we must protect those industries which will provide greater employment and greater innovation in R&D. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : रंजीता जी, आप बैठे-बैठे क्या बोल रही हो। महिलाओं की बात गम्भीरता से करती हो तो उस प्रकार से रहो। प्लीज।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: This is for everyone. यह ताली बजाने वाली बात नहीं है, फिर मैं सभी महिलाओं के लिए बोलूंगी।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : आप पुरुषों के लिए भी बोलिये।

माननीय अध्यक्ष : यदि आप सुनोगे तो सबको बोलूंगी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सबको क्या हो गया है?

SHRI ANANTHKUMAR: Thank you Madam for giving me this opportunity to respond to this Calling Attention Notice of Shrimati Ranjeet Ranjan ji, Sahu ji, Sushmita Ji and Varun Gandhi Ji. I also appreciate the concern of all the hon. Members that we should be providing medicines at affordable prices to all the needy patients.

Madam, at the outset, I want to briefly submit before you that it is one of its only kind of Calling Attention Notices which invokes two Ministers in one notice. First part of it is addressed to the Minister of Chemicals and Fertilizers which includes pharmaceuticals and the second part of it addresses to the hon. Minister of Health and Family Welfare.

---

* Not recorded.

Therefore, wherever the issue of spurious drugs and other things come, I would request, through you, our hon. Minister for Health and Family Welfare to intervene and respond to that. As is rightly said, I am the Minister for Pharmacy but spurious drugs come under him… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : वैसे यह अपने आप में एक बात हो गई है, जो कॉलिंग अटेंशन में होनी नहीं चाहिए। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं बात करूंगी।

… (*Interruptions*)

SHRI ANANTHKUMAR: Responding to the concern of all the hon. Members that the prices of drugs should be affordable, I would say that the Narendra Modi Government came into existence on May 26, 2014. Till that time, we had 440 medicines under price control, under DPCO. I am very much happy to place before the hon. House that within six months 175 more drugs and formulations have been added to the Drug Control. It is unprecedented. On May 26, the number of formulations and drugs were 440 and today the total number of drugs under the Drug Price Control is 617. I give the entire credit for this initiative to our hon. Prime Minister's concern for the people of India.

Actually, I would like to give the break-up also. Shrimati Ranjeet was telling about the cancer drugs and other things. I would come to that later. Out of the 47 drugs which are for cancer, nearly three drugs are in Schedule; 22 drugs are in non-Schedule category for Diabetes; 19 drugs are in Schedule category for AIDS and 84 drugs are for cardio-vascular category for which price control has been added. I would also like to assure the hon. House that in the last six months, the price of no drug or no medicine has been hiked. There is no question of sky-rocketing of prices.… (*Interruptions*) Please allow me to speak.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप ऐसा मत करो। या तो प्रश्न पूछो मत, अगर पूछा है तो सुनो।

… (*Interruptions*)

SHRI ANANTHKUMAR: There was a statement by one of the important leaders of the Opposition Party that the price of the cancer drug has been raised from

Rs.8,000 to Rs.1,08000. It is totally false. It is a mis-information campaign. I would give the name of the drug.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपको बैठे-बैठे नहीं बोलना चाहिए। आपने अपनी बात बोल दी है?

SHRI ANANTHKUMAR: I would also request the Shrimati Ranjeetji that when she adorns the chair she can be intervening like this.

The price of cancer drug Glivec is Rs.8,452.38 for 30 tablets. Later in the speeches of that important leader, whose name I do not want to mention because I think he got confused on the drug for cancer, he said that the price was Rs.1,08,000. Some newspapers also published it which is echoing in this hon. House. The price was earlier Rs.8,500 but now it is Rs.8,452.38.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): So, it has come down.

SHRI ANANTHKUMAR: It is in the same range. What happens is that some of the drugs are linked with the WPI and, therefore, some small variation will be there. … (*Interruptions*)

Regarding another drug Plavix, which is cardiovascular drug, it was published in the newspapers alleging that its price had become Rs.1,615 while its MRP in the market is Rs.147.45 for 14 tablets. Therefore, with great humility and full authority I want to place before the hon. Lok Sabha that prices have not been increased, there is no skyrocketing. If at all something has happened, prices of more than 444 drugs have come down under Narendra Modi Government. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आज महिलाएं आपसे बहुत नाराज लगती हैं।सभी नाराज हैं। सुश्रूषा तो महिलाओं को ज्यादा करनी पड़ती है, सही बात है।

…(व्यवधान)

SHRI ANANTHKUMAR: Madam, we have brought two things in to control the prices. One is Integrated Pharmaceutical Database Management System. According to this, every pharmaceutical company has to file Form 5 every quarter. More than 600 companies are already filing these forms. Through these forms we

will be monitoring their quantity, quality, price and all the parameters. One more mechanism the Government of India is conceptualizing and thinking of implementing is setting up of a Price Monitoring Resource Unit in each State. This will be a very progressive step in the direction of price control.

I want to place another fact before the hon. House. Sushmitaji said that we are dabbling with the NPPA. The Government of India is not at all intervening in the National Pharmaceutical Pricing Authority. That is an independent authority. There is the DPCO 2013 under which it works. All the powers of Government of pricing according to Essential Commodities Act have been delegated to it. The Authority has brought in price control for 108 formulations on June 10.

For the information of this august House I would like to say that price control continues, and there is no reversal. Because of that continuance of price control, pharmaceutical companies have lost Rs.350 crore and they have gone to the court. Though they have gone to the court, the hon. court has not given any stay order. Therefore, the price control is continuing. Regarding the guidelines that governed Para 19 of DPCO, they have been taken back by the NPPA itself and not under the direction of the Government of India, to revise them to suit the National Pharmaceutical Pricing Policy of 2011. I assure the hon. House that Modi Government's policy will be to provide good quality affordable medicines and formulations to the people of India. There is no question of going back on that.

Regarding the second part of the question, I request Shri Nadda to respond.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यो, एक बात आप ध्यान में रखें कि यह कॉल अटैन्शन वास्तव में दो मिनिस्टर्स के लिए नहीं होता है, लेकिन यह सवाल ऐसा है कि दवाओं की बढ़ती कीमतों के कारण कई बार ऐसा होता है कि नकली दवाएँ बाज़ार में आ जाती हैं। वे सस्ती हों तो और खरीदी जाती हैं तथा उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। दोनों बातें कहीं न कहीं जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। इसलिए इसको प्रिसिडैंस नहीं मानेंगे, आगे ऐसा नहीं होना है। इसलिए हमने कहा है कि अगर नकली दवाओं पर किसी तरह से रोक

लगाने का सरकार का कोई प्रयास हो, इस पर कोई प्रकाश अगर हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डालते हैं तो मैं उनको निवेदन करती हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वे दोनों बातें मैंने बोली हैं। एक ही वाक्य में मैंने बोला है कि नकली दवाओं पर किस तरीके से कंट्रोल करना है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): माननीय अध्यक्ष महोदया, इस कॉल अटैंशन मोशन पर मैंने सभी सदस्यों के कंसर्न सुने। उनके कंसर्न्स को विभाग सीरियसली महसूस करता है और उन पर जो भी उचित कार्रवाई करनी है, वह हम ज़रूर करेंगे।

दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक तो जो आपने स्पूरियस ड्रग्ज़ के बारे में कहा है, स्पूरियस ड्रग्ज़ की दृष्टि से और एन.एल.ई.एम., जिसके बारे में आदरणीय मंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया कि एक कोर कमेटी हमने बनाई है that is headed by the Director General, Indian Council of Medical Research - इसकी चार सिटिंग्ज़ हो गई हैं। एक सिटिंग की और आवश्यकता है। वह करने के बाद 2015 तक हम स्टैंडर्ड साइंटिफिक तरीके से सभी लोगों के इनपुट्स लेकर, स्टेकहोल्डर्स के इनपुट्स लेकर एक नई लिस्ट जनवरी, 2015 तक डिक्लेयर करने वाले हैं और उसमें हम उस चीज़ को देखने वाले हैं।

जहाँ तक स्पूरियस ड्रग्ज़ का सवाल है, सैन्ट्रल गवर्नमैंट भी और स्टेट ड्रग कंट्रोलर की यूनिट्स भी उसको मॉनीटर करती हैं। इसमें निश्चित रूप से समय-समय पर जैसे-जैसे नई ड्रग्ज़ आती हैं और जिस तरीके से ड्रग्ज़ की सेल है, उसमें नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं जिसके कारण स्पूरियस ड्रग्ज़ की संख्या पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। उसके लिए मैनपावर, इनफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी ऑफ द लैबोरेटरीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है। सरकार इसके बारे में चिंतित भी है और हम इस पर कोई न कोई एक्शन प्रोग्राम भी बनाएँगे, जिसके तरीके से हम इनफ्रास्ट्रक्चर को भी, लैबोरेटरीज़ को भी नियुक्त करेंगे और साथ ही साथ मैनपावर भी, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए मैनपावर की भी आवश्यकता है, इसलिए वह भी हम करने वाले हैं। इसको हम ध्यान में रखेंगे।

एक विषय बार-बार छत्तीसगढ़ का आया है। वह विषय छत्तीसगढ़ का ही नहीं है। वैसा विषय उड़ीसा का भी है, बिहार का भी है, कई राज्यों का है। जहाँ तक कैम्प्स का सवाल है, Camps are not target-oriented. They are demand-driven. लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी घटनाएँ कैम्प्स में हुई हैं, इसलिए हम एक तो एडवाइज़री दे रहे हैं और दूसरा, इसके बारे में पुनर्विचार करते हुए कि कैसे इसको

और इफैक्टिव बनाया जा सके, इसको हम करने वाले हैं। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल था, It is *sub judice* but action has been taken. जैसे ही यह घटना पता चली, केन्द्र सरकार ने अपनी तरफ से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज़ की टीम भेजी जिसने वहाँ जो मैडिकल मैनेजमैंट चल रहा था, उसको देखा है। ऐसी घटनाएँ आगे न घटें, और यह किसी एक स्टेट से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। उसी तरीके से मैडिसिन का विषय भी एक स्टेट से जुड़ा हुआ नहीं है।

13.00 hrs.

छत्तीसगढ़ का जो मेडिसिन का विषय आया है, वह उत्तराखंड में मैनुफैक्चर हो रहा था। लेकिन ऐसा कहीं भी हो रहा हो, इसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार और ज्यादा स्ट्रींजेंट एक्शन लेने के लिए कटिबद्ध है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, the hon. Minister mentioned about sterilization death in Odisha. There has not been a single death in Odisha relating to sterilization. Rather, after the *Janani Yojana* which the Central Government has, the Odisha Government has *Mamata Yojana.* So, we always ensure that delivery always happens at the institution. We do not hold any camps for sterilization.

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्ष जी, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं और आपके द्वारा पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि जेनरिक मेडिसिन की वितरण प्रणाली का मोदी सरकार विस्तार करना चाहती है और पूरे देश में तीन हजार आउटलेट्स खोलने का संकल्प लिया है। हर प्रदेश सरकार को मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, सभी मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों को मैंने पत्र लिखा है कि वे भारत सरकार के साथ एमओयू करें। ऐसा करने से हम उन्हें यहां से जेनरिक मेडिसिन उपलब्ध करवाएंगे। हर सरकारी अस्पताल में एक आउटलेट खुलना चाहिए तथा उस आउटलेट के द्वारा भारत की आम जनता को सस्ते दामों पर दवाई मिलनी चाहिए, यह मोदी सरकार का मकसद है।

(Placed in Library, See No. LT 1403/16/14)

माननीय अध्यक्ष : शून्यकाल शाम को लिया जाएगा।

The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

13.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

14.04 hrs

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Four Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

GOVERNMENT BILLS-Introduced

(i) LOKPAL AND LOKAYUKTAS AND OTHER RELATED LAW (AMENDMENT) BILL, 2014

HON. DEPUTY SPEAKER: Now we will take up Item No. 20.

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 का संशोधन करने तथा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to amend the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 and further to amend the Delhi Special Police Establishment Act, 1946."

The motion was adopted.

डॉ. जितेन्द्र सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

<u>14.05 hrs.</u>

(ii) REGIONAL RURAL BANK (AMENDMENT) BILL, 2014

HON. DEPUTY SPEAKER: Now we will take up Item No.21.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): Sir, on behalf of my senior colleague, Shri Arun Jaitely, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Regional Rural Banks Act, 1976.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Regional Rural Banks Act, 1976."

The motion was adopted.

SHRI JAYANT SINHA: Sir, I introduce the Bill.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, Why are these Bills not being referred to the Standing Committee?

HON. DEPUTY-SPEAKER: This is just the introduction stage.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Now, the Bills have been introduced. When the Bills are introduced, they are referred, by the Chair, to the Standing Committee.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Let the hon. Speaker decide about it in the BAC.

14.06 hrs

MATTERS UNDER RULE 377

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up Matters under Rule 377.

श्री ए.टी. नाना पाटील - उपस्थित नहीं।

(i) Need to include people belonging to Musahar Scheduled Caste community in the list of Scheduled Tribes

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 377 के अधीन बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वैसे तो देश के अन्य प्रान्तों में भी मुसहर व वनमानुष जाति के लोग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश एवं बिहार ही मुख्यत: इनकी निवास भूमि है। वास्तव में ये दोनों एक ही जातियां हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में मुसहरों को वनमानुष के रूप में जाना जाता है, विशेषकर फैजाबाद में। पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जिले में इनकी संख्या 50 हजार से एक लाख तक है। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सरकारों ने मुसहरों को भी अनुसूचित जाति में ही रखा है, जहां प्रतिस्पर्धा न कर पाने की वजह से ये आरक्षण आदि सभी सुविधाओं से पूर्णतया वंचित हैं।

मुसहर समाज के लोगों का खान-पान, रीति-रिवाज, रहन-सहन, शादी-विवाह जनजातीय लोगों से हुबहू मिलते हैं, न कि अनुसूचित जाति के लोगों से मिलते हैं। इनकी बसावट भी दलित बस्तियों की बजाय गांवों के बाहर वाले पहले के वनीय क्षेत्रों में ही हैं। भले ही वनों के कटने से आज वह स्थिति दिखती नहीं। जंगली जानवरों को मार कर खाना, मुख्य धारा के खान-पान से इनकी दूरी आज भी बनी हुई है। ये किसी भी तरह की आधुनिक चिकित्सा से अपरिचित एवं महरूम हैं। इनके जीविकोपार्जन के पारम्परिक साधन समाप्त हो गए हैं। थोड़ा-बहुत सुअर पालन एवं रांची के मजदूरों की तरह ईंट भट्टे पर श्रमिक के रूप में कार्य कर ये किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं।

आजादी के बाद जातियों की श्रेणियां बनाने वाले आयोग ने भी इन्हें विमुक्त जाति में ही रखा, जब कि बाद के जाति सुधार आयोग ने इन्हें विमुक्त जाति से निकाल कर अनुसूचित जाति में डाल दिया। यहां ये अपने से अगड़े दलितों द्वारा हाशिये पर कर दिए गए। तमाम जातियों के लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन स्वाभिमानी "हिन्दू मुसहर," जो माता शबरी, एकलव्य, अंगद, जामवंत, सुग्रीव, हनुमान एवं विरसा मुंडा को अपना आदर्श मानता है, आज भी धर्म परिवर्तन से दूर रहते हुए अपने को हिन्दू धर्म से जोड़े हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह है कि मुसहर वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु मुसहर जाति को अनुसूचित जनजाति में रखा जाए। मुसहर जाति के लोगों का अनिवार्य रूप से एकीकृत निर्णय से अंत्योदय कार्ड बनाया जाए। लौहिया ग्राम, पं. दीनदयाल ग्राम, अम्बेडकर ग्राम जैसी योजनाओं से प्राथमिकता के स्तर पर मुसहर बस्तियों को लाभान्वित किया जाए। गांव सभा की खाली भूमि को उस ग्राम सभा में निवास करने वाली मुसहर आबादी को पट्टा कर खेती आदि के लिए दिया जाए। प्रत्येक मुसहर बस्ती को मुख्य सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाए। मुसहर समाज की बालिग लड़कियों के विवाह हेतु अनिवार्य अनुदान दिया जाए। प्रत्येक बस्ती में अनिवार्य तौर पर जलनिगम द्वारा हैंड पम्प लगवाए जाएं। विद्युतीकरण एवं सौर ऊर्जा द्वारा हर बस्ती को रोशन किया जाए। प्रत्येक बस्ती में एक शेडदार सार्वजनिक हाल बनाया जाए। मुसहर समाज के शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता से सरकारी नौकरियां दी जाएं। प्रत्येक बस्ती के लोगों को विधवा, वृद्धावस्था, विकलांग व समाजवादी पेंशन अनिवार्य तौर पर दी जाए। प्रत्येक बस्ती में बालवाड़ी केन्द्र खोला जाए। हर मुसहर का नि:शुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाए एवं इनको पूरी शिक्षा नि:शुल्क दी जाए।

श्री विद्युत वरण महतो - उपस्थित नहीं।
श्रीमती रेखा वर्मा - उपस्थित नहीं।
श्री नाना पटोले - उपस्थित नहीं।

(ii) Need to set up a laboratory at B.J. Medical College, Ahmedabad, Gujarat on the lines of National Institute of Virology, Pune

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि गुजरात राज्य पिछले कुछ समय से विभिन्न बीमारियों, जो कि मुख्यतः चांदीपुरा वायरस किमीयन कोन्गो हेमरेजीक फीवर (Chandipura Virus, Crimean Congo hemorrhagic Fever Virus) व अन्य विषाणुजनित बीमारियों, से प्रभावित रहा है। गुजरात सरकार को नये विषाणु की जांच के लिए अक्सर सैंपल को जांच हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, पुणे अथवा नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, नई दिल्ली भेजना पड़ता है, क्योंकि गुजरात राज्य में अपनी कोई लैब नहीं है। जिसके कारण कई बार विषाणु की जांच एवं उसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने में काफी देरी हो जाती है। आज समय की मांग है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, पुणे अथवा नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, नई दिल्ली जैसी

विश्वस्तरीय लैब गुजरात में खोली जाए, जिससे विभिन्न विषाणुजनित संक्रमणता को काबू में रखकर रूग्णता एवं मुत्यु दर को कम किया जा सके।

मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि गुजरात सरकार ने राज्य में लैब खोले जाने हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को उपरोक्त सम्बन्ध में फरवरी, 2012 में प्रस्ताव भेजा। जिसके बाद आई0सी0एम0आर0 ने बी0जे0 मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद में उपरोक्त लैब स्थापित करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की। परन्तु उपरोक्त परियोजना अभी भी प्रस्ताव स्तर तक ही सीमित है।

मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह स्वयं इस दिशा में हस्तक्षेप करते हुए जनहित में बी0जे0 मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी की तर्ज पर लैब अविलम्ब स्थापित किये जाने का कष्ट करे।

(iii) Need to include people belonging to Scheduled Caste Bengali community living in Uttarakhand and Uttar Pradesh in the list of Scheduled Castes

श्री भगत सिंह कोश्यारी (नैनीताल - उधम सिंह नगर): उत्तराखंड / उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में पूर्वी बंगाल से बहुत बड़ी संख्या में विस्थापित बंगाली आकर बसे हैं। उनमें से अधिकांश बंगाली नमो, शूद्र या पौण्ड जाति के अनुसूचित हैं। ये विश्वास, मंडल, सरकार, हलधर आदि उप जातियों में विभक्त हैं। इन सभी की मांग है कि इन्हें नमो, शूद्र अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान किया जाए। उत्तराखंड सरकार ने पूर्व में इस संबंध में विधान सभा से एक प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजा है, अभी तक इन जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिला।

अतः मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में निवास कर रहे उक्त बंगालियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए।

(iv) Need to extend Train No. 64904 running between Delhi and Mathura upto Bharatpur, Rajasthan

श्री बहादुर सिंह कोली (भरतपुर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर के दैनिक यात्री एवं व्यापारी वर्ग जो प्रतिदिन दिल्ली आता जाता है, उनके लिए भरतपुर से दिल्ली के लिए कोई उपयुक्त ट्रेन नहीं है। भरतपुर संभाग मुख्यालय है। यहाँ से प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में यात्री एवं व्यापारी दिल्ली के लिए आते-जाते हैं। भरतपुर का बयाना क्षेत्र पत्थर व्यवसाय का बहुत बड़ा व्यापारिक केन्द्र है तथा इस क्षेत्र में पान की खेती होती है एवं इसे प्रतिदिन दिल्ली बिक्री के लिए लाया जाता है, दिल्ली के लिए कोई उपयुक्त ट्रेन नहीं होने के कारण बहुत परेशानी होती है। भारतीय रेल द्वारा दिल्ली से सांय 5: 30 बजे चलकर ई.एम.यू. मथुरा शटल संख्या 64904 नियमित चलती है, जो मथुरा जंक्शन पर सांय 8:30 बजे पहुँचकर खड़ी हो जाती है। इस ट्रेन को भरतपुर जंक्शन तक चलाया जाए, जो मथुरा जंक्शन की जगह सांय 9: 00 बजे तक भरतपुर जंक्शन पहुँचकर रात्रि को भरतपुर जंक्शन पर ही खड़ी हो व सुबह 4: 30 बजे भरतपुर जंक्शन से चलकर मथुरा जंक्शन से अपने पूर्व निर्धारित समयानुसार रवाना हो सकती है। इस समय मथुरा-भरतपुर ट्रैक पर कोई गाड़ी नहीं होती है, जिससे कोई अन्य बदलाव नहीं करना पड़ेगा।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि ई.एम.यू. मथुरा शटल को भरतपुर जंक्शन तक चलाया जाए, जिससे विभाग को भी लाभ होगा व आम जनता की समस्या का भी समाधान हो सकेगा।

(v) Need to take adequate measures for socio-economic welfare of differently-abled persons in the country

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : महोदय, आज हमारे देश में 3 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी रूप में विकलांग हैं। उचित साधन, सुविधाएँ और मौके के अभाव में ये लोग समाज से अपने आपको अलग महसूस करते हैं। दूसरों पर निर्भरता से वे अपना आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मानजनक जीवन जीने की आशा खो देते हैं। ऐसे लोग जल्द ही हताशा का शिकार हो जाते हैं। हम अगर उनको उचित सुविधाएँ मुहैया कराएं, जिससे वे आत्मनिर्भर बनें, उनका सशक्तीकरण हो, तो वे जाग उठेंगे। ऐसा अनेकों बार हुआ है कि मौका और सुविधा प्रदान करने से कमजोर समझे जाने वाले लोगों ने असम्भव को सम्भव कर दिखाया। उनको शिक्षा और रोजगार का अवसर प्रदान करने की जरूरत है।

इन सभी बातों के साथ मैं इस जनहित के मुद्दे को संसद के इस सदन में रखना चाहता हूँ और उनके सशक्तीकरण और कल्याण के लिए अति आवश्यक कदम उठाने की माँग करता हूँ।

(vi) Need to ensure equal educational standards in all the schools and colleges in the country

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान में सबके लिए जहां समान कानून व समान शिक्षा का प्रावधान है वहीं शिक्षा का स्तर भी सबके लिए समान होना चाहिए। दुर्भाग्यवश गुलामी के दिनों में ईस्ट इंडिया कम्पनी के राज्य में लॉर्ड मैकाले द्वारा ऐसी शिक्षा व्यवस्था का आरम्भ किया गया था जिसका उद्देश्य ही देश में पाश्चात्य संस्कृति के मानने वाले और गुलाम मनोवृति के लोग तैयार करना था। उस शिक्षा व्यवस्था में सम्पन्न लोगों के लिए अलग स्कूल और सामान्य लोगों के लिए अलग स्कूल की व्यवस्था थी जो आज भी चल रही है। देश की आजादी और विकास की एक कसौटी यह भी है कि जब सब लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की बात करेंगे। आज की व्यवस्था में गरीब और अमीर का भेद जहां बच्चों में उच्चता व हीनता की भावना पैदा करता है वहां समाज में एकता सूत्र को भेदने का भी काम करता है। हमारी संस्कृति में तो राजा और रंक के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। सही शिक्षा तो समस्याओं के समाधान का दूसरा नाम है, "सा शिक्षा या विमुक्ति"। भगवान के दिये हुए बच्चों में गरीबी और अमीरी का भेद करना न केवल एक पाप है अपितु शासकों व योजनाकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। मेरे क्षेत्र बागपत में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत व सरकारी अधिकारियों की

उपेक्षा के कारण शिक्षा स्तर बहुत गिर गया है। अधिकतर बच्चे जो सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ते हैं, वे नकल का सहारा लेकर के डिग्री और डिप्लोमा लेते हैं जिससे उन्हें आजकल के प्रतियोगिता युग में कोई रोजगार मिलना भी अत्यन्त कठिन है। इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में और विशेषकर बागपत लोक सभा क्षेत्र में युवाओं में अपराधीकारण बढ़ रहा है उससे न केवल युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है अपितु कानून का पालन करने वाले लोगों को तथ दिल्ली जैसे राजधानी को भी इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। क्या माननीय शिक्षा मंत्री व भारत सरकार शिक्षा के दोहरे मापदण्ड व व्यवस्था को खत्म करने की कोई योजना तैयार कर रही है।

(vii) Need to construct an approach road to Swarnagiri Fort in Jalore District, Rajasthan

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र स्थित जालौर जिले का स्वर्णगिरि दुर्ग एक हजार साल का ऐतिहासिक वैभव समेटे हुए है। इस दुर्ग से स्थापत्य कला का सौन्दर्य झलकता है। जालौर का स्वर्णगिरि दुर्ग शौर्य व देशभक्ति का अनुकरणीय उदाहरण है। मुस्लिम आक्रांताओं ने जब जालौर पर आक्रमण किया तो वे असफल रहे और काफी समय बाद वे इस दुर्ग पर कब्जा कर सके थे। यह स्वर्णगिरि दुर्ग जिला का प्रमुख पर्यटन स्थल है लेकिन इस ऐतिहासिक स्थल तक पहुंचने के लिए कोई भी सुगम रास्ता नहीं है। दुर्ग तक पहुंचने के लिए 2 हजार सीढ़ियों की दुर्गम चढ़ाई है। इस स्थिति में बाहर से यहां आने वाले लोग या पर्यटक यहां नहीं पहुंच सकते। इसके लिए दुर्ग तक एप्रोच रोड जरूरी है।

अतः जालोर जिला में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक स्वर्णगिरि दुर्ग तक एप्रोच रोड का निर्माण केन्द्रीय सड़क निधि से करवाने का श्रम करें।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Nandi Yellai – not present; Shri P.R. Senthilnathan – not present.

(viii) **Need to inter-link Palar and Pennaiyar rivers in Tamil Nadu**

SHRI B. SENGUTTUVAN (VELLORE): River Palar flows across my constituency, Vellore, to a distance of nearly 100 kms. The river is the source of drinking water to millions of people. During monsoons, when adequate rainfall is received, the water of the River is used to replenish hundreds of tanks and lakes on either side of its banks all through the entire length of my constituency. However, due to inadequate rainfall in the catchment area and due to construction of check dams at various places across the river in Karnataka and Andhra Pradesh, there has not been any water flow in the river in the past ten years. Due to the river going dry, the agricultural operation in Vellore District has come to an end and every town in the constituency is facing chronic drinking water shortage problem. Come summer, this assumes unmanageable proportions. In order to overcome these problems, the National Water Development Authority as well the Public Works Departments of the State of Tamil Nadu have suggested linking-up of Pennaiyar with Palar whereby the surplus water of Pennaiyar to an extent of 9.3 TMC discharged into Bay of Bengal annually could be diverted and drained into Palar. The Project Report envisages the construction of a canal to a distance of 54 kms. connecting the Pennaiyar at Nedungal Anaicut to Kallar, a tributary of Palar, near Vaniyambadi at a cost of Rs. 253 crore. Presently, the feasibility study appears to have been completed. If this project is completed, it would benefit nearly 2 million people of this arid region with about 99 million cubic metre or 3.5 TMC of water sufficient to cultivate about 9500 hectares and also to overcome the drinking water problem to some extent. Therefore, I urge the Union Ministry for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation to expeditiously complete the Project.

(ix) Need to provide funds for repair and maintenance of roads constructed under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Krishnanagar Parliamentary Constituency, West Bengal

SHRI TAPAS PAUL (KRISHNANAGAR): Fund is required for maintenance of roads under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Phase-I in Krishnanagar Lok Sabha Constituency, Nadia, West Bengal. The roads have been laid badly and are mostly used by the office-goers, school/college going students and specially by the patients visiting hospital. So, these roads are required to be constructed for the benefit of my constituency people.

I would, therefore, request our hon. Prime Minister of India, through you, Sir, to consider the matter and sanction a sum of Rs. 1149.57 lakh so that the maintenance work can be completed and the people of my Krishnanagar Lok Sabha constituency may have a comfortable journey. This is my request. Thank you.

(x) Need to address the problems of jute sector in the country

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): I wish to bring to the notice of the Government that jute industry is reeling under deep crisis due to reduction in demand of jute goods in the last one year. The sad part is that eight jute mills have closed down. We are witnessing severe production cuts across the country resulting in over one lakh jute workers going jobless. West Bengal contributes more than 80 per cent of the total jute production. In West Bengal, 64 jute mills are operating in organized sector employing three lakh workers and supporting forty lakh jute farmers. Nearly forty lakh farming families and twenty five lakh persons are directly involved in this trade. Twenty three lakh farming families are closely engaged in jute cultivation. Of late, jute and allied fibre sector are facing stiff competition from synthetics. Added to this changing climatic condition, shortage of labourers, non-availability of quality seeds, and steep hike of different agricultural inputs have increased the cost of jute production considerably. I would strongly urge the Ministry of Textiles to go through certain policy decisions taken by it which led to the current crisis and address the issue of requirements for packaging of food-grains and sugar by knowing the exact picture from the representatives of Indian Jute Mills Association. Before taking any decision by the Central Government concerning the jute industry, I would strongly urge the Central Government to consult the Indian Jute Mills Association and all other stakeholders and the West Bengal Government. I would like to request the Central Government to support the cause of the jute industry so that placement of orders and production would increase and closed jute mills in West Bengal reopen.

(xi) Need to accord approval to the proposal of Government of Maharashtra for setting up of a 300-bed Super Speciality Hospital at Sambhaji Nagar in Aurangabad Parliamentary Constituency

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद (महाराष्ट्र) अंतर्गत संभाजीनगर तेजी के साथ औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में स्लम बस्तियों की संख्या 170 के करीब है एवं औद्योगिकीकरण से उनकी आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र का एक तिहाई हिस्सा इन स्लम बस्तियों में रह रहा है एवं इन स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल का जिम्मा औरंगाबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन का है। स्लम बस्तियों में बढ़ती जनसंख्या से कारपोरेशन को स्वास्थ्य कार्य में काफी कठिनाई महसूस हो रही है। इस क्षेत्र में एक ही मेडिकल कॉलेज है और प्राइवेट हॉस्पिटल की संख्या कम है जिनकी फीस बहुत ज्यादा है जहां पर गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करवा सकते। मेरे संसदीय क्षेत्र के गरीब लोगों को इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव एवं कमी के कारण इलाज के लिए मुम्बई या पुणे जाना पड़ता है। इस समस्या के समाधान हेतु औरंगाबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन द्वारा पी.पी.पी. मॉडल के आधार पर 300 बिस्तरों वाले एक सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसे महाराष्ट्र सरकार ने जून, 2014 को इस प्रस्ताव को नेशनल हेल्थ मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली को मंजूरी हेतु भेजा है जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद के गरीब लोग अपना इलाज सस्ते में एवं आसानी से करवा सकें।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो पी.पी.पी. मॉडल के आधार पर 300 बिस्तरों वाले एक सुपरस्पेस्लिटी हॉस्पिटल का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है, उसको जल्द से जल्द मंजूर करने की कृपा करें।

(xii) Need to construct an over-bridge or under-pass on Gehri Mandi Jandiala Guru level-crossing in Khadoor Sahib Parliamentary Constituency, Punjab

*SHRI RANJIT SINGH BRAHMPURA (KHADOOR SAHIB): I wish to draw your attention towards the need to construct Rail-Over-Bridge or underpass at Gehri Mandi Jandiala Guru Railway crossing in my Khadoor Sahib, Parliamentary Constituency in Punjab. The railway crossing at Gehri Mandi Jandlala Guru is double track railway crossing and is located on the GT Road and on the route of the North-Western Railway. All trains plying from North to West Pass through this railway crossing. It is the second biggest agriculture Mandi in Pubjab and an important trade centre for paddy, wheat, maize, toria, gram, etc. Several agricultural trading activities between India and Pakistan, especially, loading and unloading of goods are also carried out from this Mandi, as all godowns of Food Corporation of India, Markfed, Railways etc. are located on this railway line. Gehri Mandi is the business hub of the region.

As North-Western railway line crossing at Gehri Mandi Jandiala Guru has high railway traffic, in the absence of a rail over-bridge or underpass, lakhs of people are facing a lot of inconvenience and movement of goods transportation passing through this railway crossing is also adversely affected.

Hence, I request the hon. Minister for Railways for construction of rail over bridge or underpass at the above mentioned railway crossing on an urgent basis.

माननीय उपाध्यक्ष : श्री अक्षय यादव (फ़िरोज़ाबाद) - उपस्थित नहीं।
श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) - उपस्थित नहीं।

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

(xiii) Need to provide adequate power supply in Dhaurahra Parliamentary Constituency in UP

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा ससंदीय क्षेत्र धौरहरा (उत्तर प्रदेश) पूर्णतया ग्रामीण क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में बिजली बहुत कम समय के लिए आती है, यदि आती भी है तो जर्जर व खराब ट्रांसफार्मर के कारण बिजली गांव तक नहीं पहुंच पाती तथा इसका लाभ गांवों को नहीं मिल पाता है। साथ ही जर्जर तार टूटने से आए दिन जान-माल, किसानों की फसलों और पशुओं की मृत्यु व जन-धन की हानि होती रहती है। अभी हमारे क्षेत्र के कस्बा मितौली में विद्युत उपकेन्द्र पर एक व्यक्ति की मृत्यु इसका सामान्य उदाहरण है। साथ ही अधिकारियों की उदासीनता व असंवेदनशीलता प्रतीत होती है। संबंधित अधिकारियों ने इस घटना पर कोई भी कार्यवाही नहीं की, इस पर काफी अमल करने का विषय है और जिन गांवों में बिजली हेतु कार्य चल रहा है, इनकी गुणवत्ता अत्यधिक खराब है तथा काफी लंबे समय से खम्भे ही लगाकर खड़े कर दिए गए हैं। शेष कार्रवाई नहीं हो रही है।

(xiv) Need to provide reservation in jobs, promotions and educational institutions to people belonging to Other Backward Classes and also set up a separate Ministry to look into the issues pertaining to them

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में भारतीय संविधान की धारा 340 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक अधिकार हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के समाज को मंडल आयोग के अनुसार 27 फीसदी आरक्षण के हकदार होने पर भी केन्द्र सरकार से आरक्षण उपलब्ध कराने में अनदेखी हो रही है। 27 फीसदी आरक्षण होने के बावजूद भी देश में ओबीसी समाज को 19 फीसदी आरक्षण देने के सरकारी रिकार्ड दर्ज हैं। इससे ओबीसी समाज को पूरी तरह आरक्षण का लाभ नहीं देने की बात सामने आयी है। शैक्षणिक क्षेत्र में विद्यार्थियों का प्रवेश, डोमिसाइल, क्रीमिलेयर आदि प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में पर्याप्त आरक्षण एवं सुविधा न देने से उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है।

गत छः वर्ष से महाराष्ट्र के विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति अनुदान राशि अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान होकर भविष्य खराब हुआ है। सरकारी नौकरी में पदोन्नति संबंधी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में ओबीसी समाज को छः फीसदी आरक्षण दिया जाता है। इस तरह देश के कई राज्यों में ओबीसी समाज पर अन्याय हो रहा है। वर्ष 1931 से अभी तक इस समाज की जनगणना नहीं होने से उनका विकास नहीं हुआ है, इसलिए यह अन्यायग्रस्त पिछड़े वर्ग के ओबीसी समाज को संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने के लिए स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित करके केन्द्र सरकार को शीघ्रता से कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

14.32 hrs

MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL, 2014– Contd.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now we take up Item No. 23, the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2014. Shrimati Anupriya Patel to continue her speech now.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत मोटर व्हीकल अमेंडमैंट बिल, 2014 का स्वागत करती हूं, क्योंकि यह बिल देश की उस आवाम के हितों को दृष्टिगत करते हुए लाया गया है, जो दलित, पिछड़े और गरीब समुदायों से आते हैं। आज भी वे लोग दिल्ली समेत देश के तमाम राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में स्वंयं रिक्शा चलाकर लोगों और सामान को ढोने का काम करते हैं। चाहे जो भी परिस्थितियां बारिश, आंधी, तूफान, सर्दी या गर्मी हो, इनको यह कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता है, क्योंकि इसी से यह अपने परिवार का पेट पालते हैं।

हमारे देश में इससे ज्यादा अमानवीय कोई और व्यवस्था नहीं हो सकती, जिसमें एक इंसान को स्वयं रिक्शा चलाकर सामान और लोगों को ढोना पड़ता है। आज अगर हमारी सरकार यह बिल ऐसे तमाम लोगों को संदेश देने के लिए लेकर आयी है कि उन्हें भी इंसान की तरह सम्मान से जीवन जीने का अधिकार है तो हम सबको, पूरे सदन को मिलकर इस बिल की संवेदनशीलता को समझते हुए इसे पारित करने के लिए अपना-अपना सहयोग देना चाहिए।

मैंने अपने तमाम विपक्ष के साथियों की दलीलों को सुना है। कुछ साथियों ने कहा कि दिल्ली चुनाव के चलते एक लालीपॉप के रूप में सरकार इस बिल को लायी है। मैं अपने उन साथियों से यही कहना चाहती हूं कि कभी-कभी गरीबों के हित में हमें अपने चुनावी अंकगणित की अवधारणा से ऊपर उठकर सदन में कुछ बिलों को पास करने में सहयोग करना चाहिए। कुछ साथियों ने यह कहकर इस बिल का विरोध किया कि यह ई-कार्ट्स और ई-रिक्शाज ट्रैफिक कंजेशन की समस्या को पैदा करेंगे। उन साथियों से मेरा यही कहना है कि वे ईमानदारी से मुझे जवाब दें कि क्या हमारी दिल्ली या तमाम राज्यों की सड़कों पर जो ट्रैफिक कंजेशन है, उसे बढ़ाने में ई-कार्ट्स और ई-रिक्शाज का योगदान ज्यादा होगा या हमारे जैसे सम्पन्न परिवारों के लोगों का ज्यादा होगा, जहां परिवार के एक-एक सदस्य के पास अपनी-अपनी गाड़ी है? एक ही परिवार दिल्ली की सड़कों पर छः से सात चार पहिया वाहनों से ट्रैफिक कंजेशन को बढ़ाने में योगदान दे रहा है, इसलिए इस आधार पर हमें इस गरीब के हितों को संरक्षित करने वाले बिल का विरोध नहीं करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ साथियों ने यह भी कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से यह सही नहीं है। कई एक्सीडैंट्स होते हैं जो ई-कार्ट्स और ई-रिक्शाज की वजह से हो रहे हैं। इस कारण हाई कोर्ट ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया था। मैं उनसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि ये दुर्घटनाएं केवल ई-रिक्शाज और ई-कार्ट्स से होती हैं? क्या वे कारों, ट्रेनों से नहीं होतीं? क्या एयरप्लेन क्रैश नहीं करता? उन्हें तो हम बंद नहीं करते? अगर हम उन्हें बंद नहीं करते, तो ये ई-कार्ट और ई-रिक्शा, जो गरीबों से जुड़ा हुआ है, जिसे गरीब चलाते हैं, जिससे गरीब की आमदनी होती है, उसे हम इस आधार पर क्यों रोकना चाहते हैं कि उससे सुरक्षा की समस्याएं पैदा होंगी? जहां तक सुरक्षा की बात है, हमारी सरकार इसके लिए पहले से ही बहुत जागरुक है। सरकार ने ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट, लाइसेंस, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और वैलिडिटी आफ फिटनेस सर्टीफिकेट को अनिवार्य किया है।

कुछ साथियों ने यह कह कर इस बिल का विरोध किया है कि इसे सरकार ला रही है क्योंकि किसी विशेष कंपनी को फायदा पहुंचाना चाहती है। मैं उन साथियों से यही कहना चाहती हूं कि वे अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लें क्योंकि देश में सिर्फ एक ही कंपनी नहीं है जो ई-रिक्शा या ई-कार्ट्स को बनाती है बल्कि ऐसी हजारों कंपनियां हैं। हमें गरीब विरोधी मानसिकता से उबरने की आदत डालनी होगी क्योंकि जब हम सब पब्लिक प्लेटफार्म पर जाते हैं तो हमेशा गरीबों के हक और अधिकार की बात कहते हैं।

कुछ साथियों ने यह दलील दी कि लाइसेंस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की बहुत संभावनाएं हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे दलों के लोग भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं जिन्होंने देश के सामने भ्रष्टाचार के न जाने कितने रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। यह तो वही बात हुई - सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें बहत्तर छेद। हर छेद से एक घोटाला देश के अंदर टपक रहा है। ऐसे साथियों को भ्रष्टाचार के बारे में प्रवचन देने से पहले सोचना चाहिए।

जहां तक लाइसेंसिंग की बात है, सरकार ने इसका सरलीकरण किया है क्योंकि पूर्व में लाइसेंस देने की प्रक्रिया में आठवीं कक्षा तक शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य थी। सरकार ने इस संबंध में अपनी संवेदनशीलता दिखाई है और इस बात को समझा है कि जो लोग ई-कार्ट्स या ई-रिक्शा चलाते हैं, वे दलित, गरीब, पिछड़े समुदाय के लोग हैं, जिनके पास दो वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं है, उन्हें आठवीं की शिक्षा कहां से मिलेगी? सरकार ने गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरलीकरण किया है।

इस बिल को कई साथियों ने स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की बात कही है। मैं समझती हूं कि सरकार ने बिल के समस्त प्रावधानों पर पहले ही विस्तृत अध्ययन कर लिया है। स्टैंडिंग कमेटी को भेजने से यह प्रक्रिया तीन-चार महीने और लंबित हो जाएगी। यह सिर्फ दिल्ली के एक-दो लाख लोगों की रोजी रोटी का सवाल नहीं है, देश के तमाम राज्यों में लगभग एक करोड़ लोग हैं जिनकी रोजी रोटी इससे प्रभावित हो

रही है। स्टैंडिंग कमेटी में इस मामले को भेजकर चार महीने और लंबित करना देश के गरीबों के हित में नहीं है। सरकार पूरी तरह से गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर बिल को लाई है। हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। यह रिक्शा बैटरी संचालित है इसलिए पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। मैं पूरे सदन से अपील करती हूं कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लाखों करोड़ों गरीब, दलित और पिछड़े समुदाय से आने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सहयोग करें और इस बिल को पारित करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, वर्तमान में ई उपसर्ग का इस्तेमाल हर शब्द के साथ हो रहा है। ई-रिक्शा का तात्पर्य उस रिक्शा से है जिसमें बैटरी लगी है। ई-गवर्नेंस, ई-टिकेटिंग और अब ई-रिक्शा। ई-रिक्शा की आवश्यकता का कारण एक अमानवीय प्रथा है जिसमें आदमी ही आदमी को ढोने का काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में अमानवीय प्रचलित प्रथा को हटाने के लिए ई-रिक्शा प्रचलन को बढ़ाना होगा। इसके लिए हाल के कानून में जो भी संशोधन लाए गए हैं, वह कहीं न कहीं अनिवार्य थे।

14.39 hrs. (Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

एक शहर जब कार या गाड़ियां खरीदना तय करता है तो वह गाड़ियां ही खरीदता चला जाता है और इतनी गाड़ियां खरीद लेता है कि चलने की जगह नहीं बचती है। इसी कारण से प्लैनर्स को अलग-अलग सड़क और अलग-अलग जरूरत के अनुसार तरह-तरह के यातायात के साधन खरीदने की अनिवार्यता पर ध्यान देना चाहिए। इसी अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए 276 या 274 जगह दिल्ली में चुनी गई हैं जहां ई-रिक्शा नहीं चलाई जाएगी। लास्ट माइल कनैक्टिविटी की बात लगातार शहर को डिकंजेस्ट करने के लिए की जाती है, उसके लिए ई-रिक्शा अनिवार्य है। अगर आप मेट्रो बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि लोग अधिक-से-अधिक मात्रा में बसों का इस्तेमाल करें, आज ट्रांसपोर्टेशन के लिए मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों की जो हालत है, यातायात के साधनों के लिए, तो उनके पास साधन है- मेट्रो और बसें। ऐसे में जो बसें चल रही थीं, वर्ष 2012 में जिस प्रकार की बसें गैर-लाइसेंस की जगहों पर चल रही थीं और उसके कारण निर्भया वाला हादशा हुआ। अभी गैर-लाइसेंसिंग जगह पर उबर कैब कांड हुआ। ऐसे में जो बेहतरीन तरीका है, शहर को डि-कंजेस करने का और इन सबसे मुक्ति दिलाने का, वह मसला ई-रिक्शा द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। अधिक से अधिक लोग मेट्रो का इस्तेमाल करें और उसके बाद जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, उसे ई-रिक्शा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। यातायात संसाधनों पर रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि अधिकतर लोग पाँच किलोमीटर की रेंज में सबसे अधिक गाड़ी चलाते हैं। पाँच किलोमीटर की वह रेंज है, जिसमें सब्जी खरीदने, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने, कोई सामान लाने या मेट्रो स्टेशन तक आने-जाने की सुविधा के लिए, यदि उन सुविधाओं पर हम ई-रिक्शा को मुकम्मल करें तो बहुत बड़ी मात्रा में हम शहर को डि-कंजेस कर सकते हैं। आज आये दिन जब दिल्ली के अखबारों में खबर छपती है कि दिल्ली सबसे अधिक प्रदूषण के दौर से गुजर रही है तो उसमें भी ग्रीन एनर्जी के तहत ई-रिक्शा बेहतरीन उपाय है। इन दोनों मापदंडों पर ई-रिक्शा परी तरह से खरी उतरती है। इस कारण ई-रिक्शा का प्रावधान अनिवार्य है। मेरे मन में एक और बात है। ई-रिक्शा एक ऐसा माध्यम हो सकती है, जो कहीं न कहीं जेंडर इक्वालिटी भी

लाती है। जेंडर इक्वालिटी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अक्सर रिक्शा चालक एक गरीब तबके का पुरुष होता है। क्योंकि रिक्शा को खींचने के लिए जो शारीरिक क्षमता चाहिए, वह महिलाओं में नहीं होती है। लेकिन यदि ई-रिक्शा की लाइसेंसिंग प्रथा को हम ठीक करें, तो एक सशक्त महिला के लिए ई-रिक्शा आय का एक साधन भी बन सकता है, इसलिए भी ई-रिक्शा भी अनिवार्य है। इन सब विषयों पर जब ई-रिक्शा प्रखरता से खरी उतरती है तो इस विषय को लाइसेंसिंग से जोड़ा जाता है। एक लाख ई-रिक्शा देश भर में चल रही हैं, जिसमें से तकरीबन 91 हजार ई-रिक्शाएँ केवल दिल्ली में चल रही हैं। जब 91 हजार ई-रिक्शाएं दिल्ली में चल रही हैं तो लाइसेंसिंग के बारे में भी, जिसे कोर्ट ने भी कहा, उसका सरलीकरण अतिआवश्यक था। जब कॉमन वेल्थ गेम्स के दिनों में तत्कालीन दिल्ली सरकार ने डी.टी.सी. में भर्ती के लिए नियमों को सरल कर सकती है, कम पढ़े-लिखे लोगों को नौकरी दे सकती है तो ई-रिक्शा चलाने वाले व्यक्तियों के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? इसके खिलाफ दो आर्ग्युमेंट्स दिये गये, एक आर्ग्युमेंट यह दिया गया कि सड़कें कंजेस्ट हो जाएंगी। मेरा यह मानना है कि सड़कें तब कंजेस्ट होती हैं, जब बिना सोचे-समझे फ्लाई-ओवर्स बनाये जाते हैं। फ्लाईओवर्स कभी भी सरफेस एरिया को नहीं बढ़ाते, बल्कि सिर्फ आपको एक रेड लाइट टपा देते हैं। अगर सड़कों को डि-कंजेस्ट करना था तो एलिवेटेड रोड्स की आवश्यकता थी, लेकिन कॉमन वेल्थ गेम्स के दौरान तमाम तरह के घोटाले-घपले हमने देखे। उसी दौरान यह भी देखा कि फ्लाईओवर्स तो बने, लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक डि-कंजेस्ट नहीं हुआ। दिल्ली का ट्रैफिक डि-कंजेस्ट हो सकता है बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा, जिसमें डी.टी.सी. की सरकारी बसें अधिक से अधिक चलायें ताकि कम से कम लोगों को प्राइवेट चार्टर्ड बसों का इस्तेमाल करना पड़े। लास्ट-माइल कनेक्टिविटी बस स्टेशन या मेट्रो स्टेशन से लेकर उनके घर तक ई-रिक्शा के द्वारा हो। ई-रिक्शा के साथ ही, ई-कार्ट भी बहुत आवश्यक है, इससे सामान ढोने का काम होता है। कम से कम संसद में बैठे हुए लोगों के मन में मानवीय भावनाएं जरूर आती होंगी क्योंकि यहां बैठे लोग ज्यादा संवेदनशील तबके के लोग हैं, इसलिए जनता उन्हें चुनकर यहां भेजती है। जनता उन्हें चुनकर भेजती है क्योंकि उन्हें मानवता और अमानवीयता में अंतर पता है। जब एक व्यक्ति सामान ढोने की गाड़ी खींचने का काम करता है तो मुझे लगता है कि अगर वह गाड़ी बैटरी ऑपरेटेड है तो वह सिस्टम को बेहतर करती है और अमानवीय प्रथाओं को समाप्त करती है। इसके विरोध में दूसरा आर्ग्यूमेंट एक्सीडेंट्स का दिया गया है, कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं। मेरा यह मानना है कि अगर आप रोड एक्सीडेंट्स की संख्या हम देखें तो दिल्ली नम्बर एक पर है और वे सभी रोड एक्सीडेंट्स ई-रिक्शा के नहीं हैं, बल्कि बीएमडब्ल्यू से लेकर अन्य तमाम गाड़ियों के हैं। क्या हमने बीएमडब्ल्यू या किसी अन्य गाड़ी को बंद करने का प्रावधान किया या उस पर विचार किया? यदि नहीं, तो ई-रिक्शा, जो एक आम व्यक्ति को उसके घर तक कम पैसों में पहुंचाने का,

प्रदूषण रहित दिल्ली बनाने का और लगभग एक से दो लाख व्यक्तियों के रोजगार का एक सरल माध्यम है, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध जायज नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, वही उसका मालिक बने, इस पर भी सरकार को काम करना चाहिए। इसके लिए बैंक्स से लोन का प्रावधान हो, माइनारिटी विभाग के पास कुछ बजट रहता है, वह बजट स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से उनको बांटा जाए। स्किल डेवलपमेंट विभाग के पास भी कुछ पैसा रहता है, अधिक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस इंटरप्रिन्योरशिप के तहत दिए जाएं, जिससे चालक मालिक बन जाए। इस पर कार्य होना चाहिए।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Chairperson, Sir, I fully support the content of the Bill but strongly oppose the manner in which this Bill was brought before this House because the Bill was not even considered by the Business Advisory Committee and also the Bill has not been referred to the Standing Committee. So, overriding the principles, conventions and customs of this House, this Bill is being brought in this House. Even then, I am supporting this Bill because it is a beneficial legislation as far as the poor auto-rickshaw drivers especially the e-rickshaw drivers are concerned.

Sir, there is only one amendment. The cardinal principle behind the amendment is this. The auto-rickshaw drivers can run their e-rickshaws or e-carts on the roads. But I am having two technical reservations in this matter.

Firstly, the amendment, which is an enabling provision, gives the Government power to make the rules. If we go through the definition, a new Clause has been incorporated as Section 2A. Section 2A, Clause 2 contains the definition of e-cart and e-rickshaw. That is only meant for Section 7(l) and Section 9. That means, the definitions of 'e-rickshaw' and 'e-cart' are not applicable to other provisions of the Motor Vehicles Act, 1988. This is a very material lacuna or defect in this Act because as far as the driving licence of the auto-rickshaw drivers or e-rickshaw drivers are concerned, it is all right. But there are many other provisions. There are 272 provisions in the Motor Vehicles Act. In those provisions also, this definition is not applicable. If you go through the enabling provision, the definition for the purpose of this Section says:

> "e-cart or e-rickshaw" means a special purpose battery powered vehicle of power not exceeding 4000 watts, having three wheels for carrying goods or passengers, as the case may be, for hire or reward, manufactured, constructed or adapted, equipped and maintained in accordance with such specifications, as may be prescribed in this behalf."

So, all the specifications of the vehicle -- its model, its construction as well as adaption and maintenance -- will be determined by the rules, which are to be framed by the appropriate authority or the Government.

But as far as the Motor Vehicles Act is concerned, if you take the case of a car, any private carriage or a public carriage, whatever it may be, its chassis, length and all other things are well explained in the Act itself. But here, in this case, we are enabling the Government to make rules. Here, I would like to suggest that the Parliament's legislative capacity has been taken over by the Executive or by the Government. So, it cannot be accepted on technical grounds.

I am coming to the second point. The main question is this. What about the other provisions of the Motor Vehicles Act? As I have already stated, there are 217 Sections. Section 2 has the definition clause talking about axel weight, contract carriage, goods carriage, light motor vehicles, motor cab, motor car. Definition of manufacture is also there in Section 2. Here Section 2A is incorporated as a new amendment.

Coming to the Chapter 8, it talks about control of traffic, limit of speed, limit of weight, limitation on use, to obey traffic rules and all related things. Then, Section 140 talks about liability without fault. These are very serious provisions in the Motor Vehicles Act. What about the application of these e-rickshaws and e-carts in respect of other provisions, especially in obeying the traffic rules? Is it applicable to these e-carts and e-rickshaws? I am purely on a technical ground and I am not opposing the Bill. I am fully supporting the content of the Bill. But at the same time, I would like to know from the hon. Minister as well as from the Government. Suppose e-cart or e-rickshaw meets with an accident, whether this definition, as per Section 2A would be applicable to those cases also including registration? So, considering that these would come under the purview of the Motor Vehicles Act, whether it is only applicable in the case of driving licence.

The contention or the argument or the allegation, which was made by most of the hon. Members from the Opposition seems to be right because these

provisions of the Bill have been made in a haste. Otherwise, these provisions could have also been incorporated in the amendment so that a comprehensive legislation could be brought, and it would be helping the poor e-rickshaw drivers.

There are so many defects and lacunae in the Bill. But we are only concerned with providing exemption under Section 7 that e-rickshaw and e-cart drivers need not have licence. This is the only provision, which has been incorporated. This is not politics, this is legislation. We are passing a Bill. When we pass all other Bills in the House with due diligence, we have to apply our diligence in this case also. Here, we have the only provision of driving licence. What about other provisions, which have not been answered and addressed?

Sir, I am ready for approving the Bill and I am supporting the contents of the Bill. Though it is for the election purpose, yet at least, it is giving benefit to the poor e-rickshaw drivers and e-cart drivers. So, I am supporting this Bill. But the other facts are also to be taken into consideration as far as other provisions of the Motor Vehicles Act are concerned.

With these words, I conclude and support this Bill. Thank you.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : सभापति महोदय, ई-रिक्शा का जो संशोधन आया है, उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं कल से माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा हूं। ई-रिक्शा सन् 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ। आज जो चुनाव का चश्मा पहन रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जब माननीय नितिन जी मंत्री नहीं थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, उस समय मैं मजदूरों का अध्यक्ष था, उस समय ई-रिक्शा की शुरुआत दिल्ली में हुई थी। मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने इस काम को कानूनी जामा दे दिया है, इसके लिए उन्हें बधाई देनी चाहिए। उन्होंने यह काम तो सन् 2012 में ही शुरु कर दिया था, जिसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं।

दूसरी बात मुझे कहनी है कि टैरी के अलावा, स्टेट अर्बन डिवेलपमेंट एजेंसी (सूडा), उत्तर प्रदेश ने भी इस बात की सिफारिश की थी कि रिक्शा की जगह पर ई-रिक्शा लाया जाए, जो मानवीय आधार पर जरुरी है।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि जिस विलम्ब की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, 24 अप्रैल, 2014 को पहली बैठक हुई थी। 8 अक्टूबर, 2014 को अधिसूचना जीएसआर-709ई जारी हुई, जिसमें ई-रिक्शा और ई-कार्ट को मोटर व्हीकल एक्ट में शामिल किया गया। एफसीआई के गोदाम में पहले सौ किलोग्राम का बोरा होता था, जिसे बाद में पचास किलोग्राम का किया गया। इन रिक्शों पर यदि दो-दो क्वींटल सामान ढो कर पहुंचाने की बात हो रही है, तो यह अच्छा काम हो रहा है। मुझे लगता है कि इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वे यह भी कह रहे थे कि इस बारे में एक्ट में परिवर्तन नहीं हुआ है। चाहे रूल-2 हो या सैक्शन-7(1)(i) हो, लेकिन आप जो कह रहे थे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ई-रिक्शा और ई-कार्ट को एक इंजन क्षमता और सीमित स्पीड के साथ अधिकृत क्षेत्र में चलने की अनुमति तो होगी। साथ ही साथ ई-रिक्शा पंजीकरण की प्रक्रिया के तहत रूल-50(1), 51, 56(2), 57(1) और 62(1) में भी संशोधन है। जिसमें फिटनेस की सारी बातें आती हैं, जो शायद आपकी जानकारी में नहीं होंगी। इसलिए शायद आप इन बातों को कह रहे हैं। अगर इस एक्ट को पूरी तरह से देखेंगे तो इन रूल्स के भीतर भी इस बात का प्रावधान है। आप इस बिल को राजनीतिक कारणों के तहत पारित किया जा रहा है, ऐसा मत मानिए। जब भी कोई एक्ट बनता है तो उसके सारे पक्षों की चिंता की जाती है और वे चिंताएं इसमें की गयी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यदि हमने एक्ट को तरीके से पढ़ा होता, लेकिन जब हमारे मन में दुराग्रह होता है तो हमें लगता है कि यह बहुत गलत काम हो रहा है।

मैं आपसे एक ओर निवेदन करूंगा कि आठवीं पास के बारे में हमारी एक बहन ने यहां कहा। आप सब जानते हैं कि मैं मजदूरों के बीच काम करता हूं और आप भी मजदूरों के बीच काम करते हैं। जब कभी इस तरह की परिस्थितियां सामने आती हैं तो उन परिस्थितियों के आधार पर तकनीक को जोड़ कर उनको

सुविधा देना, समय की मांग है और इस पर बहस इसी आधार पर होनी चाहिए। जहां तक दिल्ली के चुनाव का सवाल है लेकिन चुनाव तो केवल दिल्ली में हो रहे हैं, बाकी क्षेत्रों में जैसे कि पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश है, जहां कई महानगर हैं, जिनमें संकरी-संकरी गलियां हैं, जिनमें बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, वहां के लिए ई-रिक्शा वरदान होगा। ई-कार्ट की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। जब आप एफसीआई के एक सौ किलोग्राम को आपने गलत माना है तो मुझे लगता है कि जो सामान ढोने वाला है, उसके बारे में व्यावहारिक तरीके से विचार होना चाहिए। ऐसे और भी क्षेत्र होंगे जहां आपको इस बात की चिंता करनी होगी कि एक आम आदमी कितना वजन ढो सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि यह अधिनियम इतनी ईमानदारी के साथ लाया गया है जिसके लिए मैं नितिन जी को बधाई देना चाहता हूं। जब वे पार्टी के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने इसकी शुरूआत की थी। मंत्री बनने के बाद उन्होंने इसको कानूनी तौर पर प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं देश के गरीब लोगों की तरफ से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी था।

अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक्ट के बारे में जो विवादित बातें कही गयी हैं, केवल राजनीतिक कारणों से ही इसका विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि एकमत होकर हमें बधाई देनी चाहिए। अभी बहुत से तकनीकी परिवर्तन इसमें होंगे और उन तकनीकी परिवर्तनों में भी सदन को एकजुट होकर राय देनी चाहिए। मैं फिर से मंत्री जी को बधाई देते हुए बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति महोदय, यह सही है कि मंत्री जी बहुत अच्छा बिल लेकर आए हैं। अच्छे इंसान हैं तो अच्छा ही बिल लाएंगे, बेबाक हैं।

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जब चीरा तो कतरा-ए-खूँ न निकला।

महोदय, हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं। हमारा देश जापान, अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों से तुलना किए जाने से परेशान है। हम अपने देश की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखते हैं। हम अपने देश की जनसंख्या को ध्यान में नहीं रखते हैं।

<u>15.00 hrs.</u>

गरीबों की बात करने वालों को याद करना चाहिए कि एक तरफ गांवों में किसानों पर सीलिंग और दूसरी तरफ पूंजीपतियों को अटूट संपत्ति रखने का अधिकार इसमें होगा। वहां गरीबों की बात करना, वहां भ्रष्टाचार समाप्त करना और मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति की परचेजिंग पॉवर जिस देश में अधिक होगी, वह व्यक्ति किसी भी नैतिकता, ईमानदारी को ठगने की क्षमता रख सकता है। माननीय मंत्री जी, आपको याद होगा, रामलीला मैदान में 14 जून को आपने सभा की थी। जब आप ग्रामीण विकास मंत्रालय में थे, तब भी आपकी भावनाएं अच्छी थीं और अब भी अच्छी हैं। मैं आपकी भावनाओं पर चोट नहीं करना चाहता। लेकिन चुनाव के समय ही क्यों? 6 महीने पहले भी हो सकता था, आज भी हो रहा है, सही है। गरीबों की चिंता, ई-रिक्शा की चिंता आपको है। ठीक है, लेकिन अभी उबेर के 400 ड्राईवर भी तो गरीब हैं।

किसी एक घटना के कारण यदि ऐसा हो जाए क्योंकि यह सही है कि किसी ने एक वारदात कर दी। लेकिन उबेर के ड्राईवर भी अमीर नहीं हैं। इसी दिल्ली में पूर्वांचल से आकर अपनी जीविका चलाने वाले जो गरीब लोग हैं, जो ठेला चलाकर, सब्जी बेचकर, जिनको हमेशा विस्थापित कर दिया जाता है, वे कोई अमीर लोग नहीं हैं। क्या नशा और शराब पीकर वाहन चलाने की आज़ादी ड्राईवर को दी जा सकती है? सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं जो होती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि ड्राईवर नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हैं। क्या आप नशे पर पाबंदी नहीं लगाएंगे? सिर्फ सड़क का दोष नहीं दिया जा सकता। ई-रिक्शा चालकों को लाइसेंस मुहैया कराने की आवश्यकता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सिंगल-विंडो क्लिअरेंस होना चाहिए ताकि गरीब चालक दलालों के चंगुल में न फंसे। दूसरे, यदि ई-रिक्शा चालकों को परमिट भी दिया जाता है तो इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि यह परमिट असल चालकों को ही मिले। यह परमिट हस्तान्तरित न हो क्योंकि ऐसा देखा गया है कि चालक आदमी कोई और नौकरी या धंधा कर रहा होता है, प्राय: अपने नाम से परमिट बनवा लेता है और उस परमिट को किसी गरीब चालक को या

किसी जरूरतमंद चालक को बेच देता है। इस मुद्दे को हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ...(व्यवधान) मालिक होगा, यह तो सुनते सुनते हम भी थक गये हैं। ...(व्यवधान) इस प्रक्रिया के सरलीकरण की बात भी आती है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ऐसी किसी भी चीजों में महिलाओं की भागीदारी ई-रिक्शा में अधिक हो और जहां से ई-रिक्शा चलने की शुरुआत होगी, वहां पर बड़ी गाड़ी या टैम्पो न चले और वहां से केवल ई-रिक्शा ही जाएं ताकि ई-रिक्शा अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, इसके लिए क्या सरकार कोई ठोस कानून बना रही है? हमारे माननीय सांसद फ्लाई-ओवर की बात कर रहे थे। एक व्यक्ति के पास चाहे वह राजनेता हो, चाहे पदाधिकारी हो, 5-6 गाड़ियों से कम नहीं हैं। क्या ऐसा कोई कानून होगा जिसमें गाड़ियों की संख्या घटेगी ताकि ये जो दुर्धटनाएं होती हैं और यह जो सड़कों की स्थिति होती है, वह ठीक हो सके?...(व्यवधान)

जब जापान और अमेरिका की बातें आती हैं तो 500-1000 कि.मी. की दूरी में जो वॉल्वो और बड़ी बसें चलती है, क्या उसमें आप टॉयलेट्स की व्यवस्था करेंगे? क्या उसमें चाय, नाश्ते और खाने की व्यवस्था होगी, ताकि ...(व्यवधान) उसमें सुरक्षा पर है और ई-रिक्शा पर भी है।

माननीय मंत्री जी, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, आपने लिखा है कि मोटर, व्हीकल नियम को आपने बहुत कठोर और मजबूत बनाने की बातें कही हैं। आपने कहा है कि रोड पर बसों और टैम्पों में जिस तरह से स्कूल के बच्चों को लादकर लाते और ले जाते हैं, यही एक्सीडैन्ट्स के कारण हैं। मैं चाहूंगा कि यदि आप व्यापक रूप से कुछ करते हैं तो इसमें कमी आ सकती है। आप निश्चित रूप से एक सशक्त कानून बनायें। आप ऐसा कानून बनायें ताकि व्हीकल, मोटर नियम का कोई उल्लंघन न करें। मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपने गरीबों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ई-रिक्शा के चालकों को जो सुविधा प्रदान की है, वह निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : सभापति महोदय, सदन के समक्ष प्रस्तुत सड़क परिवहन व सुरक्षा अधिनियम, 2014 विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करूंगा कि जो 1988 का अधिनियम है, उसे रद्द करके 2014 का जो नया विधेयक हम ला रहे हैं या सदन में जो कानून बना रहे हैं, निश्चित रूप से पुराने कानून में जो लीकेज या ड्राबैक थे, इस कानून के माध्यम से वे क्लियर होने वाले हैं। पूरे देश में सड़क दुर्घटनाओं में 1 लाख 42 हजार लोगों की हर साल मृत्यु होती है। हमने देखा कि जब हम दुनिया की बात करते हैं तो कनाडा, सिंगापुर या जापान जैसे विकासशील देशों का जो कानून है, उस कानून को आधार बनाकर माननीय मंत्री जी इस कानून को लाये हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से हमारे यहां कानून तो बहुत अच्छा है, लेकिन ओवरलोडिंग में जो फाइन की व्यवस्था है, मैं उसमें एक सुधार लाने की विनती करूंगा कि ओवरलोडिंग से रास्तों का खराब होना, ओवरलोडिंग से एक्सीडेन्ट्स होना और ओवरलोडिंग से प्रदूषण आदि होता है, यदि हमें इन सब चीजों से बचना है तो दो हजार या पांच हजार रुपये का फाइन करने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। मैं आपको इससे आगे बढ़कर एक सुझाव देता हूं कि ऐसी गाड़ी का परमिट ही रद्द कर देना चाहिए तो निश्चित रुप से ओवरलोडिंग से जो नुकसान होता है, उससे हम बचेंगे। हम लोग जो गाड़ियां लेते हैं, उनमें हमें एक चीज का प्रावधान करना पड़ेगा कि नई गाड़ी लेने के लिए गाड़ी के नये रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देने के साथ पार्किंग स्पेस का पुट देना होगा। आज यदि हम बड़े शहरों में देखते हैं तो पूरे रोड्स पर गाड़ियां लगाई जाती हैं, जिनसे आम लोगों को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए पार्किंग स्पेस का प्रावधान इस कानून में लाने की जरूरत है। इस कानून में हमें एक प्रावधान और लाना पड़ेगा, आज ड्राइवर और हैल्पर के शोषण के बहुत प्रमाण मिलते हैं। गाड़ियों के जो मालिक होते हैं, वे न तो ड्राइवरों को पीपीएफ की व्यवस्था करते हैं और न उनकी पगार की उचित व्यवस्था होती है। मैं समझता हूं कि अगर इस कानून में ड्राइवर और हैल्पर को हमने सुविधा उपलब्ध करा दी तो निश्चित रूप से एक्सीडेन्ट्स में कमी आयेगी।

सभापति महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ क्योंकि एक अच्छा कानून मंत्री महोदय यहाँ ला रहे हैं। इसके माध्यम से हमारे देश में सड़क परिवहन और सुरक्षा अधिनियम एक अच्छा मज़बूत कानून देश की जनता के लिए जाएगा। मैं इसका समर्थन करता हूँ और अपने दो शब्द पूरे करता हूँ।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल 2014 पर बोलने का मौका दिया।

जहाँ मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल में हम ई-रिक्शा की बात करते हैं, यह बड़ी अहम चीज़ कमेरे वर्ग के लोगों के लिए है क्योंकि जो व्यक्ति आज गाड़ी नहीं खरीद सकता, ऑटो नहीं खरीद सकता क्योंकि वह लाखों रुपये में आती हैं, वह 50-60 हज़ार रुपये की एक रिक्शा लेकर अपना पेट पालने का काम करता है। जहाँ हम ई-रिक्शा की बात करते हैं, हम एक तरफ से ग्रीनरी और पॉल्यूशन मुक्ति की बात भी करते हैं। आदमी द्वारा जो बोझा खींचने की बात है, उस प्रथा को भी खत्म करने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं टैक्नोलॉजी को लाने का, इसका हम स्वागत भी करते हैं। मगर दूसरी ओर बात करें तो हमने दिल्ली से रिक्शा निकाली, उनको सीमित किया कि दिल्ली के चांदनी चौक या जो छोटे-छोटे टुकड़े थे, उनमें जाकर आप रिक्शा चलाइए, पूरी दिल्ली में रिक्शा नहीं चलेगी। वह इसलिए किया था कि दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी थी कि राजधानी दिल्ली नहीं लगती। आज हम बात करें तो दोबारा हमने लाइसैंसेज़ देने हैं, दोबारा ट्रैफिक व्यवस्था हमारे बीच में बढ़ जाएगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ई-रिक्शा को किसी एरिया में वे प्रतिबंधित करने का काम करेंगे या पूरी दिल्ली और पूरे देश में उनको चलने की परमीशन देने का काम करेंगे?

दूसरी ओर जिस तरह मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बारी-बारी एक उल्लेख आपके सामने लाने का काम किया कि UBER का एक इंसीडेंट हमारे सामने कुछ दिन पहले आया। हम ई-रिक्शा चालकों को दस दिन की ट्रेनिंग के बाद एक लाइसैंस दे देंगे और वह कॉमर्शियल लाइसैंस है क्योंकि वह चार लोगों को साथ में सामान को लेकर अपने साथ घूम पाएगा। मगर दूसरी ओर क्या उस ई-रिक्शा पर हम कोई रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का भी काम करेंगे? क्योंकि ऊबर जैसी कोई गलत कार्रवाई यदि किसी ई-रिक्शा चालक द्वारा कर दी गई तो क्या आप दिल्ली की सभी ई-रिक्शों को रोककर उनकी जांच-पड़ताल करने का काम करेंगे? माननीय मंत्री जी इस बात को भी जवाब में स्पष्ट करने का काम करें।

महोदय, सबसे बड़ा कंसर्न जो ई-रिक्शा में सामने आता है, वह यह है कि ई-रिक्शा में चार लोग, एक ड्राइवर और 40 किलो वज़न हम लेकर चल सकते हैं। मगर क्या जो चाइना से इंपोर्ट किया हुआ सामान हमारे देश में आ रहा है, ई-रिक्शा को असैम्बल करने और बनाने के लिए, क्या उसके ऊपर कोई क्वालिटी चैक मोटर व्हीकल अमैंडमैंट बिल के तहत लाने का काम हम करेंगे कि उसको चैक करके हम इस ई-रिक्शा को पास करें और उसके बाद उस ड्राइवर को लाइसैंस देने का काम करें। क्योंकि सबसे बड़ी

समस्या है कि चीज़ इंपोर्ट करना बहुत आसान है, मगर सबसे बड़ी समस्या आज उसकी क्वालिटी मेनटेन करने की बात है। जहाँ प्रधान मंत्री जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, क्या वह ई-रिक्शा जिनको परमिट किया जाएगा, वह 100 परसेंट मेड इंडिया होगी क्वालिटी चैक के बाद? क्या फिर दोबारा चाइना से मालदीव के थ्रू सस्ते रेट्स पर इंपोर्ट करके हमारे देश में उनको बेचने का काम करेंगे? माननीय मंत्री जी इस पर भी जरूर इस बिल में अमैंडमैंट लाने का काम करें।

मैं पूछना चाहता हूँ कि हम एक नया लाइसैंस ई-रिक्शा चालकों को देने का काम करेंगे। आज हमारे देश में एक स्माल व्हीकल लाइसैंस आता है और एक हैवी व्हीकल लाइसैंस आता है। रोड अथारिटी आज के दिन भी पूरी तौर पर व्यस्त रहती है क्योंकि अनेक लोग लाइसैंस बनवाने आते हैं। तीसरे तरह का लाइसैंस अगर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे तो रोड अथारिटी के ऊपर हम और बोझ डालने का काम करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करूँगा कि इस पर अभी और सोच विचार करने की ज़रूरत है और इसको दोबारा स्टैंडिंग कमेटी के सामने भेजकर मज़बूती के साथ दोबारा लाएँ जिससे किसी कमेरे की भी पीठ तोड़ने का काम हम न करें और साथ ही साथ देश को प्रगति की ओर भी ले जाने का काम करें।

मैं दोबारा आपके माध्यम से मंत्री जी से अपील करूँगा कि स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा फिर से मज़बूती से इस बिल को लाने का काम करें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली) : महोदय, आपने मुझे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं सबसे पहले मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे इस बिल में अमेंडमेंट ले कर आए हैं। सरकार की वजह से और पूरे सदन की वजह से देश के करोड़ों गरीब लोग इस योजना से लाभ उठा पाएंगे। आज जब यह अमेंडमेंट सदन से पास होगा, तो आप देखेंगे कि उनका परिवार खुशी मनाएगा, उनके घर में मिठाइयां बांटी जाएंगी। दिल्ली में अब तक तीन पहिया रिक्शा चलाया जाता था। एक आदमी दूसरे आदमी को रिक्शे के माध्यम से खींचता था। बहुत सदियों से यह काम किया जा रहा था। एक रिक्शे पर तीन लोग जो करीब 200 किलो के होते थे, उन्हें एक आदमी खींचता था। जब रिक्शा बनाने की नई टेक्नोलोजी आई और सस्ती हुई, पहले जो मोटर दो लाख रुपए की, तीन लाख रुपए की मिलती थी, आज वही पूरा रिक्शा 50 हजार, 60 हजार या 80 हजार रुपए में तैयार होने लग गया है। इसके बाद यह सुझाव आया कि क्यों न रिक्शे को बदल कर ई-रिक्शा के रूप में बनाया जाए। दिल्ली में ई-रिक्शा की तादाद बढ़ी। लेकिन इसमें एक समस्या यह सामने आई कि जो शुरू में ई-रिक्शा आए, उनकी कोई क्वालिटी चैक नहीं था। उनकी मोटर की क्वालिटी चैक नहीं थी और वे ज्यादातर चाइना से आ रहे माल से बनाए जा रहे थे। जैसा दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि " मेक इन इंडिया " का कान्सेप्ट सरकार ले कर आई है इसलिए हम अपने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दें। जो लोग रॉ मैटीरियल उपलब्ध कराएंगे, जो इसकी मोटर बनाएंगे या अन्य सामान बनाएंगें, उन्हें बढ़ावा दिया जाए ताकि यह रिक्शा जो आज 80 हजार या एक लाख रुपए का मिलता है, इसकी कॉस्ट हम 50 हजार रुपए तक ले कर आएं ताकि गरीब लोगों को इसका फायदा मिले।

महोदय, इसमें एक बात और बहुत अच्छी है। मैंने आज तक दिल्ली में किसी महिला को रिक्शा चलाते हुए नहीं देखा है। मगर इस अमेंडमेंट के माध्यम से न केवल आदमी, जो अपने घर के लिए कमाई कर रहा है, बल्कि वह महिला जो कमाई करना चाहती है, अपने घर को चलाने में अपना योगदान देना चाहती है, अगर वह विधवा हो तब भी, अगर वह सिंगल हो तब भी या अपने पति का साथ देना चाहती है तब भी, वह घर की आमदनी बढ़ाने में अपने पति का सहयोग कर सकती है। मै इस ई-रिक्शा का बहुत बड़ा फायदा समझता हूं। गरीब आदमी अपनी मेहनत से, अपने सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करे, इस बिल को लाने की सरकार की यह मंशा थी। बहुत से सदस्यों ने इस बिल पर कल अपनी बात सदन में रखी थी कि दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं इसलिए हम यह बिल ले कर आ रहे हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस बिल का फायदा केवल दिल्ली में ही नहीं होने वाला है। इस बिल का फायदा देश के करोड़ों लोगों को, चाहे उत्तर प्रदेश में रिक्शा चलाने वाले हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे हरियाणा

के हों या देश के किसी भी राज्य में रिक्शा चलाने वाले हों, सभी को इस बिल से फायदा मिलेगा। यह मानवीय सोच है और पूरे सदन का इसमें समर्थन होना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि जो करोड़ों गरीब लोग, जो हमारी तरफ आशा की नज़र से देख रहे हैं, हम उनके अंदर अपने लिए विश्वास को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर है। देश में लगभग 44 करोड़ लोग अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में काम करते हैं, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में सोचा नहीं था। अटल बिहार वाजपेयी जी की सरकार सोशल सिक्योरिटी स्कीम को लेकर आई थी। उसी स्कीम के अंतर्गत सरकार सोच रही है कि कैसे हम अनओर्गेनाइज्ड सैक्टर को फायदा पहुंचाएं। ई-रिक्शा को अगर कानूनी रूप दे पाएंगे, तो इसमें जो सवारी बैठती है, भगवान न करे कोई दुर्घटना हो, तो उसकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो सकती है। जो चालक होगा, जो रिक्शा होगी, उसको हम वैध करेंगे और वह पूरे ट्राफिक नॉर्म्स का पालन करेगा, जिसे आज तक रिक्शा वाले दिल्ली में नहीं करते थे। मैं सोचता हूं कि इस बिल के माध्यम से गरीब आदमी को स्वाभिमान का जीवन देने की सरकार की सोच है। अभी जैसे दुष्यंत जी ने एक बात कही कि यह कहां चलेगी? जब इसकी अधिकतम स्पीड 25 किमी/घंटा की रहेगी और इसमें दो केवीए की मोटर होगी तो यह हाई-वे पर तो चल नहीं सकती। यह तो कॉलोनी के अंदर, जब एक-दो-तीन लोग एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी-सी डिस्टैंस पर जाना चाहते हैं, यह उनके लिए फायदे की चीज़ है। मैं समझता हूं कि दिल्ली में दिल्ली मेट्रो जितनी जरूरी है, भले ही वह बड़े डिस्टैंस को कवर करती है, उतना ही ई-रिक्शा जरूरी है। गरीब आदमी के लिए ई-रिक्शा को लाना बहुत ज्यादा जरूरी था। गरीब आदमी रिक्शा चलाता था, उसके फेफड़े खराब होते थे, उसे बीमारियां लगती थीं। जैसा मैंने कहा कि अन-ऑरगेनाइज्ड सेक्टर में कोई ई.एस.आई. की स्कीम नहीं होती, उन्हें हम अस्पताल की कोई सुविधा नहीं देते थे। पहले वह छः घंटा मज़दूरी करता था, अब इसके माध्यम से वह दस घंटे मज़दूरी करेगा। अगर वह दिन में 200 रुपये कमाता था तो इसके माध्यम से गरीब आदमी अब पांच सौ रुपये कमाएगा। मैं समझता हूं कि गरीबों के लिए यह बहुत बड़ा उपहार हमारे मंत्री जी, हमारी सरकार यहां पर लेकर आयी है।

इसमें एक और नियम था कि कॉमर्शियल लाइसेंस लेने के लिए पहले आपके पास एक साल का साधारण लाइसेंस होना चाहिए। इसमें हम बदलाव लेकर आए हैं। गरीब आदमी, जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, जिसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, अगर उसे कमाई का कोई साधन करना है तो सबसे पहले वह रिक्शा खरीदता था। आज पहले हम उसे एक साल के लिए साधारण लाइसेंस दें, उसे इसकी तैयारी कराएं, फिर एक साल के बाद उसे कॉमर्शियल लाइसेंस दें और तब वह ई-रिक्शा चलाए। यह एक बहुत बड़ा उपहार हमारी सरकार ने उसे इस बिल के माध्यम से दिया है कि उसे तुरंत लाइसेंस मिलेगा और अगर वह आज कोई ई-रिक्शा खरीदता है और उसका रजिस्ट्रेशन करवाता है तो कल से वह उस ई-रिक्शा को चला

सकेगा, अपनी रोज़ी-रोटी को चालू कर सकेगा। जो हमारा रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, वह उसे दस दिनों की ट्रेनिंग देगा और दस दिनों की ट्रेनिंग के बाद वह अपना रिक्शा चला सकेगा। यह इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है।

इसमें एक और बात थी कि जिसे कॉमर्शियल लाइसेंस मिलेगा, उसे आठवीं पास होना चाहिए। हमारे देश में शिक्षा का जो स्तर आज तक रहा है, उसमें बहुत सारे गरीब लोग हैं, जो आठवीं पास नहीं होते हैं या बहुत से लोग स्कूल जा नहीं पाते हैं, तो जो आदमी गरीब घर में पैदा हुआ, यह उसका दोष नहीं है। आज तक की जो सरकारें रहीं, वे गरीब आदमी को शिक्षा नहीं दे पाए हैं। इसलिए हम उन्हें अब ट्रेनिंग देंगे। अगर वह पढ़ा-लिखा नहीं है, फिर भी उसे दस दिनों की ट्रेनिंग देने के बाद इसका लाइसेंस मिलेगा। यह इसमें एक बहुत बड़ी फायदे की बात है।

सोशल जस्टिस एवं माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय के साथ माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने बैठक की और उनकी जो विविध संस्थाएं हैं, जैसे एस.सी. एस.टी. फाइनैंस कॉरपोरेशन है, उसमें मंत्री जी ने कहा कि आप इन्हें 3% पर लोन उपलब्ध कराएं। अगर गरीब आदमी को 3% पर लोन उपलब्ध होता है और वह रिक्शा खरीदता है और उससे करोड़ों लोगों के घरों में चूल्हा जलता है तो इससे बड़ा सरकार का कोई उपहार नहीं हो सकता।

गरीब आदमी को स्वाभिमान का जीवन देने के लिए, सम्मान का जीवन देने के लिए मैं मंत्री जी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से दो-तीन प्वायंट्स के बारे में पूछना चाहूंगी। अभी गरीबों की बहुत चिंता हो रही है। क्या आप ड्राइवर्स के बारे में सोच रहे हैं या आपका ई-रिक्शा के मैन्यूफैक्चरिंग पर ज्यादा कंसेंट्रेशन है? इस ई-रिक्शा में गरीबों की सब्सिडी मिल रही है या नहीं? ई-रिक्शा और नॉर्मल रिक्शा के रेट में क्या फर्क़ है? जो नॉर्मल रिक्शा चला रहे हैं, क्या वे इसमें इंटेरेस्टेड हैं कि वे भी ई-रिक्शा चलाना चाहते हैं?

अभी मीनाक्षी लेखी जी और अनुप्रिया जी ने बहुत सारी बातें कहीं। जो हम लोगों को बोलना चाहिए, वह रूलिंग पार्टी की माननीय सदस्या बोल रहीं थीं। उन्होंने बीएमडब्ल्यू कार की बात कही कि कार से भी एक्सीडैन्ट्स होते हैं, बस से भी एक्सीडैन्ट्स होते हैं। ये बहुत सारी लग्ज़री कारें हैं, ये कारें उनके पास हैं, तभी बीएमडब्ल्यू का नाम उनको याद आया।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि क्या वे बीएमडब्ल्यू छोड़ कर ई-रिक्शा में बैठेंगी? बीएमडब्ल्यू और ई-रिक्शा में यही फर्क है, अगर फोर व्हीलर कार ढंग से और सलीके से आप बिना दारू पीकर चलाते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते हैं तो एक्सीडेंट नहीं होगा। मैं पूछना चाहती हूं कि कितने लोग इस सदन में ई-रिक्शा में बैठे हैं? क्या कोई [illegible] में बैठा है? ई-रिक्शा में मैं भी बैठी हूं, मेरे बच्चे भी बैठे हैं। उस दिन के बाद से मैंने तय किया कि मैं अपने बच्चों को ई-रिक्शा में नहीं बिठाऊंगी, यह मैं ईमानदारी से कह रही हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहती हूं कि अगर एक गड्ढा या एक फीट का पत्थर भी आ जाए तो वह ई-रिक्शा उलट जाएगा। आप लाइसेंस एवं सब चीजों की बात कर रहे हैं। मैंने इस बिल में बोलना नहीं था, लेकिन इस बिल को पढ़ने से मुझे कंफ्यूज़न हुआ। इसकी डिजाइनिंग पर कोर्ट ने जो मेन इंटरप्शन किया था कि यह रोड के लिए सेफ नहीं है। क्या आप इसकी डिजाइनिंग को चेंज कर रहे हैं? क्या उसके व्हीलर को आप मोटा कर रहे हैं, जो इतना हल्का है और सारा चाइनीस माल उस पर लग रहा है। क्या उसकी मजबूती के लिए आप कुछ कर रहे हैं या यह सही है कि आपके कुछ नजदीकी लोग हैं, जो इसकी मेनुफेक्चरिंग नये तरीके से करेंगे? अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, हम लोगों को यह जानकारी है कि वीआईपी इलाके में ई-रिक्शा बंद हैं। हम आपको कहते हैं कि अगर हम लोग गरीब के इतने ज्यादा हमदर्द हैं तो क्यों नहीं हम लोग पार्लियामेंट में ई-रिक्शा चलवाने के बारे में कहते हैं। क्यों गरीबों को ही, वीआईपी इलाके में ई-रिक्शा को बैन करें। हमारा जो गवर्नमेंट रेज़ीडेंस है, वहां से पार्लियामेंट बहुत नज़दीक है। आप पांच किलोमीटर की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट से एनेक्सी के लिए ई-रिक्शा चलवा दीजिए। क्या हम सब ई-रिक्शा में बैठने के लिए तैयार हैं? हम गरीबों के बारे में बहुत बात

करते हैं।...(व्यवधान) अभी बात की गई कि करोड़ों गरीब लोग इससे लाभन्वित होंगे। जब मरने की भी बात आएगी तो गरीब ही लाभान्वित होगा, हमारे जैसे वीआईपी उससे लाभान्वित नहीं होंगे, क्योंकि हम ई-रिक्शा में नहीं बैठेंगे।

15.29 hrs. (Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से यह जरूर पूछना चाहूंगी, उसमें क्लेरीफिकेशन हो कि कितने लोग उस ई-रिक्शा में बैठेंगे? स्ट्रीक्टली उस पर एक सर्कुलर निकलना चाहिए कि चार आदमी से ज्यादा लोग उस ई-रिक्शा में नहीं बैठेंगे।...(व्यवधान) अभी मैं क्लियर करती हूं।...(व्यवधान) आप मुझ से न पूछें।...(व्यवधान) मैं तो बैठ चुकी हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं बिठाऊंगी, क्योंकि वह बहुत रिस्की है। ...(व्यवधान) जब तक आप उसके डिजाइन को चेंज नहीं करेंगे, मैं आपसे यही रिकवेस्ट करूंगी कि अगर गरीब के इतने ही हमदर्द हैं तो जिस तरह से गरीब जीता है, आप एक दिन अपने बच्चे को ई-रिक्शा में बैठा कर स्कूल भेज दें, मैं समझ जाऊंगी कि ई-रिक्शा हम सब के लिए सेफ है। गरीब के लिए, अच्छी बात है हम भी इस बिल के फेवर में हैं, लेकिन गरीब की सेफ्टी फर्स्ट है, न कि आनन-फानन में चुनाव से पहले ई-रिक्शा को गरीबों को दे देना। जब तक उनको यह बात समझ में आएगी कि वह कितनी रिस्की है, तब तक आपका चुनाव खत्म हो चुका होगा। यही कह कर आप सब को धन्यवाद करती हूं।

श्री अनिल शिरोले (पुणे) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से एक सुझाव भी रखना चाहता हूं। इस इलैक्ट्रिक पावर व्हीकल को सपोर्ट करने के लिए एडीशनल दो सोलर पैनल्स का उपयोग किया जाए। पीक ऑवर्स में ज्यादा बिजली का उपयोग होने के बाद बेटरी चार्ज करने के लिए इसे सौर ऊर्जा का सपोर्ट मिल जाएगा, यही मेरा एक सजेशन था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। इनोवेटिव बिल लाने के लिए सरकार और नितिन गडकरी जी का केवल अभिनंदन ही नहीं, अभिवादन भी करता हूं।

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Hon. Deputy Speaker, Sir, I would like to say that the present Amendment Bill is not only unprecedented and visionary but it is pro-poor and it will generate employment. There is a suggestion for the hon. Minister and for the Government. Our hon. Prime Minister has initiated an unprecedented, visionary and unparalleled scheme called “Swachch Bharat Abhiyan.” Likewise, there should be a Swachch Repeal Abhiyan, which even our Prime Minister has initiated with respect to all obsolete laws.

We have been bringing large numbers of repeal and amendment Acts, for repeal of obsolete laws. We can have an automatic repeal clause in every Amendment Bill. In the Amendment Bill, we can provide automatic repeal provision. As soon as the amended Act comes into force by admendment, principal Act becomes obsolete and dead wood. So, instead of keeping this amended Act in the library and creating confusion, it is better to bring along with this Bill and with all future amendment Bills the “Amendment and Repeal of amendment Bill” together. An Amendment Act is nothing but; it is like a satellite launching vehicle. Once the satellite is put into the orbit, there is no use of the vehicle. So the purpose of the amendment act is limited. Since we are having 1000 odd amendment acts pending which are required to be repealed, my suggestion to the hon. Minister as well as the Government is to bring a composite Bills of amendment and repeal so that the entire exercise of repeal need not be carried out.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन गडकरी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सभागृह में इस महत्वपूर्ण मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट बिल पर सम्मानित सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए और इसका समर्थन किया, इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं।

मैं सदन में इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी चुनाव को देखकर हम इस बिल को लेकर नहीं आए हैं। आदरणीय सातव जी कह रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रामलीला मैदान पर जितनी बातें मैंने कहीं, जो यूट्यूब पर हैं, वे अगर पूरी नहीं होंगी तो आप सदन में जरूर उस बात को उठाइए। इसमें क्या-क्या अड़चनें आयीं, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि जो-जो बातें मैंने कहीं, वे हैंड्रेड परसेंट पूरी होंगी, नहीं तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है, आप जरूर उठाइए।

यह कोई पुरानी सरकार द्वारा लाई हुई ई-रिक्शा नहीं थी। चाइना से कुछ मॉडल इंपोर्ट हुए और ये दिल्ली में चलने शुरू हुए। यह बात सही है कि यह चाइना से आयी। उसके बाद में यह चलती रही और इसकी संख्या बढ़ती गयी। हमारे यहां के लोगों ने भी इसको बनाना शुरू किया और यह संख्या काफी बड़े परिमाण में दिल्ली में बढ़ी। मैं जब इसका अध्ययन कर रहा था तो एक बात मेरे ध्यान में आयी कि हमारे देश में साइकिल रिक्शा चलाने वाले और सामान साइकिल रिक्शा के द्वारा ढोने वालों की अनुमानित संख्या एक करोड़ है। हमारे बिहार और यूपी में जो चलते हैं, उनको जुगाड़ कहते हैं। वे इसकी कोई अनुमति नहीं लेते हैं। जब कोई कार्रवाई करने की बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि उससे गरीब आदमी को रोजगार मिला है, अगर उसे स्टैंडर्डाइज करें और उसको बंद कर दें तो वह बेचारा क्या करेगा?

पहली बात यह हुयी कि हमारी सरकार आने के बाद इसको मोटर व्हीकल एक्ट में रखने के बजाए, गरीबों के हित में काम होना चाहिए, इसलिए पहला निर्णय किया कि इसको मोटर व्हीकल एक्ट से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद मैंने कहा कि यह गरीबों का है, इसकी तुलना साइकिल रिक्शा से करनी चाहिए, आटो रिक्शा से नहीं। आपकी भी सरकार थी, लेकिन इतने सालों तक कोई बिल नहीं आया, कोई रजिस्ट्रेशन की फैसलिटी नहीं थी, कोई घोषणा नहीं थी, कोई नोटिफिकेशन नहीं था, कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि ऐडमिनिस्ट्रेशन का यह ख्याल था कि मोटर व्हीकल एक्ट में ई-रिक्शा चलाना और बनाना इम्पॉसिबल है। मैंने इसकी तुलना साइकिल रिक्शा के साथ कर उसको वहां से निकालने का काम किया और उसकी गाइडलाइन्स इश्यू कर दी। दिल्ली में एक ऐक्सिडेन्ट हो गया और वह मैटर हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने उनके ऊपर पाबंदी लगायी। सम्मानीय कोर्ट ने कहा कि उनको मोटर व्हीकल एक्ट में लेकर इंश्योरैंस के लिए, सेफ्टी के लिए, जिसका ऐक्सिडेन्ट होगा उसका थर्ड पार्टी इंश्योरैंस का क्या होगा,

व्हीकल का क्या होगा, उनके बारे में जब तक नियम तैयार नहीं होंगे तब तक उनको अनुमति नहीं दे सकते है। जो चीज सरकार ने गरीब के हित के लिए की थी तो सम्माननीय कोर्ट का निर्णय हमारे ऊपर बंधनकारक था। इसलिए मैंने रामलीला मैदान में जो कुछ कहा था, कोर्ट के स्थगनादेश के कारण उसका इम्प्लिमैंटेशन नहीं हुआ।

आप में से बहुत से माननीय सदस्यों ने सुरक्षा की बात की है।"टेरी" की एक संस्था ने जब दिल्ली में उसका अध्ययन किया तब 52 प्रकार के मॉडल ध्यान में आये। मैं माननीय बहन जी को बताना चाहता हूं कि उसके बारे में सुरक्षा का भी एंगल बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आई.आई.टीज, इंजीनियरिंग कॉलेजस, पॉलिटेक्निक कॉलेजज और उससे संबंधित सभी इंस्टीट्यूशंस को बुलाया। उनमें से कुछ इंस्टीट्यूशंस आदरणीय गीते जी के मार्गदर्शन में काम करती है, हमने उनको भी बुलाया। हमने उन पैटर्न डिजाइन्स में से कुछ ऐसे डिजाइन्स सेलेक्ट किये और उनके नॉर्म्स पक्के किये हैं कि सेफ्टी के लिए वह आवश्यक हो। अब हमारे देश में उनका चाइना से इम्पोर्ट होना बंद हो गया है। वह किसी इन्डस्ट्री को मदद करने के लिए शुरू नहीं हुआ है। उनके हजारों इन्डस्ट्रीज हैं। लुधियाना में उनका काम हो रहा है, सभी जगह उनका काम हो रहा है। उसे और भी विकसित होना चाहिए, इसलिए मैंने आई.आई.टी. के इनोवेशन, टाटा ने अहमदाबाद में एक इन्स्टीट्यूट बनाया है, उसका नाम "इनोवेशन" है, डाक्टर मार्शेलकर जी उसके अध्यक्ष हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन, इंटरप्रेन्योरशीप, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजैशन, हम उनकी बार-बार बात करते हैं। आपने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं। हमने सबको आह्वान किया है कि वह सस्ते में कैसे अच्छा बने? नए कानून में मुद्दा यह आया कि मोटर और ट्रक में जो भी स्पेयर पार्ट्स लगते हैं उनका स्टैंडर्डाइजैशन हुआ है। जब एक नई बात आई तो हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि उनमें जितने एलिमेन्ट्स लगते हैं उनका स्टैंडर्डाइजेशन करें। फिर, मैंने कहा कि स्टैंडर्डाइजैशन करने के लिए अगर एक-एक पार्ट नए सिरे से बनेंगे तो फिर उनकी कॉस्ट दो लाख रुपए हो जाएगी। साइकिल चलाने वाले आदमी को अगर ई-रिक्शा के लिए दो लाख रुपए लगेंगे तो गरीब आदमी के ऊपर अन्याय होगा। यह बहुत संवेदनशील विषय है। मैं इस विषय में संवेदनशीलता के साथ जुड़ा हूं।

अगर कानून में सुधार कर गरीब आदमी का फायदा होता है तो कानून को बेन्ड करना चाहिए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए और गरीब आदमी के हितों की रक्षा करनी चाहिए। यह मेरा मत है। माननीय सदस्य प्रह्लाद पटेल जी जो बता रहे थे, जब मैं बी.जे.पी. का अध्यक्ष था, मैंने ट्रेड यूनियन पार्टी शुरू की और मैं असंगठित क्षेत्र में काम करता हूं। आज भी मैं कम से कम 80 हजार लेबर यूनियन का अध्यक्ष हूं, जो अनऑर्गनाइज सैक्टर में है। मैं उनलोगों की हालत को जानता हूं। ...(व्यवधान) आप चिंता न करें मैं आपके सभी सवालों का जवाब देता हूं। ...(व्यवधान) आप थोड़ा संयम रखें। ...(व्यवधान) एक महत्वपूर्ण मुद्दा आया

कि प्रत्येक पार्ट को स्टैंडर्डाइज करना, अगर प्रत्येक पार्ट को स्टैंडर्डाइज करना है तो अलग-अलग इंडस्ट्रीज में उनके पाटर्स बनेंगे और हर पाटर्स का स्टैंडर्डाइजैशन करेंगे तो उनकी कॉस्ट दो लाख रुपए होगी। एक बात सच है कि ई-रिक्शा पॉल्यूशन फ्री है। वह इलेक्ट्रिक एनर्जी पर आधारित है। वह साइकिल रिक्शा का अल्टरनेटिव है। स्वाभाविक रूप से ऑटो रिक्शा और अन्य जो लॉबी हैं, अगर ऑटो रिक्शा से कहीं जाने में 50 रुपए लगते हैं तो ई-रिक्शावाले उसके लिए 12-15 रुपए लेते हैं। वे भी चाहते हैं कि उनको बंद करो। उनको लगता है कि वह हमारे पेट पर आएगा। इस देश में करीब 1 करोड़ गरीब लोग हैं, जो देश के सभी शहरों में अपनी ताकत से माल खींचते हैं। यह अमानवीय है। क्यों नहीं ह्यूमन राइट्स कमीशन में उसके बारे में विचार होना चाहिए। इसलिए मैंने एक मामला पर निर्णय किया। वह निर्णय बहुत समझते हुए किया। वह निर्णय है कि मार्किट में जो ऑलरेडी स्टैन्डर्डाइज मैटीरियल है, इसमें हो सकता है और मुझे कबूल करने में कोई संकोच नहीं है कि अगर हीरो होंडा का चक्का होगा, टीवीएस का एक्सल होगा, किसी और का कुछ होगा, यह हो सकता है।

मैंने कहा कि लुधियाना, दिल्ली के बाजार में सस्ते से सस्ते अच्छी क्वालिटी के मैटीरियल के पैटर्न डिजाइन को टैस्ट करके इसे मान्यता दें, इसके एक-एक पार्ट को स्टैन्डर्डाइज करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे एक-एक बात के लिए फाइल पर ओवर रूल करना पड़ा। मैंने कहा कि ऐसा मत कीजिए क्योंकि गरीब व्यक्ति इसे बियर नहीं कर सकता। लेकिन सुरक्षा के साथ कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आईआईटी के इंजीनियर्स को बुलाया, हमारे सभी इंस्टीट्यूशन्स को बुलाया, गीते साहब के इंस्टीट्यूशन को बुलाया । सब पार्ट्स को स्टैन्डर्डाइज करके पैटर्न डिजाइन जो 52, 53 थे, उनमें से कुछ डिजाइन की अनुमति दिल्ली सरकार की टैक्नीकल संस्था देती है। उसी पैटर्न पर अब रिक्शा बना सकते हैं। अब चाइना से कुछ नहीं आता, हमारे देश में सब कुछ पैदा होता है। इसकी हजारों कम्पनियां गांव-गांव में खुल रही हैं। मेरा सपना है और मैं इसके लिए आपसे समर्थन मांगता हूं। क्या इस देश को साइकिल रिक्शा चलाने वाले लोग, किसी को टीबी हो रही है, किसी को फेफड़ों में कोई नई बीमारी हो रही है, उन गरीब लोगों की जान बचा सकते हैं? जो मेहनत से रिक्शा चलाते हैं, उसे एनर्जी पर कर सकते हैं? उनके लिए यह प्रपोजल लाया गया है। दिल्ली में एक बात और है। कोई बड़ा सेठ व्यक्ति सौ रिक्शे लेता है और गरीब लोगों को किराए पर देता है। मैंने कहा कि यह नहीं चलेगा। चालक, मालक, जो चलाएगा वही मालिक होगा, यह नियम हमने इसमें किया है। हम नहीं चाहते कि कोई बड़ा व्यापारी 25 रिक्शे खरीदकर सौ रुपये रोज पर गरीब व्यक्ति को चलाने के लिए दे। इसलिए इसमें चालक, मालक की कल्पना भी की है।

इसमें हाई कोर्ट के निर्णय के बाद मोटर व्हीकल एक्ट के सब कॉलम लगते हैं। सिक्युरिटी, इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का लगता है। इसका रजिस्ट्रेशन होगा, इसके ऊपर नम्बर प्लेट लगेगी।

रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने राज्य सरकारों को कहा कि ई-रजिस्ट्रेशन कीजिए ताकि भ्रष्टाचार न हो। इसके ऊपर नम्बर प्लेट लग जाए। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा। पहले चक्का छोटा था। मैं टैक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हूं। पहले चक्का छोटा था तो ताकत लगती थी। अब चक्का बड़ा हुआ तो उसे महिला भी चला सकती है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसके सुरक्षा के सभी मामलों पर विचार करके स्टैन्डर्ड डिजाइन द्वारा तैयार किया है, मान्यता दी है। अब अगर महिला चाहे तो वह भी इसे चला सकती है। वह भी इससे अपना रोजगार कमा सकती है। इसमें 500 से 600 रुपये रोज कमाई हो सकती है।

आपने दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम लिया। मैं इसमें खुद काम करता हूं। समाज में जो शोषित, पीड़ित, दलित लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, उस दरिद्र नारायण को भगवान मानना चाहिए और उसकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा, यह अंत्योदय का विचार दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने चिंतन में रखा है। इसलिए एक करोड़ लोग, अगर उनके ऊपर डिपैंडेबल लोग देखे जाएं तो चार करोड़ गरीब लोगों की आबादी है। उन्हें साइकिल रिक्शा से ई-रिक्शा में कन्वर्ट करना, आपने अच्छी बात बताई कि इसे सोलर एनर्जी में लाना चाहिए। सोलर एनर्जी में यह किया कि जो ऊपर का टब रहता है, चाइनीज कम्पनी ने टब के ऊपर सोलर सैल लगा दिए। सोलर सैल से कुछ चार्जिंग होने लगी। हमारे देश में सोलर सैल की एफीशिएंसी ज्यादा से ज्यादा 16 प्रतिशत है। उतने से रिक्शा नहीं चल सकता, 120 किलोमीटर चलना चाहिए, 20-25 किलोमीटर से नहीं होगा। जब सोलर सैल की एफीशिएंसी 40 प्रतिशत पर जाएगी, अगर टब सोलर सैल का बना है तो यह संभव है, लेकिन उसके बारे में रिसर्च शुरू है। अभी कमर्शियली सोलर सैल पर चलाना मुश्किल है। मैं दिल्ली सरकार और कार्पोरेशन से प्रार्थना करने वाला हूं, जब मार्च, अप्रैल और मई में टैम्परेचर बढ़ता है तो हम पीने के पानी के लिए प्याऊ लगाते हैं, क्या कुछ पब्लिक प्लेसेज पर जहां रिक्शा स्टैंड हैं, सोलर पैनल का शेड तैयार करके गरीब ई-रिक्शा वालों को फ्री ऑफ चार्ज चार्जिंग करने की सुविधा कार्पोरेशन, नगर पालिका दे सकती है? मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से होगा।

आपने कहा, मैंने दीनदयाल ई-रिक्शा योजना को फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधान मंत्री जी के पास रिकमैंड करके भेजा। मैंने थावर चंद गहलोत जी और नजमा जी के साथ मीटिंग की। उनके डिपार्टमेंट का ऑलरेडी फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन है, थावर चंद जी यहीं बैठे हुए हैं। आप लोग जातिवाद और साम्प्रदायिकता की जमकर राजनीति करते हैं। इसे आप करते रहिए। ...(व्यवधान) जो करते होंगे उनके लिए लग रहा होगा, आपको बीच में टोकने की आवश्यकता नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : जातिवाद की राजनीति तो आप करते हैं।

श्री नितिन गडकरी : आप क्यों नाराज हो रहे हैं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं जो करते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, आप वैसे नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप इधर के बारे में ही बोल रहे हैं।

श्री नितिन गडकरी : हमको इसकी जरूरत नहीं है, हम बताना चाहते हैं कि ई-रिक्शा चलाने वाले कौन लोग हैं। शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, माइनोरिटी क्लास के लोग हैं, बिहार और यूपी से ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। ये गरीब लोग हैं, कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, हमारे मुंबई में भी इतने लोग आते हैं, कोई मजबूरी से आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, रोटी नहीं मिलती है इसलिए आते हैं। बिहार और यूपी से जो लोग आ रहे हैं वे रोटी के लिए आ रहे हैं। इसलिए मैंने इन मंत्रियों को कहा कि इसको इकोनॉमिकली वाइबल कैसे करें। थावर चंद जी बैठे हुए हैं। नजमा जी ने कहा कि हमारे डिपार्टमेंट का फाइनेंस कॉरपोरशन है,चार परसेंट इंट्रेस्ट पर है। हम ई-रिक्शा का साइकिल रिक्शा में कन्वर्जन करेंगे। चार परसेंट इंटरेस्ट में इसको फाइनेंस करेंगे। यह बात उन्होंने मानी है। आज यह बिल मंजूर होने के बाद वह लीगलाइज हो जाएगा, ...(व्यवधान)। पहले योजना शुरू होने दीजिए। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि जीरो परसेंट पर भी कीजिए। आज इन्होंने कहा है कि यह शुरूआत होगी। आपको मालूम होगा जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थीं, तब बीसूत्री कार्यक्रम की बात आई थी। बीस सूत्री कार्यक्रम में एक अच्छा निर्णय किया था। पहली बार साईकिल रिक्शा चलाने वाले को राष्ट्रीयकृत बैंक लोन देने लगी थी। यह आग्रह से कहा जाता था कि इनको लोन दीजिए। देखिए, जो अच्छा है, वह अच्छा है। अब टेक्नोलॉजी बदल गई है। अब ई-रिक्शा आई है। इसलिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनोरिटी जितने संबंधित विभाग हैं, बाकी जगह पर हम इसमें मार्ग निकालेंगे। अर्थ मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को मैं कहूंगा जितने कम में हो सके, उसको देने की कोशिश करें। एक और इम्पोर्टेंट चीज है।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : मुझे और खड़गे जी को ई-रिक्शा पार्लियामेंट में आने के लिए मिलेगी, जिससे पार्लियामेंट में प्रदूषण न हो।

श्री नितिन गडकरी : पुराने समय में जब पेट्रोल के भाव बढ़े थे तो एक बार चन्द्रशेखर जी और सब लोग साइकिल पर बैठकर पार्लियामेंट आए थे, यह ग्रीन व्हिकल है, बहुत इसका स्वागत होगा।

श्री थावर चंद गहलोत : वैंकैय्या जी तो उसमें आसानी से आ सकते हैं, लेकिन खड़गे साहब को तो क्या वजन कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री नितिन गडकरी : थावर चंद जी, मैं आपको एंश्योर करता हूं कि ई-रिक्शा में मेरे वजन जैसे चार लोग आ जाएंगे। वैसे मेरा वजन 40 किलो कम हुआ है। आज की स्थिति में मेरे जैसे चार लोग और चालीस किलो का सामान ले जाने की ई-रिक्शा में अनुमति है। ई-कार्ट है, उसमें 310 किलो वाट का रखा है, ई-कार्ट का कन्वर्शन फ्रुट जुस सेंटर में हो सकता है, ई-कार्ट का रूपांतर सब्जी के दुकान में हो सकता है। ई-कार्ट का रूपांतर जो लोग लोग पटरी पर बैठते हैं, रोड पर कभी बैठने के लिए प्रोबल्म आती है उनका हो सकता है। किंतु वैंकेया जी एक बात है इसको किस एरिया में एलाऊ करना है या नहीं करना है यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसका अधिकार राज्य सरकार के पास है। मुंबई की संसद सदस्य पूनम महाजन बोल रही थीं कि मैं बांद्रा में शुरू करना चाहती हूं। मुंबई में ई-रिक्शा को परमशिन देना उचित नहीं होगा, किंतु मुंबई के जो उपनगर हैं उसमें सोचा जा सकता है, जो बी-ग्रेड के नगर हैं, दिल्ली में जहां इतना ट्रैफिक है, उसकी स्पीड 25 किलोमीटर है। उसकी स्पीड 25 किलोमीटर होने के कारण और इसकी रचना के कारण, जहां फास्ट ट्रैक के रोड हैं, जहां कुछ ऐसी मूवमेंट्स है, उसके बारे में हमने राज्य सरकार को अधिकार दिए हैं, वे ही इसके बारे में निर्णय करें। इसकी जो पावर है, वह हमने दो हजार वॉट तथा 25 किलोमीटर स्पीड रखी है।

सम्मानीय सदस्य श्री तथागत सत्पथी जी ने बायो फ्यूल के बारे में बहुत अच्छी बात कही। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। मैं आठ साल से इसमें काम कर रहा हूं। इसके बाद मैंने वैंकेया जी से भी प्रार्थना की है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने तय किया है कि क्या हम देश की स्कूल बस और सिटी बस बायो फ्यूल पर चला सकते हैं? क्या इथनॉल, बायो डीजल, बायो गैस और इलैक्ट्रिक बस चला सकते हैं? मैं आपको इससे पहले भी सदन में बता चुका हूं कि हमारा डिपार्टमैंट इस पर रात-दिन काम कर रहा है और इस देश की पहली बस जो किसानों ने तैयार की है, वह इथनॉल पर सौ प्रतिशत चलती है। उसे मैंने अपने शहर नागपुर में शुरू की है। आप सब उसे एक बार देखने के लिए आइये। कचरे से भी इथनॉल तैयार होगा तो इस देश में छः लाख करोड़ रुपये का इम्पोर्ट, जो पेट्रोल, डीजल, गैस, जो देश में पॉल्यूशन कर रहा है, कार्बन मोनोआक्साइड है, इसमें 95 परसेंट इमीशन है। मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं और आने वाले समय में जब मैं 1988 मोटर व्हीकल एक्ट को आपके सामने लाऊंगा तब हम इन सब बातों के बारे में विचार करके आयेंगे। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आलरेडी हमने बायो फ्यूल के बारे में स्टैंडर्ड पक्के करके उसे अनुमति दी है। उस पर ट्रायल होकर एक महीने के अंदर इस देश में बायो डीजल, बायो गैस और इथनॉल पर चलने वाली बसों के लिए अनुमति मिलेगी। निश्चित रूप से हमें हिन्दुस्तान को पॉल्यूशन से बचाना है, प्रदूषण मुक्त हिन्दुस्तान करना है। हिन्दुस्तान के भूमिपुत्र चाहे किसान हों, गरीब लोग हों, ये अब

फ्यूल तैयार करेंगे। इसके बाद इम्पोर्टेड फ्यूल इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम की गैस और पेट्रोल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उत्तर प्रदेश और बिहार पूरा उसी पर चलेगा। हमारा यह सपना है और हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आपने एक बात और कही। ...(व्यवधान) पप्पू जी की तरफ पूरा दोस्ताना है। ...(व्यवधान) इसलिए आपके साथ इनकी तरफ भी पूरा ध्यान है चाहे दोनों अलग-अलग पार्टी में हैं। ...(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टेट कार्पोरेशन की जो एग्जीस्टिंग डीजल बस है, ये सभी स्टेट कार्पोरेशन की ट्रांसपोर्ट बसें घाटे में चल रही हैं। इसलिए इसमें गीते साहब की हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने इलैक्ट्रिक बस के बारे में एक बहुत अच्छा प्रपोजल तैयार किया है। हिंदुजा की लंदन में बस थी, जिसमें मैं बैठकर आया हूं। इसका अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। कुछ लोग कहेंगे कि मैं बहुत घोषणा कर रहा हूं तो आप मेरी घोषणा लिखकर रखिए। मैं जो बोल रहा हूं, वह होगा। इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है लेकिन हम अध्ययन कर रहे हैं। क्या हम एग्जीस्टिंग डीजल बस को इलैक्ट्रिक बस में कन्वर्ट कर सकते हैं? आप सबके आशीर्वाद और शुभकामना के साथ हम कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम मेक इन इंडिया में कामयाब होंगे और हमारे देश के लोग इलैक्ट्रिक बस को कन्वर्ट करेंगे। जब हमारा एप्रूव होगा तब हम वैंकेया जी से अनुरोध करेंगे। अभी वे नयी योजना लाने वाले हैं। हमारे देश में इलैक्ट्रिक बस को प्रधानता मिले और प्रदूषण मुक्त हिन्दुस्तान बने, आपकी बात को ये जरूर स्वीकर करेंगे।

मैंने नम्बर ऑफ पैसेंजर्स के बारे में बताया है। मैं अनुप्रिया जी का बहुत-बहुत अभिवादन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने मेरा काम बहुत आसान किया है। उन्होंने इतनी अच्छी बातें यहां रखी हैं जिसके कारण माननीय सदस्यों को अनेक सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसके साथ-साथ तथागत जी ने हाईब्रिड कार के बारे में भी कहा था। अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी है। कुछ डीजल प्लस इलैक्ट्रिक, पेट्रोल प्लस इलैक्ट्रिक, सीएनजी प्लस इलैक्ट्रिक, यह संभव है। लेकिन यह हुआ कि हमारे यहां मोटर व्हीकल को कंट्रोल करने वाली कम्पनी थी, मुझे और गीते जी को बहुत देर में ध्यान आया कि इसे हम कंट्रोल नहीं करते, बल्कि आटोमोबाइल मैनुफैक्चरर कंट्रोल करते हैं और वे देश में कोई नया सुधार नहीं होने देते। वे चार-चार साल तक परमिशन नहीं देते थे। यह हमारे ध्यान में आया तो हम दोनों ने मिलकर उन्हें बहुत अच्छे तरीके से ठीक किया है। मैंने उनकी इंडस्ट्री में कहा है कि यह सब बदल रहा है। अगर आपको आना है तो हमारे साथ चलो। अगर नहीं आना तो घिसटते हुए लेकर जायेंगे। तुम नहीं करोगे तो फॉरेन कम्पनी आयेगी, फ्यूल बदलेगा, प्रदूषण मुक्त हिन्दुस्तान बनेगा। आप आयें तो आपके साथ और नहीं आये तो आपके बिना, यही शब्दों मे कहा। वे भी अब इस काम में लगे हैं। मुझे विश्वास है कि यह निश्चित रूप से होगा।

मैं सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह केवल दिल्ली के लिए नहीं है। मैं बाए एंड लार्ज देहात की बात नहीं कर रहा हूं, पंजाब और हरियाणा में टार रोड बने हुए हैं, इसके बारे में वहां जरूर विचार करें। दो-पांच लाख आबादी के छोटे शहर हैं, एक जगह से स्टेशन तक जाने के लिए छोटे गांवों में तीन किलोमीटर मेन रोड से अंदर जाने के लिए एक छोटे वाहन का प्रयोग होता है जिसमें डीजल इंजन लगा होता है। इसमें 15 लोग बैठते हैं। डीजल से धुंआ निकलता रहता है। मैंने बिहार, यूपी, बंगाल में देखा है। एक बार मैं बंगाल में इलैक्शन प्रचार के लिए गया था तब मैंने देखा था। इससे प्रदूषण होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसी जगह ई-रिक्शा में कन्वर्ट करके प्रदूषण मुक्त करने का अच्छा अवसर है। आप उन्हीं लोगों को इस स्कीम में डालिए, अगर वे ई-रिक्शा में चार सीट का कन्वर्जन कर दें क्योंकि यह बहुत चीप फ्युल है, इंडीजिनियस है, स्वदेशी है और पॉल्यूशन फ्री है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि देश के एक करोड़ लोग, जो ई-कार्ट, ई-रिक्शा, साइकिल रिक्शा चलाने वाले हैं, उन गरीब लोगों के लिए यह कर देंगे तो देश के इतिहास में एक बहुत हिस्टारिकल रिवोल्यूशनरी काम होगा। आप इसमें सहयोग कीजिए।

मैं सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इसे स्टैंडिंग कमेटी में क्यों भेजना है? मेरे हाथ में नहीं था, कोर्ट का निर्णय था और तीन-चार महीने बीत गए। कोर्ट के निर्णय में न मैं कुछ कह सकता हूं और न आप। अब मुश्किल से यह आया है और आप कह रहे हैं कि जल्दी क्यों लाए? इसे हम दिल्ली के चुनाव के लिए नहीं लाए हैं। मुझे एक-एक दिन बीतने से लगता है कि लाखों लोग दिल्ली में बेरोजगार बैठे हैं। वे मुझे मिलते हैं। एक बार मुझसे कहा गया - तुम्हारे घर के सामने आत्मदाह करेंगे। मैंने उनको बुलाया और कहा कि मैं तो चाहता हूं लेकिन कोर्ट का निर्णय है इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। अब कोर्ट का निर्णय हो गया और आपके आशीर्वाद से पार्लियामेंट का निर्णय हो गया। इसमें कोई लू पोल नहीं है, लैप्सिस नहीं हैं। मैंने दो ही सुधार किए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पद्धति ऐसी है कि कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस से पहले लर्निंग लाइसेंस लेना पड़ता है। लर्निंग लाइसेंस के बाद परमानेंट लाइसेंस बनता है और परमानेंट लाइसेंस के एक साल बाद कमर्शियल लाइसेंस बनता था यानी तब ई-रिक्शा चला सकेंगे। वे लोग जो गरीब हैं, डेढ़ साल क्या करेंगे? वे रोजी रोटी कैसे चलाएंगे? इसमें इसीलिए सुधार किया है कि दस दिन की ट्रेनिंग मैन्युफैक्चरर देगा या एसोसिएशन देगी, उसके बाद लाइसेंस मिलेगा और तब इसे चलाया जा सकेगा। इससे गरीब आदमी की रोजी रोटी चल सकेगी।

हमने दूसरा निर्णय भी किया है। पहले था कि दसवीं या आठवीं पास ही चाहिए। बिहार, यूपी से जो गरीब लोग आए हैं, रोजगार के लिए आए हैं, अब कोई मैट्रिक पास है और कोई नहीं है। यह मेहनत का काम है। एजुकेशन वाली कंडीशन निकाल दी है। दो ही बातों के लिए बिल लाए हैं। अब अगर दो बातों को निकाल आप बिल का पारित करने में जल्दी करेंगे तो तुरंत लाखों लोगों को रोटी मिल जाएगी। अर्जेंसी

इसकी है। खड़गे जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं क्योंकि यह गरीबों के हित में है। आप भी दिल से चाहते हैं कि गरीबों का कल्याण हो और गरीबों को तुरंत रोजगार मिले। यह केवल दिल्ली इलैक्शन के लिए नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हजारों करोड़ों लोगों का काम है, सब जगह यह चलने वाला है। हमारे देश में चुनाव तो हर साल होते रहते हैं। आप इसे स्टैंडिंग कमेटी में ले जाने की बात मत कहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके पास कोई भी समस्या है, कोई भी अच्छा सुझाव है, आप मेरे पास आइए, जब सरकार आपके अच्छे सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो आप स्टैंडिंग कमेटी में जाने की चिंता क्यों करते हैं?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: माननीय उपाध्यक्ष जी, आप जिस मकसद से आप इस बिल को लाए हैं या जो कानून है, उसके विरोध में किसी सदस्य ने बात नहीं कही है। प्रश्न यह है कि जो पार्लियामेंटरी प्रोसीजर है, हम हमेशा जो फॉलो करते आए हैं, हर एक्ट को, हर अमेंडमेंट को, मोर और लैस, जो बिगर अमेंडमेंट्स हैं, उनको स्टैंडिंग कमेटी में भेजते आए हैं। यहां नायडू जी भी बैठे हैं। एक ऐसी ही बात हुई थी कि आर्टिकल 371जे कांस्टीट्युशनल अमेंडमेंट था, मेरे प्रदेश हैदराबाद कर्नाटक के लिए था। आपको मालूम है कि कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट में कितनी कठिनाई होती है, उस वक्त बीजेपी और सभी पार्टियों ने सपोर्ट किया इसलिए वह आ गया।

<u>16.00 hrs.</u>

लेकिन उसमें कुछ खामियाँ थीं, इसलिए हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने ऑब्जेक्शन किया था। उस वक्त वैंकैय्या नायडू साहब गृह विभाग संबंधी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। हमने इसे उठाया था। बहुत कठिनाइयों के बाद यह कानून आया है। इसलिए इसे स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजिए। तब उन्होंने कहा कि यदि दो दिन में करना पड़े या तीन दिन में करना पड़े, हम करके देंगे। मैंने कहा- ठीक है। …(व्यवधान) उन्होंने एमर्जेंसी मीटिंग बुलाकर चार दिनों में उसमें जो भी खामियाँ थी, स्टैंडिंग कमेटी द्वारा उसे सेट्राइट करके फिर तुरंत भेजा। तो आपको दूसरों की बात सुनने में क्या है? आप मुझे ऐसे कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं कि जैसे हम गरीबों के विरोध में हैं और आप गरीबों के पक्ष में हैं। …(व्यवधान) आपका पूरा बजट बोल रहा है कि आप गरीब के पक्ष में हैं या अगेंस्ट में हैं। आपका मनरेगा प्रोग्राम बोल रहा है, आपके सब्सिडी के स्कीम्स बोल रहे हैं। …(व्यवधान) इसीलिए कोई विरोध में नहीं है। सभी इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यह जल्दबाजी में न हो, यदि इस पर कुछ सुझाव भी आते हैं, जैसा कि आपने कहा कि श्री सत्पथी साहब ने आपको कुछ सुझाव दिये, हो सकता है स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से भी कुछ सुझाव आएं। उसे दो-चार दिन में भी कर सकते हैं, यदि चाहें तो कभी भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। If we

go about against the procedure, this will set a bad precedent. If you continue this precedent, then, there is no role for the Standing Committee. Therefore, we are requesting - we are not blaming anybody - but you should go according to that.

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो श्री खड़गे जी ने स्प्रिट के संबंध में बताया है, उसमें दो मत नहीं है। आप भी गरीब लोगों की सेवा करना चाहते हैं, हम भी सेवा करना चाहते हैं, हम सब मिलकर गरीबों की सेवा करें, उनका उत्थान करें और आगे बढ़ें। ...(व्यवधान) इस पार्लियामेंट में जब से हम आए, तब से रेलवे अमेंडमेंट बिल पर तीन घंटे तक चर्चा करने के बाद हमने स्टैंडिंग कमेटी को भेजा, इसी प्रकार से एस.सी.एस.टी. प्रिवेंशन एट्रोसिटी बिल, फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल, रिपील एंड अमेंडमेंट बिल, 2014 स्टैंडिंग कमेटी में गया और जूवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटैक्शन बिल के बारे में मैं समझता था कि यह जल्द से जल्द होना चाहिए क्योंकि जिस बच्चे में रेप करने का सामर्थ्य है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि इसे जल्दबाजी में पास नहीं करना चाहिए, इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, इसलिए उसे भेजा गया। इसलिए सरकार को कोई संकोच नहीं है। मगर जिस विषय के संबंध में ज्यादा मतभेद नहीं है, जिसमें ब्रॉडली सर्वसम्मति है, ऐसे विषयों को स्टैंडिंग कमेटी में भेजकर समय नष्ट क्यों करना चाहिए, ऐसा सोचकर हमने अनुरोध किया है।

दूसरी बात, अभी श्री खड़गे जी रूल्स-रेगुलेशंस वगैरह के बारे में बता रहे थे। इस पर एक एग्रीमेंट हो जाए, कल से हम और आप, सभी लोग, जो पुस्तक में है, जो अभी तक प्रिसिडेंट्स हैं, क्वेश्चन आवर से लेकर सभी नियमों का पालन करेंगे, यदि ऐसा निर्णय लिया जाए तो हम जरूर स्वीकार करेंगे, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ...(व्यवधान) आप नौ बार लेजिस्लेचर में थे, Can anybody teach you, Sir? …(*Interruptions*) मैं ऐसा दुस्साहस नहीं कर रहा हूं, सिखाना संभव नहीं है। इस उम्र में कोई सीखेगा भी नहीं। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यदि आप कानून के तहत चलेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। ...(व्यवधान) लेकिन कहना एक बात है और करना अलग बात है। यदि ऐसा हुआ तो वह ठीक नहीं है। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, you address the Chair.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record what he says.

… (*Interruptions*) … *

---

* Not recorded.

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record. Please take your seat.

(Interruptions) … [*]

श्री नितिन गडकरी : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सम्मानीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि यह अमेंडमेंट बिल है, इसके बाद में रूल्स बनने वाले हैं और आज सदन में इस बिल के बारे में माननीय सदस्यों के जितने प्रश्न, शंकाएं एवं समस्याओं का मैंने जवाब दिया है। यह बिल पास होने के बाद हम इसके रूल्स बनाने वाले हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अभी भी कोई सुझाव रह गया हो तो आप हमें दीजिए, मैं आपके अच्छे सुझावों को खुले दिल से उसमें अंतर्भूत करूंगा। यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं आपसे फिर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि दिल्ली के लाखों लोग आज घर में बैठे हैं, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, एक-एक दिन उनका रोजगार छीना जा रहा है, बहुत-से रिक्शों को पुलिस ने जब्त कर रखा है। ऐसी स्थिति में आज उन गरीबों की तरफ देखते हुए, उनकी रोजी-रोटी की तरफ देखते हुए पुराने रिक्शों को हम रेगुलराइज कर रहे हैं। उनको हमने पूरी तरह रेगुलराइज करने के बारे में भी स्कीम बनाई है। हम किसी का रोजगार नहीं छीनना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उन गरीबों के हितों का विचार करते हुए, जितना जल्द हो सके, इसको इंप्लीमेंट करना गरीबों के हित में है। हमारे देश के इतिहास में पहली बार करोड़ों लोगों को फायदा देने वाला यह बिल है। आप सभी ने इसका समर्थनत किया है, आपने अच्छे सुझाव दिए हैं और मैंने उनके बारे में जवाब दिया है। अगर कुछ कमी रही तो उसे रूल्स में डालने के बारे में विश्वास दिलाया है। मेरे भाषण के बाद भी अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। आप अगर मेरे पास आना चाहते हैं तो जितने लोग आते हैं, अगर अच्छा सुझाव देते हैं तो मैं उनको मान्य करने के लिए तैयार हूं।

मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की मांग को आप छोड़ दीजिए और इस बिल को मंजूर कीजिए। यह देश के इतिहास में गरीबों के हितों में एक अच्छा काम हो रहा है। आप सभी एकमत से इसका समर्थन कीजिए। यही मैं आपसे नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं।

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Mr. Deputy Speaker, Sir, the point which I want to make is not directly related to this Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2014. It is relating to pollution.

---

[*] Not recorded.

HON. DEPUTY SPEAKER: If you want to ask any clarification on this Bill, you can ask now.

SHRI K.H. MUNIYAPPA : I want to draw the attention of the hon. Minister towards the problem of pollution in the country. Pollution is not only caused by a particular type of vehicles. Pollution issue has to be addressed comprehensively in the whole country. Pollution is caused not only by motor vehicles, but it is caused also by rail, aeroplanes etc. इसके बारे में थोड़ा सोचिए कि क्या करना चाहिए। यह बहुत इम्पोर्टेंट मामला है, पूरे विश्व में पोल्यूशन की बात हो रही है। इस पर थोड़ा सोचिए।

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to have a small clarification from the Minister. The Statement of Objects and Reasons of this Bill starts with a very self-defeating line. It reads:

> "Under the Motor Vehicles Act, 1998, no person can be granted a Learner's Licence to drive a transport vehicle unless he has held the Driving Licence for a period of at least one year."

If you read this English, it means that if you want a Learner's Licence, you must have a Driving Licence which would have been alive for at least one year previous to your application of a Learner's Licence. I would request the hon. Minister to check this and clarify.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Mr. Deputy Speaker, Sir, e-rickshaw is a wonderful concept and it will be good to extend it to the whole country in a broader way. If we can give loans to buy these e-rickshaws at zero per cent interest and include it in any other employable schemes that the Government has newly brought it, it will be great. This is one point.

Secondly, since the hon. Minister is asking us not to insist on sending this Bill to the Standing Committee, I just wanted to know from him whether at the time of framing the Rules he will be able to involve an all party committee so that we can all give our suggestions as this is a new concept in the country.

श्री नितिन गडकरी : मैं आपके द्वारा सदन को विश्वास दिलाता हूं कि आप मुझे जो सुझाव देने हैं दीजिए, मीटिंग की भी जरुरत नहीं है, मैं तुरंत अधिकारियों को बुलाकर, आपके सामने, चर्चा करके, करने के लिए तैयार हूं। अगर आपका सुझाव सकारात्मक है, तो अवश्य होगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं इस सदन में नया हूं, लेकिन जो मेरे से मिले हैं, उनका अनुभव ऐसा नहीं है, क्योंकि नहीं होता होगा, तो मैं नहीं कह दूंगा। आप मेरे पास आइये, सुझाव दीजिए, मैं करुंगा।

दूसरी बात, जीरो-परसेंट इंट्रेस्ट पर करना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि यह मेरे विभाग के बाहर की बात है। इसके बारे में स्पष्ट आश्वासन देना मेरे अधिकार में नहीं है। मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी को यह प्रपोजल भेजा है, माननीय वित्त मंत्री जी को भी भेजा है और हमारे संबंधित मिनिस्टर को भी भेजा है, उन्होंने चार-परसेंट किया है। आपकी जो मांग है, उससे मैं सहमत हूं कि जीरो-परसेंट इंट्रेस्ट होना चाहिए। मैं मंत्री होने के नाते माननीय वित्त मंत्री जी और आदरणीय प्रधान मंत्री जी को यह बात कहूंगा और सरकार में कोशिश करुंगा कि यह जीरो परसेंट हो जाए।

सम्माननीय सदस्य ने ड्राइविंग लाइसेंस की बात की है, तो यह पुराने कानून में था। आपको कमर्शियल लाइसेंस चाहिए तो पहले लर्निंग लाइसेंस लो, फिर एक साल के बाद वह लाइसेंस परमानेंट होगा, फिर एक साल गेप के साथ परमानेंट लाइसेंस मिलता है। इसी को टालने के लिए हमने नियम को दुरुस्त किया है। अब यह है कि आपको लर्निंग लाइसेंस मिलेगा, 10 दिन की ट्रेनिंग आपको एसोसिएशन या मैन्युफैक्चरर दोनों में से किसी से मिलेगा। उसके बाद आपको सीधा कमर्शियल लाइसेंस ई-रिक्शा का मिलेगा, आपको तकलीफ नहीं होगी और तुरंत सब लोग काम पर लग जाएंगे, इसीलिए यह मार्ग निकला है।

प्रदूषण के बारे में आपने कहा, वह बात सही है। एयर-पॉल्यूशन और वाटर-पॉल्युशन बहुत बड़ा सबजैक्ट है और इस पर पीसमील में विचार नहीं हो सकता। यह तो सागर में हमारा एक छोटा सा प्रयास है। प्रदूषण के जो मार्ग हैं, एक-एक करके उन्हें हम बंद करेंगे, तभी हमारा प्रदूषण कम होगा। उसी दिशा में ई-रिक्शा की शुरुआत है, तो उतना पेट्रोल-डीजल कम लगेगा। बायो-फ्यूल की बसें आयेंगी। इथनॉल, बायोगैस, बायो-डीजल, ई-इलैक्ट्रिक से पॉल्यूशन कम होगा। ऐसा एक-एक प्रयास से पॉल्यूशन कम होगा और मैं आपकी बात से सहमत हूं। हमारी सरकार और मेरा विभाग, आपकी भावना से पूरी तरह से सहमत है और प्रदूषण मुक्त हिंदुस्तान के लिए जो भी कोशिश करनी पड़ेगी, जो-जो निर्णय करने पड़ेंगे और आप भी जो सुझाव देंगे, उनके आधार पर सरकार निरंतर काम करती रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और फिर से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इसे मंजूर करने की कृपा करें।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

SHRI NITIN GADKARI: I beg to move:

"That the Bill be passed."

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.13 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193
Reported dilution of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme – Contd.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now we are taking up Item 24; further discussion on the reported dilution of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme raised by Shri Sankar Prasad Datta on the 9th December, 2014.

Shri Prahlad Singh Patel to continue.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। मनरेगा के इन 8 वर्षों में 1,63,754 करोड़ रुपये मजदूरी के रूप में दिये गये।

16.14 hrs. (Shri Hukum Singh *in the Chair*)

उपाध्यक्ष जी, 21 जुलाई 2014 को एक अधिसूचना भारत सरकार ने जारी की थी। उसमें मनरेगा गारंटी अधिनियम की अनुसूची-1, पैरा चार और बीस में संशोधन किये गये थे, जिसके जरिये यह व्यवस्था थी, जिसके आधार पर शायद हमारे मित्र यह चर्चा लेकर आये थे। उसमें साफ लिखा है कि कम से कम 60 प्रतिशत कार्य भूमि, जल, वृक्षारोपण, कृषि एवं सृजित सम्पत्तियों की गुणवत्ता, उत्पादकता एवं टिकाऊपन के लिए होना चाहिए। ग्राम पंचायत के स्तर पर 40 प्रतिशत खर्च पर उसका अधिकार होना चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर चालीस फीसदी खर्च का उसका अधिकार होना चाहिए। जब मैंने चर्चा शुरू की थी तो मैंने बड़े ही आग्रहपूर्वक इस बात को कहा था कि यदि माननीय सदस्य इस बात से चर्चा शुरू करते कि मनरेगा में 1 लाख 63 हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बाद यह वास्तव में उपयोग साबित हुए या व्यर्थ में चले गए, इस पर चर्चा होती तो वह ज्यादा सार्थक और अच्छी होती। लेकिन हमने अधिकांश समय आरोप-प्रत्यारोप में ही खराब किया है। कुछ बातें मैंने उस समय भी कही थी और आज भी कहना चाहता हूं कि मनरेगा में कितने विकलांगों को रोजगार मिला? ऐसे कुछ राज्य हैं, जिनके आंकड़े हैं। मनरेगा के बारे में जितने भी लोग बात कर रहे हैं, जो गांव के लोग हैं, लेकिन कितने विकलांगों को रोजगार मिला? कितने ऐसे राज्य हैं, जहां महिलाओं को भी रोजगार नहीं मिला। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं, जहां 33 प्रतिशत से ज्यादा रोजगार मिला, जिनमें मध्य प्रदेश है, जहां महिलाओं को रोजगार मिला है। ऐसे भी राज्य हैं, जहां महिलाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं है। इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही का कहीं स्थान नहीं

है और मॉनीटरिंग के लिए कोई तकनीक नहीं है। पैसा तो इसमें दिया जा रहा है, लेकिन गुणवत्ता की कोई चिंता नहीं की गयी। यही बात सरकार ने अधिसूचना में की है। इससे यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि हम मनरेगा को हतोत्साहित करना चाहते हैं। लेकिन जो लाखों-करोड़ रूपये देश का खर्च हो रहा है, उसमें गुणवत्तापूर्ण असेट्स बनने चाहिए। दस लाख से ज्यादा अधूरे काम इन आठ वर्षों में हुए हैं। कुल 16 लाख काम पूरे हुए हैं। अधूरे पड़े कामों को पूरा करने की बात सरकार ने इस अधिसूचना में की है। इस आधार पर इसमें आलोचना नहीं की जा सकती। यह समय सूचना क्रांति का है, लेकिन मनरेगा में आपको यह कहीं नहीं मिलेगा। इसमें एक सहायक होता है, जिसमें उसको पता ही नहीं होता है कि इसको रिकार्ड में कहां लाना है? इस बात के लिए मजदूर तीन-चार महीने तक रोते हैं।

महोदय, हमारे तृणमूल के एक सांसद ने महात्मा गांधी जी का नाम लेकर कहा था कि हम महात्मा जी का सम्मान करते हैं। गांधी, लोहिया और दीनदयाल तीन ऐसे विचारक हैं, जिन्होंने गांव, गरीब और किसानों के बारे में जितनी ईमानदारी से लिखा, भोगा और उसका समाधान दिया, मैं नहीं समझता हूं कि किसी दूसरे दार्शनिक ने किया है। मैं रिपोर्ट के आधङ्गर पर बताना चाहता हूं कि सौ दिन की गारंटी दी गयी थी, लेकिन वर्ष 2012-13 में कुल 43 दिन रोजगार मिला। वर्ष 2013-14 में 46 दिन रोजगार मिला। सौ दिन रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा 43 और 46 दिन में सिमट गयी। महात्मा गांधी ने इसमें भ्रष्टाचार की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने भ्रष्टाचार का विरोध किया था। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। अकुशल वेतन में जो साठ प्रतिशत खर्च होना था, वह 70 फीसदी खर्च हुआ है। आपने कोई वैकल्पिक रोजगार पैदा नहीं किए। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक एक परिवार के प्रति 6104 रुपए साल में पूरी इनकम है। मजदूरों के बच्चों के खिलौनों के लिए मनरेगा के एक करोड़ रुपए खर्च हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह गांधी जी कह कर गए थे। एक रिपोर्ट के हिसाब से अधिकारियों और मजदूरों के लिए पानी पिलाने पर 50 लाख रुपए खर्च हो गए, यह बात भी महात्मा गांधी जी नहीं कह कर गए थे। 16 कम्प्यूटर्स और प्रिंटर्स के लिए 39 लाख रुपए खर्च किए गए। मुझे नहीं पता है कि देश में कम्प्यूटर्स और प्रिंटर्स किस भाव पर मिलते हैं लेकिन 39 लाख रुपयों में सिर्फ 16 कम्प्यूटर्स और प्रिंटर्स खरीदे गए। नोटिस बोर्ड के लिए 49 लाख रुपए खर्च किए गए।

अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सदन में मजदूरों की बात बहुत कही जाती है, मुझे लगता है कि हम सभी को पलट कर देखना चाहिए। वर्ष 2010-2011 में मानव दिवस दिनोंदिन घटते गए हैं। वर्ष 2010-2011 में 3026 लाख मानव दिवस थे। वर्ष 2011-2012 में घटकर 2042 लाख मानव दिवस रह गए। उसके बाद वर्ष 2012-2013 में 2202 लाख मानव दिवस और आज वर्तमान 2013-2014 में 1838 लाख मानव दिवस रह गए हैं। यानी आप लगातार किसी को रोजगार भी नहीं दे पा रहे हैं। दिनों

की बात अलग है, लेकिन जो मानव दिवस हैं, वे भी कम होते जा रहे हैं। काम अधूरे पड़े हैं और इतनी बड़ी धनराशि का आप दुरुपयोग करते जा रहे हैं। इस सब के बावजूद भी इस पर सवाल न उठाना, यह ठीक नहीं हैं। हमारे जो भी मित्र हैं, मैं उनसे बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि कुल 23,57,692 कार्य पार्लियामेंट की रिपोर्ट का आंकड़ा है, इतने काम शुरु हुए थे, उसमें से 16,52,362 कुल पूरे हुए हैं और दस लाख से ज्यादा काम आज भी अधूरे हैं।

मैं मजदूरों के बीच में काम करता हूं। मैं सरकार से एक बात आग्रह के साथ कहूंगा कि जो भी हो, जिन लोगों ने इस पैसे का दुरुपयोग किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपके पास कोई संचार का साधन नहीं था। आप मूल्यांकन की पद्धति को विकसित नहीं कर सके। जो सिफारिशें लगातार सरकार के सामने आती रहीं, उन सिफारिशों की आपने चिंता नहीं की। उनमें साफ लिखा था कि कृषि के विकास को बढ़ावा दिया जाए। समिति ने अनुमोदन किया था कि उसका उपयोग करना चाहिए। कृषि उत्पादन में जो सामुदायिक भंडारण है, जिसके लिए किसान मरता जाता है, मनरेगा को उसमें पैसा देकर उसको खड़ा करते, इस सिफारिश की आपने कभी चिंता नहीं की। यह सिफारिश पहले से थी। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्य मंत्री सड़क योजना बनाई है। प्रधान मंत्री सड़क की आबादी के नीचे जो गाँव आते हैं, वे सड़कें इस पैसे से बन सकती थीं। उसकी चिंता आपने कभी नहीं की। यह सिफारिश पहले से थी। उसके बाद जो जैविक उर्वरक बनाने की पद्धतियां हैं, उन एसैट्स में अगर पैसा खर्च किया होता तो ज्यता बेहतर होता। मुझे लगता है कि सिंचाई, तालाबों औऱ नालों के खनन के संरक्षण में अगर हम इस पैसे को लगाते तो शायद किसान का भी भला होता। मैं पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करता हूं, मैं नदियों की सफाई में रुचि रखता हूं। इसलिए मुझे लगता है कि इससे कहीं और ज्यादा जिसको हम राष्ट्रीय आपदा कहकर सदन में चिल्ला-चिल्लाकर पैसा मांगते हैं कि भूकंप आ जाए, सूखा पड़ जाए, अगर उस पैसे का उपयोग उस किसान के लिए किया गया होता तो ज्यादा बेहतर होता।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां चौथी फसल खराब हुई है। हम वैसे भी कम जल वाले क्षेत्र हैं और अगर वास्तव में मनरेगा का पैसा उस किसान को अगर दे दिया जाता तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादा सार्थक काम होता।

आठ महीने से मजदूरों को अभी भी वेतन नहीं मिला है। जो अधूरे कार्य हैं, यहां से राशि जल्दी रिलीज करनी चाहिए और मैं नहीं जानता कि इसमें कितने राशि की बेईमानी की गई है, लेकिन मजदूर का पैसा मजदूर को मिल जाए, अधूरे काम पूरे हो जाएं जिनका सरकार ने वचन दिया है, यह राशि जल्दी रिलीज हो जाए और उस गरीब आदमी के हित का संरक्षण होना चाहिए तथा चूंकि मैं गरीबों के बीच में कार्य करता हूं, किसान का बेटा हूं, उसकी सामाजिक सुरक्षा की चिंता करने वाली यह सरकार है, इसलिए

इस मनरेगा के पैसे को तत्काल इन जिलों में वापस करना चाहिए। मुझे जो जानकारी आई है, चाहे मनरेगा की राशि हो, राज्य स्तर पर आ जाती है, लेकिन उसके कमपलीशन के सर्टिफिकेट नहीं आते, इस कारण से राशि रुकी हुई है। मैं सभी मित्रों से कहूंगा कि जो आपकी राज्य सरकारें हैं, उनसे कहिए कि जल्दी कमप्लीशन रिपोर्ट भेजे ताकि उस गरीब आदमी का पैसा उसको मिल सके और यह काम जारी हो सके। धन्यवाद।

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Hon. Chairperson, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to talk about the important issue of this country, that is, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

Sir, it has been recognized that this is one of the effective and one of the most humane initiatives of the Government of India. It is a humanitarian and productive, and it gives confidence to the section of the people who have been ignored for generations.

I am proud to inform this august House that the said Scheme was launched in Maharashtra more than 25 years ago under the name of 'Employment Guarantee Scheme'. That Scheme still continues. Maharashtra is a pioneer of this Scheme, and the great Gandhian leader, Balasaheb Bharade, launched this Scheme.

I welcome the decision of the Government to give special focus to 2,500 backward blocks and granting 60 per cent of the works to these blocks for creating productive work. I also welcome the decision of the Government to ensure smooth flow of funds and reduce the delay in payment of wages by introducing 'Electronic Fund Management System', which will further strengthen the Scheme and encourage social audit. But, on the other hand, I would also like to draw the attention of the House that the attraction of labourers towards this Scheme is declining day by day. It has appeared that in the newspapers during the last five years involvement of women in this Scheme is declining which has reduced from 50 per cent to 43 per cent.

Sir, if you consider inflation, wages paid to these workers is very low. There is an increase of only Rs. 41 during the last four years. In 2011-12, an amount of Rs. 127 per day was paid, which has increased to merely Rs.168. It should, at least, be increased to Rs. 350 per day.

In the recent Budget, provision under MGNREGA in 2013-14 was Rs. 33,000 crore; and in 2014-15, it is Rs. 34,000 crore, which I think is inadequate. It

is seen that 10.6 crore households had applied for the work till 25th November this year, but the work was provided 8.3 crore households only leaving 2.3 crore households without work. In Maharashtra also, same is the situation. In 2012-13, 2.28 lakh households out of 16.25 lakh households were benefited; and in 2013-14, only1.2 lakh households out of 11.40 lakh households were benefited. This huge drop to provide work to the poor rural households appear to be directly related to the cut in the funding of the scheme.

Therefore, Sir, I would request the Government to increase the Budget provision under MGNREGA.

Another point is that corruption is major cause in delay of payment. One of the cruel things that is done to the poor is making them work and not paying them or delay in payment. It is found that Rs. 8,908 crore was due to workers as the back wages going up to 90 days. This logjam has severely affected the ongoing workers across the States. I would, therefore, request the Government to take strict action against those who are responsible.

The major work, which is undertaken under this scheme is the digging of wells. Here, the ratio is 60 per cent unskilled and 40 per cent skilled. I feel that it should be the other way round. Forty per cent should be unskilled and 60 per cent should be skilled. I am saying it because while digging wells, you get hard rock at the depth of eight feet to 15 feet. Further, digging requires skilled machineries. But due to 40 per cent shares, the work comes to a standstill. In my Constituency, work on 3,000 wells is lying stagnant. So, I would request the Government to reverse the ratio or make it 50:50.

Sir, we talk about productive assets. Building toilets under the Swachh Bharat Abhiyan would be the great idea to provide employment and also increase the number of toilets in the villages so that we can reach our goal "No open defecation" till 2019.

Sir, when hon. Shri Jairam Ramesh was the Minister, he had promised that 60 per cent of the MGNREGA work would be linked to agriculture sector. I

welcome his decision. But I do not think that much has been done. It is becoming very difficult to get a labour for agriculture sector. Linking these two schemes would go a long way in improving agriculture and food security in the country.

We must also see whether labourers under MGNREGA have learned any skills; and how these skills can be used in other jobs.

I hope all these suggestions would be considered by the hon. Minister favourably by taking necessary prompt action to strengthen and improve this scheme.

With these words, I conclude. Thank you.

SHRI KADIYAM SRIHARI (WARANGAL): Sir, thank you very much. I may be permitted to speak in my mother tongue Telugu.

*Sir, even after 67 years of independence and 64 years of Constitution coming into force, there are political, social and economic disparities in democratic India. Poor people belonging to SC, ST and weaker sections, are still living below poverty line. The state and Central Governments introduced many schemes for poverty alleviation but due to lack of positive mind set, the schemes did not yield desired results. No one is trying to bridge gap between rich and poor. The gap is only increasing day by day. There are many agricultural labourers who are migrating in search of livelihood. They are leaving their native villages due to lack of employment. They are leaving their families and migrating to different countries. We know, how much pain these migrants must be going through. We know, how many difficulties they are subjected to. But these governments, though they introduced many programmes to alleviate poverty, the desired results could not be achieved.

In such circumstances, I would like to refer to provisions of Constitution where 'Right to live' and 'Right to work' are mentioned. Keeping these provisions in view, the Government in 2005 legislated a very good Act that is National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

"The National Rural Employment Guarantee Act, 2005 provides for the enhancement of livelihood security of the households in rural areas of the country by providing at least 100 days of guaranteed wage employment in every financial year to every household whose adult members volunteered to do unskilled manual work."

This is a very good legislation for poor people particularly belonging to rural areas. When there is no agricultural work, poor labourers could be benefited by giving work under NREGA. There are different versions on the manner in

* English translation of the speech originally delivered in Telugu.

which NREGA is being implemented and the manner in which objectives are being achieved. There are versions in favour as well as against this Act. Those who are pro-poor, those who wish that poor should rise above poverty line, those who think of welfare of scheduled castes and tribes, would like this Act to continue. But this Government is trying to make some changes to this Act. It is the responsibility of the Government to explain, what changes it intends to make and what is the necessity to make such changes. Through NREGA 5 crore households could get employment and wages. 5 crores household means around 25 crores of our population. Which means one out of three households in our country could get employment under this Act. Interestingly, 54% of work force under NREGA are women. Similarly, 29% of work force belongs to SC/ST community. In a way, NREGA is providing employment to women and SC/ST communities living in rural areas. Usually, labourers get 100 days of agricultural work in a year, if work for 100 more days is provided that will support them financially. They can send their children to school, they can build their houses and can get two square meals.

I request the Central Government to implement the scheme as it is without making any changes to the original Act. There are news that the Government intends to make some changes to this Act. One of the important changes that is being proposed is to increase material component from 40% to 49%. By increasing material component labour component would be decreased from 60% to 51%. This will facilitate contractors' entry in NREGA works and more machinery will be used for these works. Poor labourers will be in trouble due to lack of work and wages. The objectives of this Act to support poor agricultural labourers would be defeated by bringing in such proposed changes. That's why I request the Central Government not to reduce labour component and not to make any changes to the original Act. NREGA was implemented in three phases throughout the country, but now the Government plans to restrict this scheme to 2500 blocks only. I would like to ask the Government whether poor are living in

only those 2500 blocks? Whether agricultural labourers are living only in those blocks? There are poor agricultural labourers throughout the country. Even if a block of village is very well developed even there poor people exist. That's why I request that this scheme should be implemented as it is throughout the country. Otherwise, we will be meting out injustice to poor people living in other regions.

I request the Central Government not to make any changes to this Act. If there are any doubts in implementing the Act or achieving the objectives of the Act, the Government should find ways to implement this Act effectively. If there are any loopholes or leakages in the Act, they should be checked. Checks and balances could be exercised through social audit. We should think about building assets. There is a proposal to integrate agriculture with MNREGA, already there is a provision to carry out agricultural works under MNREGA.

Government should note that MNREGA provides employment to agricultural labourers when there is no agricultural work. Poor people can get work under MNREGA, when there is no employment. It is not right to integrate agriculture with MNREGA. I request the Government not to make any changes to MNREGA and it should be implemented as it is, in every village and in every region throughout the country. Thank you very much, Sir.

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): सभापति जी, देश के दलित, गरीब, पिछड़े, आदिवासी और जरूरतमंद लोगों को रोजगार और आधार देने वाली नरेगा जैसी योजना पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते थे कि भारत देश की आत्मा ग्रामीण क्षेत्र में बसी है। ग्रामीण क्षेत्र में जिस किसी के पास रोजगार न हो, ऐसे हर घर में, चाहे पुरुष हों या महिलाएं, साल में कम से कम सौ दिन काम देने की योजना है। सितम्बर, 2005 में यूपीए सरकार यह योजना लाई थी। देश में कहीं भी कोई आदमी या औरत काम की मांग करता है और 15 दिनों के अंदर उसे काम न मिले तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। इस तरह का एक एक्ट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी एक्ट अमल में आया। इस योजना के बहुत सारे फायदे हैं। यह योजना और भी कई तरीके से लाभदायक है। जैसे कि देश में किसी तरह की भी कोई आपदा आती है, जैसे भूकंप, सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि ऐसे वक्त में नरेगा जैसी योजना से जॉब गांरटी का एश्योरेंस उस परिवार को दिया जा सकता है।

रोजगार के साथ-साथ एसैट्स बल्डिंग का भी काम बहुत अच्छी तरह से इस योजना के माध्यम से हुआ है। जैसे वॉटर कंजरवेशन के बहुत सारे काम हुए हैं, चैक डैम्स बनाए गए हैं, माइनर इर्रीगेशन टैंक्स बनाए गए हैं, रूरल कनेक्टिविटी के तौर पर गांव के छोटे रोड्स, पशुओं के शेड्स, पॉल्टरी फार्म्स के शेड्स और कुएं खोदने जैसे प्रभावी काम इस योजना के माध्यम से हुए हैं। कुछ राज्यों में यह योजना बहुत ही पापुलर रही है जैसे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जितने लोगों ने काम मांगा, सौ प्रतिशत में से 87 प्रतिशत लोगों को इस योजना का लाभ मिला। कुछ राज्यों में यह योजना अनपापुलर रही है, जैसा कि एक सर्वे में आया है कि दस राज्यों में 83 परसेंट लोगों ने काम की डिमांड की थी, लेकिन सिर्फ 8 परसेंट लोगों को सौ दिनों का काम मिला। इस योजना का एक और फायदा यह हुआ है कि देश में 54 प्रतिशत महिलाओं को इस योजना के तहत काम मिला है।

यह जो आपको इसमें हर राज्य का या हर ब्लॉक में इम्बैलेंस दिख रहा है, इस इम्बैलेंस की वज़ह से वर्ष 2010-11 में जहां इसका बजट 40 हजार करोड़ रुपये था, वहीं वर्ष 2013-14 में यह 33,000 करोड़ रुपये हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री की एक बेवसाइट है, जिसका नाम इंवेस्ट इंडिया है, इंवेस्ट इंडिया के अनुसार देश में इस योजना से 1.8 मिलियन लोगों को काम मिला और अगले एक साल में 1.1 मिलियन लोगों को काम मिल सकता था। सरकार इस योजना को डाइल्यूट करना चाहती है, इसमें कुछ बदलाव लाना चाहती है। इसकी क्या वज़ह है, यह पता नहीं है। मैं यह मानता हूं कि इसमें कुछ लीकेज़ेज हो सकती हैं, पर इस योजना को बंद करना या इसे बदलना इसका सॉल्यूशन नहीं होगा।

सभी लोगों का सुझाव लेकर इसका सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। इसे सक्षम बनाना चाहिए। हम सब को इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यह देश के हज़ारों-करोड़ों लोगों के चूल्हे से जुड़ी हुई योजना है, आम आदमी की रोज़ी-रोटी से जुड़ी हुई योजना है। इसे और प्रभावी बनाना जरूरी है।

सभापति जी, इसके सुदृढ़ीकरण के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जैसे कि हर गांव में इंटर पार्टीसिपेटरी प्लानिंग एक्सरसाइज होना जरूरी है। जैसे हम कुछ गांवों में पाते हैं कि सिर्फ़ सरपंच या सदस्य इसकी प्लानिंग करते हैं और अगर उनके कुछ पर्सनल काम हैं तो उन्हें इसमें डाल देते हैं, जिसकी वज़ह से लोग इसमें इंटेरेस्ट नहीं ले पाते हैं। लेकिन प्लानिंग करते वक्त अगर पूरे गांव के लोगों को एक साथ बिठा कर प्लानिंग की जाए तो सारे लोग इसमें रूचि लेंगे और बहुत सारे प्रोडक्टिव काम इसके माध्यम से हो सकते हैं।

इसका रेशियो 60:40 था, जिसके बारे में हमारे कई मित्रों ने कहा कि इसे बदलना चाहिए। जिस जिले में लेबर की कमी है, अगर वहां मशीनरीज को एडॉप्ट किया जाए तो बहुत सारे काम हो सकता है। अगर आप इसका कॉस्ट बेनेफिट देखेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केरल ने जो भी इंवेस्टमेंट की है, उनकी रिकवरी एक साल में हुई है।

वाटर कंजर्वेशन जैसे प्रोजेक्ट्स को इसमें प्रॉयोरिटी देनी चाहिए, यह मैं मानता हूं। टिश्यू कल्चर जैसी सरकार की जो योजना है, उसमें भी मनरेगा को इंवॉल्व करना चाहिए। एक सौ दिनों की गारंटी का जो काम है, उसे बढ़ाकर डेढ़ सौ या दो सौ दिनों का करना चाहिए।

माननीय सभापति : धनंजय जी, अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री धनंजय महाडीक : जो छोटी या कम लैंड होल्डिंग वाले काम हैं, वे इस काम में नहीं आते हैं, इसलिए उनकी साइज का कम या ज्यादा होना जरूरी है। इसका पन्द्रह दिनों में पेमेंट होना चाहिए और ई-पेमेंट होना चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार नहीं होगा।

इसके बजट में 3% सुपरविजन चार्जेज होने चाहिए। जवाहर रोजगार योजना में जो डेढ़ सौ मीटर के अंतर की शर्त है, उसे कम करना चाहिए।

माननीय सभापति : अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री धनंजय महाडीक : सर, बस लास्ट प्वायंट है, एक महत्वपूर्ण सुझाव है। देश में चीनी के दाम कम है। सारी चीनी मिलें दिक्कतों का सामना कर रही हैं। अगर सुगरकेन हार्वेस्टिंग इसके माध्यम से होगी तो सुगर फैक्टरियों को भी इससे बहुत फायदा हो सकता है। यह मैं आप से गुज़ारिश करता हूं।

Lastly, I would like to conclude with the words of Dr. B. R. Ambedkar. He had said that :

> "But let us not forget that this Independence has thrown on us great responsibilities. By Independence, we have lost the excuse of blaming the British for anything going wrong. If hereafter things go wrong, we will have nobody to blame except ourselves."

Thank you, Sir.

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Sir, thank you for giving me an opportunity.

यह चर्चा एमएनआरइजीए को डाइल्यूट करने के ऊपर चल रही है। I am really surprised because in the last Budget the allocation was Rs. 33,000 crore, and the amount actually released to the States was Rs. 38,000 crore. This time around, the amount released is Rs. 34,000 crore. It is a demand-driven scheme, and it is a right also as this Parliament has given the right to the unemployed youth. Hence, I feel that the Government will provide whatever is needed, and I do not think that there is a need to discuss about any dilution in it.

Whatever shortcomings are there, they will have to be discussed. मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो कमियां हैं, the objective of MGNREGA is to reduce unemployment in India and to augment wage employment. यह योजना अच्छी है, यूपीए गवर्नमेंट लाई है, यह बुरा है, यह मैं नहीं कहता हूं। योजना अच्छी है, इसमें जो भी कमियां है, इसमें बहुत कमियां हैं। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसकी चर्चा होनी चाहिए। इसमें जो कुछ भी बदलाव करना चाहिए, वह जरूर करना चाहिए। डॉयल्यूट नहीं करना चाहिए, यह जो मांग है, मैं भी मानता हूं, लेकिन चर्चा ही नहीं करना और इसमें जो बदलाव लाना चाहिए, वह बदलाव भी नहीं करना, यह सोच बिलकुल गलत है। इस संविधान में कितनी बार बदलाव किया है। अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो उसमें जरूर बदलाव करना पड़ेगा।

These statistics speak for themselves. According to the data shown on the Web portal of MGNREGA under the Ministry of Rural Development and Panchayati Raj, during 2013-14, that is, last year – our Government was not there; it was the UPA Government which was there – total job cards issued were 13.16 crores or to be very precise 13,16,27,029. Out of that, only 5.8 crores or 39 per cent of people demanded work. Again, out of that, 4.79 crore people or 36.1 per cent of people actually came work and the remaining 60 per cent of people did not come for work. Out of 13.6 crores who were registered, only 46 lakh people completed 100 days of work. For some reason, there may be some shortcoming in

the system itself, people have not come forward to claim 100 days of work. Only 3.54 per cent of people only have completed 100 days of work. This is something that has to be seriously thought over to see how the situation can be improved.

Another objective of the Scheme is to reduce distress migration. माइग्रेशन अभी भी हो रहा है, पांच-छ: साल MGNREGA को आए हुए हो गए हैं, फिर भी माइग्रेशन हो रहा है। The villages have become almost like old-age homes. Why is it happening? It is because there is no durable asset, whereas the objective is to create durable or useful assets in villages.

In the last five to seven years, a total of 1,776.97 man-days have been generated by spending a total of Rs. 2,69,724 crore. This is huge money. How many durable assets have been created? I would like to tell you what is happening in this regard. सभापति महोदय, गांवों में जो काम चल रहे हैं, ड्यूरेबल असेट न होने के कारण, construction of the same road will be repeated again. That is why stress should be laid on creation of durable assets and the Government should keep that in mind. Why is migration happening? Just by giving employment, people will not remain in villages. Facilities like water, road, good school and other things which are available in cities should also be provided in villages. With this huge amount of Rs. 2,69,000 crore, which was spent during the last five to six years, we should have created durable assets which will make people to stay in villages. As I have said earlier, villages are becoming old-age homes. हमें दिखाना चाहिए हमें दिखाई पड़ना चाहिए कि कितने-कितने असेट पिछले वर्ष में क्या-क्या उस गांव में हो गया है।

इसका एक सोशल आडिट होना चाहिए और एसेट के बारे में We should be very firm. रास्ता इस बार भी बनेगा, बरसात आ जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर वही रास्ता बनेगा। गांव में यही चल रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में इसमें करप्शन हो रहा है। सोशल आडिटिंग के बारे में हमें बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। माननीय जयराम रमेश जी जब मंत्री थे, उन्होंने एनाउंसमेंट किया था, इसका पहले के वक्ता ने जिक्र किया। We will link it with the agriculture. इसके बारे में शरद पवार जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, हम सबको इसके बारे में मालूम है। After introducing MGNREGA, we are not getting labourers to work in the agricultural field. After that, there was a statement

by the then Minister Shri Jairam Ramesh Ji that we will link it with the agriculture. So far, it has not happened. अभी तक वह हुआ नहीं है। Otherwise, a day will come that इसमें करप्शन है, लोग काम के लिए नहीं जाते हैं। Job cards will be kept with some senior leader of the village or the President of the Panchayat or somebody who is powerful in the village and whatever work he wants to get done, he will get it done through the machinery. With those cards, he will claim it. For example, recently in Karnataka, a Circular was given to all the district CEOs saying that fiscal target is fixed. The Secretary of the Government of Karnataka and Commissioner of the Panchayat Raj and Rural Development उन्होंने एक सर्कुलर दिया है। You have to spend so much in this financial year. When it is demand driven, how can he fix the fiscal target? This is something surprising. When a Panchayat is told that you have to do so much, then naturally, he will collect some job cards and do all the work with the machines. This is what is happening. So, this has to be viewed very seriously. इसमें हमको कुछ बदलाव जरूर लाना चाहिए।

अंत में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। Basically, this is being implemented by the village panchayats. That is why, village panchayats capacity building should be there. They have to keep all the records. But there are no Secretaries and there are no PDOs in many of the village panchayats. That is why, capacity building and the paperless administration should be implemented. उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए।

I have another suggestion. Since MGNREGA is demand driven, there should be a survey in every village to find the unemployed youth. This survey has to be conducted.

The labour attendance is taken in NMRs. There is a possibility of signing by the others. This means there is a scope for corruption. So, I suggest the Government to introduce the bio-metrics system for the labour attendant for the works and Global Positioning System to monitor the work progress under MGNREGA works.

Presently, there is a chance of duplication of the labour job card, हेड ऑफ दी फैमिली का बैंक अकाउन्ट रहता है इसलिए this may cause the misuse of money by the head of the family. I suggest to make it mandatory that every labourer should have his/her bank account by linking it to the Aadhar number.

The engineers are writing the measurement manually. It should be noted in the website of the MGNREGA by the end of the seventh day. Then, there will no chance of duplication. मेजरमेंट में वे हेराफेरी नहीं कर सकते हैं।

My last suggestion is this. Now, there should be a change in the job cards. Job cards should be modified like bank pass book and all the details should be printed through a computer so as to understand the details of the labour easily.

With these words, I would say that definitely this scheme should continue. It is a very good programme. उसमें जो कुछ भी कमियां हैं, उन पर हम बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं, स्कीम आए हुए सात-आठ वर्ष हो गए हैं, उसमें जरूर बदलाव लाना चाहिए। उस पर नेशनल लेवल पर डिबेट होनी चाहिए। उसमें ड्यूरेबल असेट के बारे में गंभीरता से चिंतन होना चाहिए। With these words, I conclude my speech.

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : सभापति महोदय, मनरेगा के डायलुशन पर चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। जब हम मनरेगा के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इस संसद को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को और यू.पी.ए. की चेयरमैन सोनिया जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। विश्व की सबसे बड़ी आम जन केन्द्रीत योजना मनरेगा की शुरुआत और उसको कानूनी अधिकार देने का काम यहां पर हुआ है। मैं महाराष्ट्र से चुन कर आया हूं। मनरेगा की सबसे पहले शुरुआत महाराष्ट्र में हुई थी। पिछले सात महीने से यह सरकार मनरेगा के बारे में कितनी गंभीर है, अगर यह देखना है तो हमने रूरल डेवलपमेन्ट मिनिस्ट्री में हमने तीन मंत्री देखे। गोपीनाथ मुंडे जी आज हम सब के बीच में नहीं हैं, लेकिन श्री नितिन गडकरी जी और अभी चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ...(व्यवधान) 30 जुलाई, 2014 को मनरेगा के बारे में इस सदन में चर्चा हुई। नितिन गडकरी जी ने उसमें जवाब दिया, कुंवर भरतेन्द्र सिंह, प्रो. थॉमस जी, सबने इसमें भाग लिया था। उसमें नितिन गडकरी जी ने कहा कि महात्मा गांधी जी का नाम उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए उस योजना में हम कभी भी अड़चन नहीं आने देंगे। लेकिन, हमारे बड़े वरिष्ठ सदस्य यहां पर बैठे हैं। हम हुक्मदेव जी का भाषण सुन रहे थे। पिछले 10 दिनों से यह चर्चा चल रही है, 9 दिसम्बर से आज 18 दिसम्बर आ गया है। सरकार इस चर्चा के बारे में कितनी गंभीर है, यह भी इससे दिखता है। ...(व्यवधान) * हुक्मदेव जी ने अपने भाषण में कहा था कि वह योजना कोई भगवान नहीं हैं, उसको पूरा बदलना चाहिए। जब हमारे वरिष्ठ सदस्य यह बात करते हैं तब कहीं न कहीं लगता है कि सचमुच यह यूटर्न की सरकार है। यह सरकार जो कहती है, वह करती नहीं है। गडकरी जी ने आश्वस्त किया था कि उस योजना में गांव स्तर पर 60: 40 का रेश्यो नहीं होगा, वह रेश्यो जिला स्तर पर होगा। आज सुबह भी हमने महाराष्ट्र, असम, बंगाल, यहां के अफसरों से बात की, वहां के सभी नेताओं से बात की, आज तक कोई आदेश उसके बारे में इस सरकार ने नहीं निकाला है।

आदरणीय गडकरी जी ने उस वक्त कहा था कि यू.पी.ए. सरकार ने सभी अधिकार अपने पास रखे हैं। हम राज्यों को ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं। पिछले पांच महीने से हम इंतजार कर रहे हैं कि राज्यों को ज्यादा अधिकार कब मिलेंगे। राज्यों को ज्यादा अधिकार नहीं मिले, बल्कि उनके जो अधिकार हैं, वे भी उन्हें पूरी तरह से ये यूज नहीं करने दे रहे हैं। उस स्पीच में उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में वाटर कंजरवेशन के लिए शिरपुर पैटर्न बड़ा फेमस पैटर्न है, उसका इस्तेमाल करेंगे। वाटर कंजरवेशन के लिए उस शिरपुर पैटर्न

* Not recorded.

के लिए सरकार की तरफ से अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, उस डिस्कशन को पांच महीने हो गए हैं।

उस डिस्कशन में भ्रटाचार को रोकने की बात हुई थी और उस वक्त गडकरी जी ने कहा था कि हम रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करेंगे। पांच महीने पहले की चर्चा में आपने सदन को आश्वस्त किया था, क्या आपने रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया है? आपने कहा था कि आप रिमोट सेंसिंग से भ्रटाचार को रोकेंगे। भ्रटाचार के कितने मामले सामने आए हैं?

17.00 hrs.

हर राज्य से कितने मामले आए, कितने लोगों को इसका फायदा मिला, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई।

आपने 51 और 49 का रेशियो करने के बारे में उस वक्त कहा था। आप इससे 9 प्रतिशत मजदूरों का पैसा छीनने जा रहे हैं। क्या इसके लिए नया एलोकेशन देने की दिशा में कुछ सोच रहे हैं, यह भी आपके माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहते हैं?

सुषमा स्वराज जी ने वर्ष 2010 में राज्य सभा में कहा था कि यह योजना बड़ी जबरदस्त है। इसमें राज्यों को ज्यादा से ज्यादा इम्पावर करना चाहिए। हमारे वरिष्ठ सदस्य लाल कृष्ण आडवाणी जी ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में वर्ष 2012 में इस योजना को काम के बदले नकद वाली विश्व की सबसे बड़ी योजना बताया था और उसकी तारीफ की थी। सुषमा जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने जो बात कही थी, क्या इसे सरकार बदलना चाह रही है। सुषमा जी और आडवाणी जी ने जो कहा, इसके बारे में सरकार कहीं न कहीं यू टर्न लेने के बारे में सोच रही है, यह भी हम आपसे जानना चाहते हैं।

परसों हमारे बंगाल के सदस्य ने बात की। उन्होंने कहा कि हमें एलोकेशन नहीं मिला। हमने असम में पूछा, लेकिन वहां भी एलोकेशन नहीं मिला। कर्नाटक में पैसा नहीं मिला। महाराष्ट्र का दुख हम कहां बताएं, समझ में नहीं आ रहा है। पिछले डेढ़-दो महीने से पांच सौ से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। हमने मांग की थी कि छोटे-छोटे किसानों के खेत पर भी मजदूरों के लिए नरेगा के माध्यम से मदद कीजिए।...(व्यवधान)

मेरा इतना ही कहना है कि सरकार जिस प्रकार इस योजना को दो सौ जिलों तक ही लागू करना चाह रही है, यह गलत है। यह पूरे देश के लिए लागू होनी चाहिए, यह पूरे देश के लोगों का अधिकार है। हम जब आपके माध्यम से यह बात रख रहे हैं तो सरकार से पूरा आश्वासन चाहते हैं कि राज्यों को अभी तक पैसा क्यों नहीं मिला। अगर हम सितम्बर के आंकड़े देखें तो 45 प्रतिशत कम पैसा आपने राज्यों को दिया है। कई राज्य पैसे मांग रहे हैं लेकिन आप उन्हें पैसे नहीं दे रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जन-धन योजना लाई। सब जनों ने खाते खोले और हम पिछले कई महीनों से धन के इंतजार में बैठे हुए हैं। 15 लाख रुपये कब आएंगे और हम सबके खाते में पैसे कब जमा होंगे, पता नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने कहा, लेकिन एक रुपया जमा नहीं हुआ। उसके बाद आप सांसद आदर्श ग्राम योजना लाए। उसके लिए एक रुपये का बजट नहीं दिया।...(व्यवधान) आपने कहा राज्यों के साथ काम करके करवा लीजिए।...(व्यवधान) उसके बाद आप स्वच्छ भारत योजना लाए। आप झाड़ू तो लगा रहे हैं लेकिन स्वच्छ भारत के लिए क्या आपके पास कोई बजट का प्रावधान है। कोई बजट का प्रावधान नहीं है यानी जन-धन में बजट का कोई प्रावधान नहीं, सांसद आदर्श ग्राम योजना में कोई बजट का प्रावधान नहीं, स्वच्छ भारत के लिए कोई प्रावधान नहीं है। पिछले छः महीने से भारत के लोगों ने अच्छे दिन के सपने देखे, उन्हें अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे हैं, हालत यहां तक बिगड़ी है कि लोगों की रातों की नींद भी गायब हुई है।

मैं आपके माध्यम से आखिरी बात कहना चाहूंगा कि सपनों के सौदागर बनी हुई इस मोदी सरकार से मेरा आग्रह रहेगा कि मनरेगा के माध्यम से गरीब लोगों को मिलने वाला निवाला तो कम से कम मत छीनिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति महोदय, सामने एक ऐसी सरकार है जो भाग्य, किस्मत, राम-रहीम या अडानी-अंबानी के भरोसे चलती है। गरीब के भरोसे इस देश के राजनीतिज्ञ चल ही नहीं सकते। यदि गरीब के भरोसे चलते तो राजनीतिज्ञ को मजहब, धर्म और जाति का नाम नहीं लेना पड़ता। पैसे की आवश्यकता, अडानी जी के पैसे, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कहता, हर पार्टी बिना किसी से पैसे लिए चुनाव लड़ती ही नहीं है। यदि इस देश में गरीब के अधिकार, सम्मान और न्याय की बात होती, जिसकी बात महात्मा गांधी, सरदार पटेल, विवेकानन्द, कबीर, जय प्रकाश और लोहिया ने की।

<u>17.50 hrs.</u> (Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

श्री राजेश रंजन : महोदय, यह एक ऐसी सरकार है जो भाग्य, किस्मत, राम या रहीम, अडानी या अंबानी के भरोसे चलती है। गरीब के भरोसे इस देश के राजनीतिज्ञ चहीं चल सकते। यदि गरीब के भरोसे चलते तो राजनीति में मजहब, धर्म, जाति का नाम लेना ही नहीं पड़ता। अडानी जी की पैसे की आवश्यकता सभी को है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। हर पार्टी में किसी न किसी के पैसे को लेकर ही चुनाव लड़ती है। यदि इस देश में गरीब के सम्मान, अधिकार और न्याय की बात होती, जिसकी बात महात्मा गांधी, सरदार पटेल, विवेकानंद, कबीर और लोहिया जी ने की तो क्या आज इस सदन में 67 साल के बाद भी गरीब की चिंता करने की जरूरत पड़ती, किसानों की चिंता करने की जरूरत पड़ती। सौ-दो सौ सालों से लगातार गरीबों की चिंता कर रहे हैं। मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी के नाम से ही आपको नफरत है। मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहूंगा। भ्रष्टाचार सुनते-सुनते हम थक गए हैं। मैं छठी बार संसद सदस्य हूं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं? राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण इस देश के पदाधिकारी, इस देश के बिचौलिए इस देश के कॉरपोरेट और पूंजीपति घराने ने इस देश के शासन तंत्र को समाप्त किया है। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण हम राजनीतिज्ञ लोग हैं। मनरेगा और नरेगा की बहस में सब लोगों ने हिस्सा ले लिया, यह रूक जाएगा, यह चलेगा, यह अच्छा हो जाएगा, वर्ष 1960 से 1971-1972 से लेकर आज तक बहुत बड़ी-बड़ी स्कीमें आईं, मैं भी पढ़ सकता हूं। मेरे पास भी लंबे चौड़े भाषण पढ़ने के लिए हैं। बहुत स्कीम लाए गए आखिर जिस हिन्दुस्तान में भूख से मरने वालों की संख्या, कर्ज लेकर मरने वालों की संख्या, दवाई के बगैर मरने वालों की संख्या, घर के बगैर मरने वालों की संख्या, अनाज के बगैर मरने वालों की संख्या, जिस देश में आज भी जाति, धर्म और मजहब के नाम रक्तरंजित हो, जिस देश में किसान में 38.2 प्रतिशत नौजवान अपनी खेती नहीं करना चाहता हो, 10 लाख हजार हेक्टेयर जमीन किसान की खाली पड़ जाए, जिस देश में विनोबा से लेकर सरदार पटेल, महात्मा गांधी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों ने किसानों की चिंता की है। गरीबों की चिंता इंदिरा गांधी से लेकर, सिर्फ

सोनिया गांधी जी ने ही नहीं की। यह निश्चित है कि सोनिया गांधी जी ने और आदरणीय मनमोहन सिंह जी और यूपीए सरकार ने जिस तरह इस देश को सिर्फ मनरेगा नहीं दिया, बल्कि फूड सिक्यूरिटी बिल, सूचना का अधिकार दिए। जो भ्रष्टाचार है, कोई कह रहा जॉब कार्ड, बैंक में जाइएगा तब लूट जाएंगे, कहां बिचौलिया नहीं है। पंचायतों में पंचायत सेवक, ग्राम सेवक, कौन ऐसा गांव है, कौन ऐसा जनप्रतिनिधि है जिसके बीच में बिचौलिया नहीं है, जहां पूजीपतियों का राज नहीं है। कहां इस देश में गरीबों और किसानों का राज है। कहां बेरोजगार नौजवानों का राज है। इस हिन्दुस्तान में 67 सालों से किसानों और गरीबों की वकालत की जाती रही है। न्याय, अधिकार और सम्मान का सवाल उठता रहा है, हमेशा राजनीतिज्ञ व्यक्ति कहते हैं कि गरीब मालिक है, गरीब को बदलना है, क्या गरीब की जिन्दगी बदली, राजनीतिज्ञों की घर बदली एम.एल.ए और एम.पी. का तो घर बदल जाता है। यहां से हम अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान की गरीब की तकदीर और तस्वीर नहीं बदलती। जिसने मेरी तस्वीर को बदला, हमने उसकी तस्वीर और तकदीर 67 सालों में नहीं बदल सके।

मनरेगा एक अच्छी योजना है, निश्चित रूप से इस पर बहस होनी चाहिए कि कैसे भ्रष्टाचार रुके, लेकिन बिना राजनीतिज्ञों की इच्छाशक्ति के इस धरती से भ्रष्टाचार को कोई नहीं मिटा सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री 'मन की बात' करते हैं। मंत्री जी मन की बात गरीब और कमजोर आदमी करता है। जो अपनी मां का इलाज नहीं करा सकता, जो अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकता जो पढ़ना चाहता है पढ़ नहीं सकता। मन की बात हिन्दुस्तान का वह आदमी नहीं करेगा, जिसके हाथ में सारी शक्ति हो। दुनिया में जो सर्वशक्तिमान है, उसके मन के भीतर किसी तरह की बात उठती है तो वह उसे बदलने की ताकत रखता है, न कि वह विचार करने की ताकत रखता है। मन की बात सिर्फ मजबूर, गरीब और किसान ही कर सकता है। प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री और कलैक्टर को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। यदि वह शराब को बंद करना चाहते हैं तो गुजरात में जैसे किया है, वैसा यहां करना चाहिए। यदि वह भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को कौन रोक सकता है? वे उसे रोकने के लिए चैलेंज लें। शायद इसके बाद किसी को पूर्ण मैजोरिटी न मिले। वे पदाधिकारियों को रोकें। मध्य प्रदेश में 200-300 करोड़ रुपया एक क्लर्क के घर में मिला। उत्तर प्रदेश में एक हजार करोड़ रुपया पदाधिकारी के घर में मिला। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, आपने इतनी जल्दी घंटी बजा दी। ...(व्यवधान) मैं प्वाइंट पर बोलना चाहता हूं। जाने-माने अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक कहते हैं कि मनरेगा के जरिये न सिर्फ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिली है, बल्कि इसी की बदौलत भारत कुछ साल पहले वैश्विक आर्थिक संकट के कुप्रभावों की चपेट में आने से बच सका था। यह मनरेगा की ही देन थी। वे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए

कहते हैं कि रोजगार दिलाना इस कानून की मुख्य अवधारणा है, जिसे किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं योजना आयोग के पूर्व सदस्य अभिजीत सेन तथा बोस्टन विश्वविद्यालय के प्राध्यापक दिलीप मुखर्जी समेत प्रणब वर्धन, वी. भास्कर., ऋतिका खेरा, अभिजीत सेन, जयंती घोष, अश्विनी देशपांडे तथा ज्यां द्रेज जैसी हस्तियों ने प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने जिंदगी में पढ़ने वाले सकारात्मक असर का जिक्र किया है। पत्र में यह भी लिखा है कि राजनीतिक दलों के सहयोग से साकार हुए इस कानून ने अनेक बाधाओं के बावजूद अच्छे परिणाम दिये थे। उन्होंने यह भी कहा कि पांच करोड़ लोगों को रोजगार ही नहीं मिला, बल्कि 0.3 प्रतिशत ही खर्च होता है, इसलिए इस योजना में ऐसे किसी बदलाव से बचना चाहिए, जिससे लोगों की आमदनी पर बुरा प्रभाव पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि इस पर किसी मुख्य मंत्री की आपत्ति हो सकती है। हो सकता है कि उनकी कुछ अलग सोच हो, उसे मैं चैलेंज नहीं करूंगा। यदि आप इसे खत्म करना चाहते हैं तो आप गरीब को शैक्षणिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कीजिए। आप इस संबंध में कोई कानून लाइये। मैं चाहता हूं कि गरीबों को खैरात मिलनी बंद हो जाये। यह मनरेगा, मिड-डे-मील, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा आदि सब योजनाएं बंद होनी चाहिए। आप गरीब को सड़ा हुआ चावल खाने के लिए मजबूर मत कीजिए, पिल्लू वाला भात खाने के लिए मजबूर मत कीजिए। आप गरीब को जबरदस्ती की भीख देने की आदत मत डालिए, इसलिए आप इसे बंद कीजिए। लेकिन जिस देश में आजादी के बाद 6.2 प्रतिशत ही मात्र बी.ए. पास हों, 18.3 प्रतिशत ही शिक्षित हों, यदि वहां यू.पी.ए सरकार जीने के लिए मनरेगा और फूड बिल लायी है तो इसमें कौन सा गुनाह है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

मैं अंत में आपसे मनरेगा-दो की लांचिंग के बारे में कहना चाहूंगा। जो सीमांत किसान है, गरीब किसान है, जिसके पास पांच बीघा से नीचे जमीन है, यदि आप मनरेगा के मजदूर को उस किसान के खेत में लगाने के लिए कोई कानून लाते हैं तो इससे किसान तरक्की भी करेगा और दूसरी तरफ मनरेगा में जो सौ दिन का रोजगार मिलता है, वह भी डेवलप होगा। किसान और मनरेगा का मजदूर, दोनों आर्थिक रूप से मजबूत होंगे।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि आप एनजीओज, सामाजिक लोग, बेरोजगार नौजवान और किसान की एक कमेटी बनाइये। आप इसे रोकना चाहते हैं, लेकिन यदि किसी इंसान का एक हाथ खराब हो जाये तो क्या आप शरीर को काट देंगे? मेरा कहना है कि मनरेगा में त्रुटियां हैं, जिसके कारण गरीबों को सही पैसे नहीं मिल पाते हैं। यह बिल्कुल सही है। राजनीतिज्ञों ने लूटा है, गांवों में लूटा है, पंचायत सचिवों, पदाधिकारी और मुखिया ने लूटा है। आपने बिहार को क्यों पैसा नहीं दिया? आपने अगर किसी के साथ भेदभाव किया है तो बिहार के साथ किया है। एक तरफ 56 इंच के सीने के बात कही जाती है, आते ही

कहा गया विशेष राज्य का दर्जा देंगे। एक तरफ मनरेगा में आधे से कम पैसा कर दिया, इंदिरा आवास के पैसे कम कर दिए, रोड के पैसे नहीं दिए। बिहार ओडिसा से भी ज्यादा गरीब प्रदेश है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मनरेगा का पूरा पैसा बिहार को दें। बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार न करें। आप इच्छाशक्ति को मजबूत करें। यूपीए की क्रांतिकारी योजना को अपनी योजना बनाकर गरीबों के हितों का सम्मान करें। धन्यवाद।

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं मनरेगा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। मनरेगा के बारे में जो आशंकाएं आ रही हैं, 676 डिस्ट्रिक्ट में काटकर 200 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया जाएगा। मनरेगा एक्ट को भी स्कीम में बदला जाएगा। इस बारे में हमें बहुत चिंता है क्योंकि जिस स्कीम ने ग्रामीण, गरीब वर्ग की आर्थिक मदद ही नहीं की बल्कि स्वाभिमान से जीने का मौका भी दिया। पहले बड़े ज़मींदारों के रहम पर मजदूरी होती थी, वे अपने आप तय की हुई मजदूरी देते थे, जिसके कारण मजदूरों का पलायन होता था। मनरेगा ने मजदूरी के स्टैंडर्ड को ऊंचा किया। बिहार, यूपी, उड़ीसा जैसे प्रदेशों से पंजाब, हरियाणा आदि में पलायन होता है, वह बंद हुआ। सबसे बड़ी बात है कि वलर्नेबल सैक्शन जो खतरे के मुंह में थे, जिसमें औरतें 54 परसेंट, 40 परसेंट आदिवासी और दलित शामिल थे, उन्होंने इस स्कीम से आर्थिक लाभ लिया और उनकी जिंदगी में सुधार आया। लोगों के हाथ में पैसा आया तो इकोनामी और मार्किट को बूस्ट मिला, मैन्यूफैक्चर्स को बूस्ट मिला और देश की आर्थिक प्रगति में सुधार आया। अगर इस योजना में कुछ त्रुटियां या कमजोरियां हैं तो इसे दूर करने के बजाय सीमित कर देना या धीरे-धीरे खत्म कर देना, बहुत खतरनाक बात है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में सदन को ध्यान से सोचना चाहिए।

कैग रिपोर्ट में जो त्रुटियां बताई गई हैं, उनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन आफ फंड में मनरेगा का पैसा दूसरी तरफ यूज़ होता है। एसैट क्रिएशन में एसैट नहीं बन पा रहे थे, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। एम्बैजलमेंट और धांधली बंद होनी चाहिए। मजदूरों को पैसे की अदायगी समय पर नहीं होती है, इस पर ध्यान देना चाहिए और अदायगी समय पर होनी चाहिए। वेज़ेस में डिस्पेरिटी है, 118 से लेकर 181 रुपए तक वेज़ेस अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग हैं, इसमें सुधार होना चाहिए। इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए न कि स्कीम को एक्ट में या एक्ट को स्कीम में बदलकर या जिलों की संख्या घटाकर अगर सरकार खत्म करने के बारे में सोचती है तो मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण और गरीबों के हितों के विपरीत फैसला मानूंगा।

मनरेगा में पैसा कितना खर्च होता है, 0.3 परसेंट आफ जीडीपी खर्च होता है। अगर इसी बजट में देखें तो चार लाख करोड़ से ऊपर बड़े पूंजीपतियों को, कारपोरेट सैक्टर को रियायतें, सब्सिडी और इन्सेन्टिव दिया जाता है, जो इससे कई गुना ज्यादा है। आप इस तरह से गरीबों का पेट काट रहे हैं, यह बिल्कुल अन्याय है। इससे हमारे देश के लोगों को जो थोड़ी राहत मिली थी, वह खत्म हो जाएगी, जिससे देश में अशांति होगी। मैं समझता हूं कि हमें मनरेगा स्कीम के जो एसेट्स हैं जैसे चेक डैम्स हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैं, रोड्स हैं, डि-सिल्टिंग ऑफ विलेज़ पौन्ड्स हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, कुएं खोदने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं जो बहुत ध्यान से सुनने वाली है। यदि इस स्कीम के सारे प्रावधान आप पढ़े, तो पाँच एकड़ जमीन वाला जो जमींदार-किसान, वह इस स्कीम का फायदा ले सकता है, पर इस धारा को प्रचलित नहीं किया गया। पाँच एकड़ जमीन वाला किसान खुद मजदूरी करके मनरेगा का फायदा खुद ले सकता है। मैं चाहता हूं कि इस धारा का प्रयोग खुले रूप में किया जाए और इसका प्रचार किया जाए ताकि जो छोटे किसान हैं, वे भी इस स्कीम से फायदा ले सकें। पंजाब में मनरेगा में बहुत धांधली है। इसका सोशल ऑडिट होना चाहिए। हमारे यहाँ समाना तहसील में करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। बी.डी.ओज़., पंचायतें और गांव में बड़े-बड़े भूमिपति हैं, उनके हाथों में स्कीम हैं। वे ग्राम-सभा की मीटिंग नहीं बुलाते हैं, वे खुद ही फैसले करते हैं, खुद एनरोलमेंट करते हैं, असत्य एनरोलमेंट करते हैं और करोड़ों रुपए खा जाते हैं, इसलिए मनरेगा की कमियाँ दूर होनी चाहिए, न कि इस स्कीम को कम कर देना चाहिए, इस स्कीम को स्लैश कर देना चाहिए। मैं आपसे यही विनती करता हूँ।

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak in this discussion. Whatever may be the drawbacks of the MNERGA, it is the most progressive and revolutionary scheme that this country has ever seen after Independence. This country is really indebted to the previous UPA Government who had launched such a useful pro-poor scheme in this country. If we look at the achievements of MNREGA at a glance, it has created significant results. Around five crore households get employment every year. Around 54 per cent of the workers are women. The participation of people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is 40 per cent. 90 per cent of the beneficiaries are either casual workers or small marginal farmers. The Budget provision in 2013-14 was Rs. 33,000 crore and this year it is 34,000 crore.

It is apprehended that dilution may take place in the scheme. Some former speakers were mentioning about it. The Government should be very conscious about this. There should not be any kind of dilution in the scheme. Of course, there could be negative points, but those could be corrected. If there are any kinds of inconsistencies, we should not cut the scheme to size according to our liking, but we must cut the root of all corruptions, irregularities and mismanagement of the scheme and make it perfectly all right. It is one of the best schemes as has been pointed out by some of my friends here. It is the best scheme which has been implemented in the worst way. If you look from the point of view of self-criticism, we all will feel that it is our duty to correct it.

Sir, delay in making payment is another issue and accuracy in maintaining the records is also a problem. My friends were mentioning about asset creation. Qualitative and sustainable asset creation should be the priority. It is quite unfortunate that this part has been completely forgotten. Work is not just for work. Unproductive work should be stopped. In place of unproductive work, there should be productive work.

Sir, we are planning from the Gram Sabha level. We have to strengthen the Gram Sabhas. We must create proper awareness in the Gram Sabhas. Involvement

of the local self-Government should be ensured for the effective implementation of the scheme.

Next, there is the question of Labour Budget preparation. It is done in a very bad manner. It is to be made perfect. The other issue is about corruption. It is quite unfortunate that corruption has spread into the scheme like a virus. It is to be curbed. We have to use all our efforts to check corruption in this scheme. An effective Ombudsman system has to be introduced. There should not be any room for corruption. With regard to 60 and 40 per cent proportion of material and work I would like to submit that in certain places, particularly in hilly areas, we must give a different proportion to material and work.

More emphasis should be given on asset creation on community basis. Instead of giving priority to individual asset creation, we have to emphasise on community asset creation. There is a need for training of the Gram Sabha people and the functionaries. This is an essential part of this. That has to be strengthened. With regard to middlemen and contractors I would like to submit that we all know that there is every chance of exploitation by these people. We should not give any room for entry of middlemen and contractors in the scheme. We have to be very careful about that.

Sir, we have to examine the fact that in some States in India why it is much below the national average. That has to be done as a case study. We have to correct the mistake. I hope the Government will take necessary steps in this regard. The other point is about the State level convergence programme with other schemes. That also is an important part. I think that the Government will take that also into consideration.

Wide publicity should be given highlighting the success stories of MGNREGA. At some places very attractive success stories of implementation of the scheme is there. We have to give wide publicity of those success stories so that others also follow that and make the scheme more comprehensive and perfect.

At the end I would like to submit that this is the best scheme. We should all think together about how to make this scheme more effective, scientific and perfect. Let us dedicate ourselves to make the dream of Mahatma Gandhi a reality.

With these words, I conclude. Thank you.

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पश्चिमी उत्तर पद्रेश के सहारनपुर से लेकर बागपत जिले तक यमुना नदी का बहाव है और यमुना नदी में खनन प्रतिबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत चालाकी से, मनरेगा के नाम पर लूट शुरू की है। यह बात मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी एवं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। नाम मनरेगा का है, रजिस्टर बने हुए हैं, लेकिन जिन लोगों के नाम उसमें हैं, उनमें से 50 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो मनरेगा के लिए एलिजिबल ही नहीं हैं। किसान हैं, उनके नाम लिख दिए गए हैं और उनके नाम पर लूट हो रही है। हम लोग इसको आदर्शवाद का नाम देते हैं कि गरीब का भला हो रहा है, गरीब का पेट पल रहा है, सम्पत्ति बन रही है। निश्चित रूप से अगर किसी गांव में किसी संपत्ति का निर्माण हो, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। कम से कम मैं अपने प्रदेश के बारे में कह सकता हूं कि वहां आज तक इस योजना के माध्यम से एक भी सम्पत्ति का निर्माण नहीं हो पाया और हो भी नहीं पाएगा। मैंने ग्राम प्रधानों से बात की है। उनका कहना है कि यह कैसे संभव है, इतने वेतन पर कोई आने को तैयार नहीं है। जब लोग आने को तैयार नहीं हैं तो हमें फर्जी आंकड़े देने पड़ते हैं। एक आदमी को जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए, हमें चार-चार आदमियों की मजदूरी दिखाकर उसी में काम कराना पड़ता है।

मनरेगा का हमने नाम ले दिया, महात्मा गांधी का नाम उसमें जोड़ दिया, तो निश्चित रूप से हम लोग भावुक हो जाते हैं और उसकी प्रशंसा के पुल बांधने लगते हैं। मेरा सुझाव है कि इस विषय के ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। इस सरकार ने इस बारे में लगभग 34 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अगर ये 34 हजार करोड़ रुपये सड़कों, स्कूलों, चिकित्सालयों के निर्माण में लगते, तो वहां की जनता को कई-गुना फायदा हुआ होता। यह पैसा मिट्टी में जा रहा है, इस पैसे से कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने सहारनपुर और बागपत की बात कही, वह इसलिए कही कि तीनों जिलों में जाकर मैंने खुद इसकी समीक्षा की है। मैं श्रमिकों की सहायता करने के विरोध में नहीं हूं, मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिस तरह से उन लोगों का चयन किया गया, उसका आधार क्या था? आज अगर आप परीक्षण करा लें कि कितने लोग उसमें पात्र हैं तो आपको सही स्थिति का पता लग जाएगा। फिर पैसा कहां जा रहा है? सरकार ने कोशिश की कि पैसा गलत हाथों में न जाए, सीधा बैंक-एकाउंट्स में जाए। आप इस बात की ऑडिट करा लीजिए कि जो पैसा बैंक में जा रहा है उस पैसे की पास-बुक किसके पास रहती है? कोई न कोई बड़ा आदमी वहां का होगा, जिसने सब मजदूरों के नाम की पास-बुक इकट्ठी करके अपने पास रखी हुई होगी और जब पैसा ज्यादा निकालने की बात आती है तो मजदूरों को आधा या तिहाई पैसा मिल जाता

है, बाकी का सारा पैसा उन माफियाओं की जेबों में चला जाता है। हम माफियाओं को पाल रहे हैं या मजदूरों को उनकी मजदूरी दे रहे हैं, यह बात भी देखनी चाहिए।

अभी दार्शनिक बातें हुईं कि पेट भर रहा है, पेट पाला जा रहा है, सम्पत्ति बनाई जा रही है। मैं भी 36 साल से राजनीति में हूं। उत्तर प्रदेश में 7 बार विधायक रहा हूं और 12 साल तक मंत्री भी रहा हूं। मैंने जाकर देखने की कोशिश की है। आप मेरे पर कम से कम इतना विश्वास कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि सदन की एक कमेटी बने और उसमें सभी पक्षों के सदस्य हों, जो जाकर उन पांच जिलों का ऑडिट कर लें, परीक्षण कर लें कि हमारी जो योजना चल रही है, उस योजना के माध्यम से अगर किसी का लाभ हो रहा है,, कितने प्रतिशत लोगों को लाभ हो रहा है, तो सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी।

उपाध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं कांग्रेस की बात कह रहा हूं। जब 2009 के चुनाव होने वाले थे, तो हम सोचते थे कि कांग्रेस का सफाया होने वाला है। एक फायदा कांग्रेस को मनरेगा से हुआ। जब इन्होंने मनरेगा की घोषणा की तो तरह-तरह से प्रलोभन लोगों को दिये, तरह-तरह का प्रचार हुआ और लोगों को लगा कि बहुत पैसा हमारी जेब में आ जाएगा। इनका भला हो गया, एक टर्म और इन्हें सत्ता में आने की मिल गयी, वरना ये 2009 में ही जाने वाले थे।

दूसरा पक्ष भी इसका आप देख लीजिए। एक बार फायदा उठा लिया, लेकिन 2014 के चुनाव में जब ये गये, तो और कारणों के साथ मनरेगा भी इनके हारने का एक कारण बना। इतना भ्रष्टाचार जनता के सामने आ गया था, जनता त्रस्त हो गयी थी और प्रधान तथा जिम्मेदार आदमी कहने लगे थे कि इसे खत्म कराइये, इस पैसे से निर्माण कार्य कराइये, तो क्षेत्र का विकास हो जाएगा, क्षेत्र की सूरत बदल जाएगी।

मान्यवर, आपसे मेरी प्रार्थना है कि सदन की एक कमेटी बनवाकर केवल पांच जिलों का परीक्षण करवा लें और देखें कि मनरेगा की हालत क्या है?

धन्यवाद।

SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you. The largest public employment programme, the world has ever seen is in trouble. In 2013-14, 74 million individuals, in 48 million households, in rural India were employed under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme, with each household on an average finding work for 46 days. This cost the Government of India Rs. 39,000 crore last year, or barely 0.5 per cent of the Gross Domestic Product. But the National Democratic Alliance, the NDA, has made no secret of its lukewarm support for the MGNREGA, which it sees as too closely identified with the previous United Progressive Alliance Government.

(w3/1735/brv-mm)

It sees it as too closely identified with the previous United Progressive Alliance Government. The Government of India has now imposed a cap on the release of funds to individual States. The two major proposals that are being seriously considered are one, to restrict the scheme to identified backward blocks in the country and two, to alter the ratio of expenditure between wages and materials in favour of the latter. All these add up to essentially dismantling the demand-driven character of the MGNREGS and reducing the amount of employment that can be generated every year. This is the beginning, surely, of a gradual whittling away of the programme with the ultimate aim, perhaps, of winding it up together.

The MGNREGS has been neither an unqualified nor a universal success but we should not deny that it has been a moderate success in providing employment support to the rural poor. There are wide variations in the working of this project across the country. But, on balance, four positive outcomes stand out.

Firstly, this project provides some income security to the rural poor. It has resulted in the creation of productive assets in and outside agriculture; high level of female participation, 60 per cent of those on the works are women; it has contributed to a degree of empowerment of women and a modest tightening of the rural labour market has taken place contributing to higher real wage rates and

reservation of wages. These are major achievements by any standard and stand testimony to the value of this project.

There are indeed many major problems in the design and administration of the programme. I do agree. Corruption occurs at times; wages are paid late; the gram sabhas do not always have the technical manpower to decide the right kind of works and adequate attention is not always paid to the type and quality of assets created. Nonetheless, none of them can claim to constitute a fundamental questioning of this project. They only point out the challenges that need to be faced and improvements that need to be made if this massive programme is truly to succeed.

Critics who have never been willing to accept the need for a demand-driven, self-selecting employment guarantee scheme in rural India have been quick to use the anecdotal evidence of one or the other shortcomings in some areas to make a country-wide generalisation and trash the programme. One of such dismissals is that this project is nothing but a dole and labour is paid for just turning up which makes it only an inefficient form of cash transfer. This is not true. If one considers the assets that have been created, especially in the form of viable schemes for minor irrigation, soil re-generation and watershed development, it will be clear.

Another criticism is that this project is making Indian agriculture unprofitable. This project functions mainly in the lean seasons; employment thus provided causes labour scarcity later during the peak agricultural months; in the real wage rate of agriculture labour since 2006, it is something that is to be welcomed and not criticised but the rise in real wages has by no means been so sharp as to render the cultivation with hired labour unviable. Employers of rural labour everywhere and at all times ring the alarm bells whenever the workers are able to find some alternative employment and then demand higher agricultural wages.

Sir, with these points, I do agree with Shri Datta. He has pointed out that the programme is diluted and I say that it must not be diluted. There may be some changes in the project but we have to continue with it. Thank you.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश की विडम्बना है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों, कॉरपोरेट घरानों और संभ्रान्त वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने के लिए अगर कोई योजनाएं, परियोजनाएं बनाई जाती हैं तो वे तो इस देश में सफल हो जाती हैं लेकिन अगर देश के किसान, गरीब, पिछड़े और दलितों को लाभान्वित करने के लिए कोई योजनाएं बनाई जाती हैं तो वे अकसर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं चाहे इंदिरा आवास योजना हो, मनरेगा हो या सर्व शिक्षा अभियान हो। ये तमाम इसी के उदाहरण हैं। अगर शिक्षा की बात की जाए तो उच्च शिक्षा की दुकान तो बहुत अच्छे से चलती है क्योंकि इससे देश का संभ्रान्त तबका लाभान्वित होता है मगर प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को अगर हम देखें, जो देश के ग्रामीण हिस्सों में रहने वाले बहुसंख्यक, दलित एवं पिछड़ों के बच्चों को शिक्षा देने की दृष्टि से बनाई गई है तो यह व्यवस्था पूरी तरीके से घ्वस्त और चरमराई हुई प्रतीत होगी।

जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, सरकार मनरेगा के बजट में तीन हजार करोड़ रुपये की कटौती करने जा रही है। यह सुनने में ही अच्छा नहीं लगता है क्योंकि यह एक सोशल सैक्टर की योजना है और फिसकल डैफिसिट की भरपाई करने के लिए सोशल सैक्टर की एक स्कीम के बजट को कम किया जाए, यह बात कम समझ में आती है। मैं सरकार का ध्यान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल पॉलिसी के आर्थिक अनुमानों के आंकड़ों की ओर ले जाना चाहूंगी जिसके अनुसार जो नॉन-मैरिट सब्सिडीज इस देश के संभ्रान्त वर्ग के लोगों को दी जा रही है, वह जीडीपी का नौ प्रतिशत है यानी उसका जो कुल बजट है, वह मनरेगा के कुल बजट से बीस गुना ज्यादा है और पिछले दस वर्षों में देश के कॉरपोरेट घरानों को जो टैक्स रिबेट्स दी गई हैं, वे हजारों करोड़ों रपये की है जो मनरेगा के बजट से कहीं ज्यादा है। तीन हजार करोड़ उसके सामने कुछ नहीं है।

मैं यह नहीं कह रही हूं कि मनरेगा में सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है, निश्चित रूप से इसमें कमियां रही हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड., छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जहां पर मनरेगा के माध्यम से एक बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होना था, वह रोजगार सृजन नहीं हो पाया है। लीकेज बहुत ज्यादा हुई है लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम उस लीकेज को रोकने की कड़ी व्यवस्थाएं बनाएं।

मैं यहां पर रक्षा सौदों का उदाहरण देना चाहूंगी। हमारे देश के अखबारों ने प्रमुखता से छापा कि देश के रक्षा सौदों में कितना भ्रष्टाचार हुआ? लेकिन क्या ऐसी परिस्तितियों में हमने अपने देश के सैनिकों से कहा कि आप आधुनिक शस्त्र छोड़कर तीर-कमान से लड़ना शुरु कर दें। यह तो हमने नहीं कहा क्योंकि हम जानते हैं कि आधुनिक शस्त्र हमारे देश की सेना की जरुरत है। वहां हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़ी व्यवस्थाएं करें। उसी प्रकार मनरेगा भी इस देश के

गरीब तबके की जरूरत है और इसीलिए यदि इसमें कुछ लीकेज या भ्रष्टाचार होता है तो हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम उस भ्रष्टाचार को कम कैसे करें न कि इस पर कि हम कैसे उस बजट को कम कर दें। मेरा सरकार को यह सुझाव है कि जो यह मनरेगा की योजना है, इसको आधार कार्ड की योजना और प्रधान मंत्री जन धन योजना जैसी तमाम योजनाओं से जोड़ा जाए और मनरेगा मजदूरों का जितना भी ब्यौरा है, वह ग्राम पंचायतों द्वारा सार्वजनिक किया जाए क्योंकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पिछड़े दलित समुदाय के लोग हैं, उनके लिए मनरेगा एक बहुत बड़ी आशा की किरण है। यह उनके लिए जीवन की सुरक्षा, उनकी रोजी-रोटी सब कुछ है। यह देश के गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है और एक बहुत बड़ा सवाल जो अकसर मनरेगा को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में खड़ा किया जाता है, क्योंकि मैं भी किसानों के बीच में जाती हूं और किसानों के बीच में यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी देने का जो बोझ है, वह किसानों पर आता है और देश के किसानों की आमदनी कहीं से नहीं बढ़ रही है।

इसके लिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि प्रोक्योरमेंट प्राइसेस को बढ़ाया जाए और किसानों पर इंफ्लेशन का बोझ न पड़े, इसके लिए किसान सबसिडी दे और उस सबसिडी को देने के लिए चाहे डैफिसिट फाइनेंसिंग का रास्ता अपनाए या देश के जो हाइ इंकम ग्रुप हैं, उन पर ज्यादा टैक्सेज के रास्ते को सरकार अपनाए लेकिन कुल मिलाकर उद्देश्य यह होना चाहिए कि मनरेगा में जो कमियां हैं, उनको दूर करते हुए हमें इस योजना को जो गरीब और पिछड़ों को लाभान्वित करने के लिए बनाई गई है, उसका सशक्तीकरण करना है और उसे देश में ऐसे ही सतत बनाये रखना है। ...(व्यवधान) धन्यवाद।

HON DEPUTY SPEAKER: Shri S. Rajendran.

SHRI S. RAJENDRAN (VILUPPURAM): Sir, I want to speak in my mother tongue.

HON. DEPUTY SPEAKER: Interpreter is not there. You may speak later.

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मनरेगा 2005 में पास हुआ था, उसके बाद यह योजना शुरू हुई और एक हिसाब से यह गरीबों के लिए है और खासकर जहां अनस्किल्ड लेबर है, जहां पिछड़े इलाके हैं, उनके लिए यह योजना लाई गई थी और वास्तव में यह वहां बहुत सफल हुई। मैं अपने क्षेत्र जैसलमेर और बाड़मेर की बात करता हूं, ये पिछड़े जिले हैं, वहां अकाल पड़ते हैं, पिछले पचास साल के आंकड़े देखेंगे तो आप पायेंगे कि वहां लगभग 38-39 साल अकाल पड़ा है और इस साल भी वहां अकाल है। पहले वहां से जो माइग्रेशन होता था, उसमें काफी कमी आई है। परंतु अगर आठ साल के आंकड़े देखें तो आप महसूस करेंगे कि इसमें फायदे के साथ-साथ बहुत कमियां भी रही हैं। 2008 से 2013 तक मुझे वहां का विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने पांच साल उसे बहुत नजदीक से देखा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीब 85 परसैन्ट ओबीसी और एससी, एसटी हैं। वहां जो सौ दिन मिलते थे, वे भी पर्याप्त नहीं थे, उसके लिए भी वहां ज्यादा मांग थी। मैंने वहां देखा कि उसमें जो काम हो रहे हैं, उनमें काफी कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने की जरूरत है। मैं इसके बारे में आपसे कहना चाहता हूं और कई साथियों ने भी बताया कि इसमें सबसे बड़ी कमी ड्यूरेबल असैट्स की है। जब आप तीस-चालीस हजार रुपये खर्च करते हैं तो ऐसी स्थिति में वहां कुछ ऐसे असैट्स बनने चाहिए, ताकि पता लगे कि साल भर में क्या काम हुआ है। मेरे वार्ड में लगभग 450 से 500 करोड़ रुपये हर साल खर्च होते हैं। यदि आठ साल में देखेंगे तो वहां साढ़े तीन-चार हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। परंतु आज यदि आप आकलन करेंगे तो आपको ऐसी कोई चीज नजर नहीं आयेगी कि चार हजार करोड़ रुपये कहां खर्च हुए। हम नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी हैं तो हमें यह देखना चाहिए। यह जरूरी है कि मजदूरी गरीबों को दो, लेकिन उसके साथ यह भी देखो कि जो इतना पैसा खर्चा हो रहा है, उसका क्या परिणाम हमें मिल रहा है।

दूसरी कमी लेबर मैटिरियल कम्पोनेन्ट की है, मजदूर और सामग्री का 60-40 का रेश्यो है, यह किसी भी हालत में पूरा नहीं हो सकता है। इसके प्रत्यक्ष में जो वहां के सरपंच, नेता और प्रधान हैं, वे इसे पूरा करने के लिए कई साथी लेकर आए हैं। उन्हें उसमें थोड़ा लेकुना मिल जाता है तो उसका फायदा उठाकर वे उसमें बहुत भ्रष्टाचार करते हैं। मेरा यहां एक सुझाव है कि 60-40 का रेश्यो बहुत जरूरी है। जब लेबर ओरियंटेड स्कीम आई है तो लेबर के लिए यह रखना जरूरी है। मेरा कहना यह है कि इसके साथ जो एग्रीकल्चर है, सिंचाई है और जो वेस्टलैंड रिक्मैंडेशन और इस तरह की कई स्कीम्स हैं, उन्हें दूसरे डिपार्टमैन्ट और दूसरी मिनिस्ट्री के साथ क्लब करके टोटल करना चाहिए, ताकि वहां जगह-जगह लेबर मिल सके।

मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि जो सड़कें बनती हैं, नेशनल हाईवे के मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं तो वहां जो सड़कें बनती हैं तो उनके नीचे सब-बेस, बेस और डब्ल्यूबीएम है, ये काम मनरेगा से हो सकते हैं। इसमें करीब 25-30 परसैन्ट जो खर्चा होगा, वह कम्पोनैन्ट के काम आ जायेगा।

मंत्री जी ने कल स्टेटमेंट भी दिया है कि यह 60 per cent amount of the total cost has to be spent on agriculture-related development works, land development, plantation, sanitation and such works. यह बहुत अच्छी चीज़ है। इसको साथ में करना चाहिए। मैं तो यहां तक कहूँगा कि जिस तरह से सिंचाई मंत्रालय में काम होता है, वहां हो सकता है। एमपीएलएडी में जो एमएलए के फंड आते है, उस पैसे से जो काम होते हैं, जो योजनाएं होती हैं, उसके साथ भी उसे क्लब किया जाए। इस तरह से क्लब किया जाए, ताकि यह 60/40 का रेश्यो मैंटेन हो सके। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात भ्रष्टाचार और अकाउंटेबिलिटी की है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही बड़ा मुद्दा है। जो मेरे साथी हुक्मदेव जी और हुकुम सिंह जी ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। इतना भ्रष्टाचार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं वहां विधायक था। मैंने वहां पंचायत समिति में कहा कि भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। जैसा आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। उस वक्त तो यह स्लोगन नहीं था, पर मैंने यह मुद्दा उठाया था। आप मानेंगे नहीं कि मैं 37000 हज़ार वोटों से जीता था, एमएलए में मुझे 12 हज़ार से हरा दिया। अब मैं एमपी बना तो 42000 वोटों से जीता हूँ। मैं किसी की क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। यह सब जगह है। यह नैशनल पैसा है। यह एनडीए या यूपीए का पैसा नहीं है। यूपीए के साथी यहां पर बैठे हैं। क्योंकि यूपीए ने बजट पास किया, तो ये एक बार सरकार में आ गए। अब उसमें कम से कम आपको यह देखना चाहिए कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। काम नहीं हो रहा है तो उसके अंदर कुछ करना चाहिए। वहां पर डुप्लिकेट कार्ड बनते हैं और वहां पर जनप्रतिनिधि कोई नेता कह भी नहीं सकता है। जैसा मैंने बताया कि ऐसा कहने से वे नाराज हो जाते हैं कि पांच साल बाद में क्या होगा। मेरी यह विनती है कि इसको करना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है कि कृषि मज़दूर जो मिलते थे, जैसे पंजाब या हरियाणा आदि में, वहां पर आज जब फसल होती है तो मज़दूर नहीं मिलते हैं। यहां तक कि हरियाण और पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है कि जब रबी या खरीफ की फसल हो तब उस वक्त नरेगा को बंद कर दिया जाए। दूसरा, शहरों के अंदर जो लेबर डिवेल्पमेंट के लिए मिलती थी, वहां मिलती ही नहीं है। क्योंकि वहां उनको ढाई-तीन सौ रूपये मिल जाते हैं। घर में तीन सदस्य हैं, वे मिल कर 20-25 हज़ार रूपये कमा लेते हैं, तो वे कहीं जाते ही नहीं है। इसलिए मेरा मंत्री जी से आग्रह है, ये भी किसान के बेटे हैं।

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT, MINISTER OF PANCHAYATI RAJ AND MINISTER OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH): What the hon. Member wants is to keep *garib* a *garib*…. (*Interruptions*)

कर्नल सोनाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी भी किसान के बेटे हैं, ये खुद जानते हैं। मैंने कहा है कि बैलेंस करना चाहिए। …(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : सर, दोनों ही मनरेगा के समर्थक थे। लेकिन आज ऐसा हो रहा है, क्या बात है, समझ में नहीं आता है। …(व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि डिवेल्पमेंट, जो गडकरी साहब ने कहा था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट जो पिछड़े हुए हैं, उनको करना चाहिए। गडकरी साहब की सलाह से मैं सहमत हूँ, उसको करना चाहिए। …(व्यवधान)

[*]SHRI S.RAJENDRAN (VILLUPURAM) Hon'ble Deputy Speaker Sir. Vanakkam. I thank People's Chief Minister and beloved leader Hon'ble Puratchithalaivi Amma for this opportunity to take part in the discussion on Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme on behalf of the people of my Villupuram parliamentary constituency. MGNREG Scheme was launched during the regime of previous government for providing employment to the poor people of the country. During the term of the present government, this Scheme is said to be diluted with little fund allocation and which is a matter of concern. That's why we are discussing in Lok Sabha about this issue. As far as Tamil Nadu is concerned, the way in which People's Chief Minister Puratchithalaivi Amma rules the State and policy making decisions are always centred around poor people and farmers. I want to mention how far the changes in this Scheme could be made to benefit the people of this country. In India, about 29%, approximately 5 crore households get 100 days of employment under Mahatma Gandhi NREG Scheme. Out of the total beneficiaries, 54% are women and 46% are from Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This Scheme was initially implemented in 6500 blocks in the country. Hon'ble Rural Development Minister announced that out of 6500 blocks, 2500 blocks, where poorest of the poor people live, would be identified and would have additional focus. Hon'ble Minister also assured that the remaining 4000 blocks in the country would be concentrated gradually. In Tamil Nadu, 385 blocks have been identified as backward ones and out which at present only 98 blocks are covered under this Scheme on the basis of areas where poorest of the poor live. This is a cause of worry. I am obliged to say that the People's Chief Minister Hon'ble Amma provides 25% funds in addition to the funds provided by the Union for implementation of this Scheme in the State of Tamil Nadu.

---

[*] English translation of the speech originally delivered in Tamil.

I wish to bring to the notice of Hon'ble Minister that the blocks cannot be classified as rich and poor ones. The poorest of the poor people live in all the blocks. Even we cannot say that rich people will not be living there. All sorts of people will be living in all places. Therefore, Union Government should also concentrate on the remaining 4000 blocks and find ways for upgrading the Scheme. There should not be any discrimination while identifying the blocks for benefits under the Scheme. Work relating to identification of beneficiaries and their wage allocation should be upgraded. Unnecessary delay in distribution of daily wages to labourers should be avoided. Our constitution envisages equality to all the people. I wish to urge that the people belonging to all the areas of the country should be treated as equal. In order to upgrade the basic amenities and infrastructure facilities in the villages, works like de-silting of lakes and ponds, construction of roads in some places, up-gradation of drinking water facilities, etc. are being carried out under MGNREG Scheme. Sometimes the climate changes do affect the work relating to up-gradation of permanent infrastructure facilities. At the same time there is a shortage of agricultural labourers for getting employed in agricultural cultivation. It affects the agricultural production as well its expenditure. While the government funds are provided as wage for work to labourers on the other hand this Scheme becomes a reason for hike in price of essential commodities. Therefore this Scheme should be linked to agricultural sector. At the time when farming is not undertaken, this Scheme should be utilized for providing employment. Through this the production efficiency of farm lands could be ensured besides increasing the production. In order to implement NREGA throughout the year the government may consider inclusion of middle level and big farmers who need agricultural labourers and land owners as stakeholders under the Scheme. In that scenario, Government may provide 50% of money and the owners of cultivable land may pay the remaining 50% of money. This could ensure additional fund resources for the Scheme, besides providing regular employment and paving way for uninterrupted agricultural production.

This Scheme will then get opportunities to strengthen our agrarian economy. At the time of implementation of governmental schemes throughout the country, mostly school teachers in respective areas are employed for taking forward such schemes to the general public. Unemployed graduates can be identified and involved under MG NREG Scheme. I urge upon the Union government to consider this proposal. Without curtailing the fund allocation to this Scheme, the Union government should revitalise the scheme for continued rural employment and thereby increasing agricultural production. I urge upon the Union government that the proposed changes should be people-centric and not with a view to curtail expenditure. I wholeheartedly thank Hon’ble People’s Chief Minister Puratchithalaivi Amma, people of my Villupuram constituency and Hon’ble Deputy Speaker for this opportunity. Thank you.

<u>18.00 hrs.</u>

HON. DEPUTY SPEAKER: We will continue this discussion tomorrow.

HON.DEPUTY SPEAKER :Now, it is six o' clock. We have to take up 'Zero Hour'. If the hon. Members agree, we can extend the time of the House till the Members who have given notices for raising their matters of urgent public importance complete their mentions. I think, the House will agree to this.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. DEPUTY SPEAKER: All right. The time of the House is extended till 'Zero Hour' is over.

Now, we shall take up 'Zero Hour'.

Shri Chhotelal.

श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष जी, मैं अपने संसदीय क्षेत्र राबर्ट्सगंज, सोनभद्र में स्थापित सरकारी एवं गैर सरकारी कंपनियों में मज़दूरों की दैनिक मज़दूरी में वेतन विसंगति के बारे में बताना चाहता हूँ। राबर्ट्सगंज, कोबरा, रेनुकोट, शक्तिनगर में भारत सरकार की कंपनी एन.सी.एल. में मज़दूरों की दैनिक मज़दूरी करीब 500 से 600 रुपये है, जबकि निजी क्षेत्र की कंपनी तथा राज्य सरकार के द्वारा मात्र 200 से 300 रुपये का भुगतान किया जाता है जो दैनिक मज़दूरों के साथ आर्थिक एवं शारीरिक शोषण है। इस विसंगति को दूर करना अति आवश्यक है क्योंकि अगर विसंगति दूर नहीं होती है तो मज़दूरों में असंतोष पैदा होगा और इससे सबका साथ, सबका विकास नहीं हो सकता। क्योंकि -

"श्रम की शक्ति, श्रम का मान, कीमत दोनों एक समान,

देश के लिए करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम।"

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि एक ऐसी नीति बनाई जाए जिसमें सरकारी एवं गैर सरकारी कंपनियों में मज़दूरों को एक समान वेतन मिल सके।

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका मुझे दिया। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र बुलंदशहर दिल्ली से मात्र 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और एन.सी.आर. का हिस्सा है। यहाँ से दिल्ली के लिए भारी मात्रा में दूध, अनाज, फल और सब्ज़ियों की पैदावार होकर सप्लाई की जाती है। यहाँ पर गंगा का पावन स्थल है और बहुत सारे श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के लिए और मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोकल रेल से आने जाने की कोई भी सुविधा नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि बुलंदशहर से दिल्ली आने जाने के लिए एक लोकल ट्रेन चलवाने की कृपा करें।

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Shri Jagdambika Pal. Please be brief.

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Sir, I have just got up.

HON. DEPUTY SPEAKER: I am calling your name out of turn. There are other Members who have given their notices for raising matters of urgent public importance.

SHRI JAGDAMBIKA PAL : I can wait for my turn. I think, my name figures at serial no. 4 in the list.

HON. DEPUTY SPEAKER: If you want to wait for your turn, you can wait.

Now, Shri Ajay Misra Teni.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जे.ई. और ए.ई.एस. के बचाव व नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम पर बोलने का मुझे अवसर दिया।

माननीय उपाध्यक्ष जी, दिमागी बुखार से प्रभावित पाँच राज्यों - असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु के 60 जिलों के लिए केन्द्र सरकार ने जापानी एनसिफलाइटिस व एक्यूट एनसिफलाइटिस सिंड्रोम से बचाव व नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए मंजूरी दी थी। इस कार्यक्रम के अनुसार त्वरित उपचार हेतु बच्चों के आई.सी.यू. खोले जाने थे, परंतु समीक्षा बैठक से जो जानकारी हुई है, उसके अनुसार पाँच राज्यों - असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु, जहाँ ये आई.सी.यू. खोले जाने थे, केवल तमिलनाडु को छोड़कर कहीं भी काम पूरा नहीं हुआ है। असम की स्थिति सबसे खराब है। समीक्षा बैठक से यह भी जानकारी हुई है कि बिहार में केवल दस फीसदी काम हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में 10 बिस्तर वाले जो आई.सी.यू. बनाए जाने थे, उसमें केवल 8 जगह पर यह काम शुरू हुआ है। प्रभावित इलाकों में शीघ्र चिकित्सा हेतु आई.सी.यू. बेहद उपयोगी होते हैं। दिमागी बुखार से होने वाली मौतें भी इन राज्यों की सुस्ती नहीं तोड़ पा रही हैं। केन्द्र सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव व इलाज के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध होने के बावजूद कई राज्यों की सरकारें बेहद संवेदनहीनता से काम कर रही हैं। खासकर उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित है, बिहार का हिस्सा प्रभावित है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति सबसे खराब है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Deputy Speaker, Sir, I would like to draw the attention of this House and through this House of the Government regarding the said plight of Dutee Chand, who was subjected to hyperandrogenism that two global bodies have thrust on athletes the world over. Dutee was supposed to participate in the Commonwealth Games and all are sure that she was to get us Gold medal.

I would draw the attention of the Government that androgen levels in a woman's body are no yardstick to determine whether she can participate in competition or not.

I am told that the DG, Sports Authority of India, has asked Dutee to move the Court of Arbitration for Sports in Lausanne against International Olympic

Committee and International Association of Athletics Federation's stand on hyper androgenism.

Why are we bent on reducing or eliminating an inherent advantage that a woman is born with? Just because Usain Bolt's height is to his advantage, will the International Authority want his legs chopped off to ensure a level-playing field?

The presence of high level of androgen is not the fault of the athlete. I would urge upon the Government to support Dutee in her battle against this bias and ensure that her lawyers insist on this biological factor at CAS.

Dutee has a dream. This athlete, a determined and vivacious girl is desperate to return to the track. She has rejected therapy. I would urge upon the Government to stand by her and support her to the hilt. Sports Authority of India should offer her accommodation at NIS, Patiala. The entire cost should be borne by SAI. All attempts should be made to make her participate in the Olympics from where she is definitely to fetch Gold medal for us. Thank you.

HON. DEPUTY-SPEAKER Shri P.P. Chaudhary and Shri Gajendra Singh Shekhawat are allowed to associate themselves on this issue raised by Shri Mahtab.

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I want to draw the attention of the Government on an urgent matter of pubic importance.

Veer Surendra Sai Medical College, Burla is a premier medical institute of Odisha State. It is the second biggest medical institute Odisha at Sambalpur, where I represent. The Odisha Government has given suggestions on some important cases. For example, there is no cancer unit. Thousands of sickle cell anemia patients are going to that college but there is no permanent treatment for them. Fifteen districts of the State including portion of Chhattisgarh, when they are having health problem, are constantly coming to this Burla Medical College.

So such being the situation, the Odisha Government has sent some recommendations and suggestions to the Government of India. For example, the

Odisha Government has asked for extension of building for which around Rs. 50 crore is needed; it has also asked for opening up of a high standard sickle cell institution. But no action has been taken by the Government of India so far.

I would, therefore, request the Government of India to immediately intervene in the matter and sanction funds as per the suggestions given by the Odisha Government.

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : उपाध्यक्ष महोदय, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अंडमान टिम्बर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 9 अक्टूबर, 2000 में गैरकानूनी तरीके से अपनी फैक्टरी बंद कर दी थी। उसमें काम करने वाले 823 कर्मचारियों को आज तक उनकी बकाया राशि नहीं मिली है। इसी संबंध में लेबर कोर्ट में केस डाला गया। वर्ष 2001 में एक पैकेज बनाया गया। उसमें लेफ्टीनेंट गवर्नर थे, एमपी थे, यूनीयन थी और एटीआई का मैनेजर भी था। उसमें तय किया गया था कि मजदूरों का बकाया देंगे। फर्स्ट इंस्टालमेंट की पेमेंट दी गई, सैकेंड इंस्टालमेंट की पेमेंट दी गई, लेकिन थर्ड इंस्टालमेंट देने के समय एग्रीमेंट बना था कि प्रशासन उनकी जमीन एटीआई से एक्वायर करके पेमेंट देंगे। पार्टली लैंड दी गई और तीन करोड़ रुपया दिया भी था। एटीआई मैनेजमेंट रुपया ले कर भाग गई और मजदूरों को पेमेंट नहीं दी गई। उसके पश्चात् यह केस लेबर कोर्ट को अवार्ड हुआ लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोर्ट में आज भी केस चल रहा है। इसके बीच 26 नवम्बर, 2014 को लेबर कमिश्नर ने डीसी महोदय, साउथ अंडमान को केस अवार्ड किया कि उनकी जमीन एक्वायर करके आक्शन करके जो रुपया आएगा, वह रुपया लेबर कमिश्नर के पास जमा किया जाए, ताकि मजदूरों को उनकी पेमेंट दी जा सके।

मैं आग्रह करना चाहता हूं कि चाहे लेबर कोर्ट से हो, चाहे कोर्ट से हो, नहीं तो जो 2,40,00,000/- रुपए मजदूरों को देने हैं, प्रशासन स्कीम बनाकर भारत सरकार से यह रुपया लेकर गरीब लोगों की मदद करे। जयहिंद।

SHRIMATI K. MARAGATHAM (KANCHEEPURAM): Thank you hon. Deputy Speaker Sir for allowing me to speak in 'Zero Hour'.

I once again pay my gratitude to my Leader, People's former Chief Minister, Hon. Puratchi Thalaivi Amma because of whom I am here today.

Sir, I wish to raise an important issue regarding the welfare of SC/ST students. In 2011-12, the All India Council of Technical Education laid the norms for first year admission in B.E & B. Tech., as 45 per cent for general

category students and 40 per cent for SC/ST students, whereas the Government of Tamil Nadu under the able leadership of hon. Amma gives admission for SC/ST Students at 35 per cent.

Hon. Puratchi Thalaivi Amma has always been a moral support to the SCs and STs for their welfare by giving various schemes like:

1. Allotting Rs 6,108.60 crore, an all time high for the SC Sub-Plan in 2013-14 Tamil Nadu Budget;
2. Rs 500 for girl students from 3rd standard to 5th standard;
3. Rs 1000 for 6th standard girl students; and
4. Rs 1,500 for girl students from 7th standard to 8th standard to boost women education.

By these schemes, Tamil Nadu will become India's most prosperous and progressive State by 2023; and Tamil Nadu will be No. 1 in Human Development Index in our Country.

In spite of various legal steps taken by the Tamil Nadu Government under the guidance of hon. Amma, the AICTE has so far not responded and it is continuing 40 per cent for SCs & STs till date. An SLP has also been filed by the Tamil Nadu Government in the Supreme Court regarding this.

Hon. Amma had met the hon. Prime Minister on 3rd June, 2014 regarding the injustice to SC/ST students.

In this regard, I request the hon. Prime Minister and the Central Government to look into this matter and direct the AICTE to fix 35 per cent as pass mark for admission in B.E. & B. Tech., for SC/ST students. Thank You.

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Kirit P. Solanki is allowed to associate with the matter raised by Shrimati K. Maragatham.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, my submission is regarding the Government’s move to scrap Women Self-Help Groups in India.

Recently, the hon. Minister for Women and Child Development has made a statement in public that it is bad idea to lend to women in groups. Instead, we will

skill women and lend directly. Also, the Minister for Women and Child Development, Madam Maneka Sanjay Gandhi said: "When a man wants loan for a business, he goes alone, and not with a group. The idea of women having to take loan with 10 or more women to seek a loan is degrading. Why should we do that to women?" That means, the Government is going to scrap the Self-Help Group as far as the woman is concerned.

I would like to cite one example which is being practised in our State, that is, Kudumbashree Scheme. When the Self-Help Groups have been financed by the banks and the Government, it is really empowerment of women. It is not degrading them. Also, already the Government of India has abandoned one scheme. The Scheme of Mahila Rashtria Kosh has already been stopped. If this concept is accepted by the Government, because it is a statement of the Minister, and if the Government continues to stop this scheme, definitely, it will adversely affect the Kudumbashree Scheme as well as so many NRLM projects. The Self-Help Groups will also be adversely affected.

So, my request, through you, Sir, to the Government is to desist from the move to scrap the Women Self-Help Groups in our country because this scheme is a very good scheme and it is a successful scheme in the country.

श्री जगदम्बिका पाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का समय दिया।

महोदय, दो दिन पूर्व पेशावर में एक घटना हुई, जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल के 132 बच्चों को आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी। घटना पाकिस्तान की है, लेकिन इससे दोनों मुल्कों की सरहदें टूट गयीं। भारत की लोक सभा में सबसे पहले, क्वैश्चन आवर से भी पहले उन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे सदन ने मौन रखा। उन 132 बच्चों की मौत ने पूरे भारत को मर्माहत कर दिया। ऐसा लगा कि जैसे वे हमारे बच्चे हों। जिस तरह से उन्हें गोलियों से भून दिया गया, उसका बहुत दुःख है।

आज गोरखपुर मेडीकल कॉलेज की एक छत के नीचे 1 जनवरी से 17 दिसम्बर तक, यह गोरखपुर मेडीकल कॉलेज के रिकॉड्र्स पर है कि एक छत के नीचे एक मेडीकल कॉलेज में 603 बच्चों की मौत हो गई। वे 603 बच्चे देश के भविष्य थे, देश की दुनिया की किसी भी ऊंचाइयों और कामयाबियों पर

जा सकते थे। यह बात मैं समझता हूं कि 1978 में जो बीमारी गोरखपुर के पूर्वांचल से शुरू हुई, आज वह गोरखपुर से लेकर न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि देश के 11 राज्यों में चली गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, आज पूरे देश में हजारों मौतें हो रही हैं। यह दुर्भाग्य है कि आज तक उस वॉयरस का कोई इलाज नहीं हुआ, प्रिवेंटिव के जो वेक्सीनेशन हैं, वह शत-प्रतिशत नहीं हो रहा है। हम कब सचेत होंगे, अगर हमारे घर के 603 बच्चों की एक मेडीकल कॉलेज में मौत हो जाए, बिहार में दो सौ मौतें हो गईं, असम में 295 मौतें हो गईं, वेस्ट बंगाल में तीन सौ मौतें हो गईं। ऐसे उस एक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम के बारे में बताया गया है और हर्षवर्धन जी का भी बयान है, this disease is a mystry and still we do not know the reason for it. अगर अन्नॉन रीज़न है तो मैं समझता हूं कि इस वॉयरस के वेक्टर बोर्न डिसीज़ के लिए कोई कंट्रोल प्रोग्राम हम करेंगे। जो बच्चे बच जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, एक तो गरीब की गरीबी का अभिशाप और वह बच्चा पूरी जिन्दगी के लिए बोझ बन जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इस बीमारी के इलाज के लिए कोई रिसर्च हो, दवाओं का ईजाद हो। उन बच्चों को मौत के मुंह से बचाएं।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, through you, I want to raise the following matter in Zero Hour to attract the attention of the Ministry for Civil Aviation, Government of India.

The grounding of SpiceJet flights created a harrowing time for thousands of passengers across the country. As you know, the Spice Jet is owned by the Sun TV Group, the Marans. The Sun TV is not ready to bail it out. The airlines have been refused by oil companies like IOC and BPCL. As a result, the SpiceJet collapse seems heading the Kingfisher way, which ultimately closed down.

Passengers had to rush for other airlines. As a result, the price of air tickets in this peak holiday season has gone through roof. There is no Government effort to regulate fares. Bombay to Delhi is selling at Rs.25,000. It is the ordinary price. On Tuesday, only 35 flights of the 239 daily flights of SpiceJet took off. There has been violent protest by the passengers throughout the country.

Yesterday, at Terminal-1D of Delhi passengers remonstrated with the SpiceJet employees because they were put in great difficulty. The Government

must intervene in the matter of SpiceJet collapse and also about the skyrocketing of fares in this festive season.

*SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR): Hon. Deputy Speaker, Sir, I thank you for permitting me to raise an important issue during the Zero Hour. For according the classical language status to Marathi language, Government of Maharashtra had submitted its report in Marathi on 12th July, 2013 and in English on 16th November, 2013 to the Central Government.

As of now, Tamil, Sanskrit, Telugu, Kannada, Malayalam and Oriya are the six languages which are accorded classical status. As a matter of fact, Marathi language fulfills all the requisite criteria for being a classical language. The age of prakrit started from 600 to 700 AD. Prakrit was very prominent during the times of Lord Buddha, Bhagwan Mahavir and Emperor Ashoka. The grammar book "Prakrit Prakash" was written during this period. In those days, Maharashtri apbhransh was in practice. "Sri chamunda raye karavile gangaraje suthale karvile" this line was carved on a stone carving at Shravanbelgole which dates back to 983 AD and now it stands as a testimony for Marathi, being 1000 years old.

In my constituency, at Naneghat, there is a stone carving which is 2200 years old and in this carving a Marathi word "maharatthino" is written. Even during the Satvahan Era Prakrit Maharashtri language existed and it was very prominent.

Marathi language is spoken in 72 countries. There are around 20000 languages all over the world and Marathi stands at No.10. As many as 11.5 crore people speak Marathi. "Vinay Pitak" is a 2500 years old literary work. Even, the first literary book in Marathi 'Gatha Saptasati' is 2000 years old. This shows the ancientness of Marathi. 27th February is celeberated as Marathi Bhasha Diwas. Hence, it is my humble request to the Central Government that before 27th February, 2015, Marathi should be accorded the status of Classical Language. Jai Marathi, Jai Maharashtra. Thank you.

---

* English translation of the Speech originally delivered in Marathi.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Thank you, Deputy Speaker, Sir. I want to bring to the notice of this august House about a recent incident of the death of a gangman who was on duty between Thane and Mulund. A number of such accidents happen day in and day out. The reason for this is less number of staff in a unit of a gangmen. One unit of gangmen should consist of 11 people, but 5-6 gangmen are working nowadays in a unit. These accidents are prone to occur due to increase in workload and less number of staff. The reasons for such accidents are also due to the fact that they are not following the Banner Flag Protection rule, which was followed very strictly earlier. This should be carried out by the Engineering Department, which is not being done nowadays.

Another point is that detonators -- that are to be installed at 45 metres from the workplace -- is also not followed. So, I would request the Ministry of Railways to make it compulsory to install buzzer system and also detonators, which will alert the gangmen and save their lives.

The other important issue is track maintenance, which is to be done by the gangmen only. It is executed through contractor system, which is done by untrained labourers, which is putting lives of lakhs of commuters at stake. In a recent incident, in my Constituency, four derailments have occurred. So, I would request the Ministry of Railways that track maintenance should be done by trained gangmen. The Rail Kamgar Sena has also raised this issue several times.

So, through you, I would request the Railway Minister to look after the condition of all these tracks, and not neglect the safety of these tracks and lakhs of commuters. Thank you.

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। आप जानते हैं कि हमारे देश से हजारों लोग, चाहे मिडल ईस्ट की बात करें, चाहे यूरोप की बात करें, चाहे अमेरिका या कनाडा की बात करें, वहां मेहनत, मजदूरी के लिए और नौजवान पढ़ने के लिए जाते हैं। उसमें खासतौर से पंजाब के लोगों की बहुत ज्यादा तादाद होती है। लोग काम करने गए हों और परिवारों के बगैर गए हों, तो वहां पर किसी भी कारणवश चाहे उनकी डेथ

किसी एक्सीडेंट में हो, चाहे किसी बीमारी के कारण हो या साधारण डेथ हो, जब उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद डेड बॉडी को अपने घर लाने के लिए बहुत दिक्कत का सामना उनकी फेमिली को करना पड़ता है। मिडल ईस्ट में खास तौर से चार-चार महीने डेड बॉडी को लाने में लग जाते हैं। ऐसे भी केस हैं जिसमें दो-दो साल लग गए। आप समझ सकते हैं, जिस परिवार में डेथ हुई हो, कितना बड़ा मातम उस परिवार में होगा और लगातार चार महीने उनको अपने परिवार के मेंबर की बॉडी लेने में लग जाए, तो इतना लम्बा टाइम किस तरीके से वह परिवार सहन कर पाता है।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है, एंबैसीज में खासतौर से कोई फंड रखा जाए, जिससे वे उनकी बॉडीज यहां वापस ला सकें। खासतौर से यहां पर भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में ऐसा ऑफिसर डेप्यूट किया जाए या कोई सेल बनाया जाए जो उनको परिवारों को यह बात बता सके कि कितने समय में उनकी बॉडी यहां पहुंचेगी। उन्हें माली मदद भी दी जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनको वहां चक्कर न लगाना पड़े।

ADV. SHARADKUMAR MARUTI BANSODE (SOLAPUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to raise a very important issue regarding the Great Indian Bustard in my Solapur constituency.

The State Government has reserved the land admeasuring 1029 square kilometres to protect the Great Indian Bustard. However, due to the decision of the hon. Supreme Court, the State Government conducted an inquiry in accordance with Sections 18 to 25 of the Wildlife Protection Act, 1972, and it has decided that only 493 hectares of land may be reserved for this Great Indian Bustard. But till date the Environment Ministry has not taken any steps. The interesting thing is that for the last so many years, nobody has even seen that bird. No doubt, the bird has to be protected. But simultaneously it has to be noted that lakhs of farmers and plot owners cannot sell or purchase land; industrialists cannot establish new industries, while the plans of the Government are also badly affected.

Therefore, I would request the Government to take the necessary steps to solve the problem at the earliest. Thank you.

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान "आशा बहुओं" की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में "आशा बहुऐं" 24 घन्टे काम करती हैं। वे घर-घर जाकर

प्रेग्नैन्ट महिलाओं का टीकाकरण करती हैं, बच्चों को पोलियो का ड्रॉप भी पिलाती हैं, वे महिलाओं की सेवा करने के लिए हर समय तैयार रहती हैं। जब रात में महिलाओं की डिलीवरी की संभावना रहती है तो उन्हें फोन किया जाता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण इलाकों से किसी तरह वे प्रेग्नैन्ट महिलाओं को लेकर अस्पताल तक आती हैं। अस्पतालों में जो सी.ए.सी. और पी.ए.सी. हैं, वहां उनको ठहरने के लिए आवास नहीं बनाया गया है। जब वे वहां पर जाती हैं तो नर्सेज उनसे बदतमीजी करती हैं और डॉक्टर्स भी उनसे बदतमीजी करते हैं। उनको पैसा नहीं दिया जाता है। जच्चा को जो पैसा मिलता है, उसमें से भी नर्सें पैसा ले लेती हैं। वे कभी-कभी उन्हें बड़े अस्पतालों के लिए रेफर कर देते हैं। उनसे जिला अस्पतालों में भी बदतमीजी की जाती है। वहां पर "आशा बहुओं " और प्रेग्नैन्ट महिलाओं से मार-पीट तक की जाती है। उनकी स्थिति बहुत खराब है। "आशा बहुऐं " नर्सेज से भी ज्यादा काम करती हैं।

मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान "आशा बहुओं " की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं और मांग करता हूं कि "आशा बहुओं " को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। उनको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। "आशा बहुओं " का जितना भी बकाया है, वे सब दिए जाएं। टीकाकरण और पोलियो ड्रॉप का जो पैसा उनको नहीं मिला है, जो बकाया राशि है, वह पैसा भी उन्हें उपलब्ध कराया जाए। मैं आपके द्वारा सरकार से यह मांग करता हूं।

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी) : महोदय, मैं आपका ध्यान मण्डी संसदीय क्षेत्र में चल रही शानण जल विद्युत परियोजना की ओर दिलाना चाहता हूं। 3 मार्च, 1925 को ब्रिटिश सरकार व मण्डी के राजा श्री जोगेन्द्र सेन बहादुर के बीच जोगिन्दर नगर में 48 मेगावाट्स जल विद्युत परियोजना बनाने का एग्रीमेन्ट हुआ। वह परियोजना 10 मार्च 1933 को विद्युत उत्पादन करने लगी। वर्ष 1982 में, उसकी क्षमता 66 मेगावाट्स से बढ़ाकर उसकी 110 मेगावाट कर दी गई।

भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि जितने एग्रीमेन्ट ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजा-महाराजाओं के साथ किए हैं, वे रद्द माने जायेंगे लेकिन शानण परियोजना का एग्रीमेन्ट आज तक रद्द नहीं किया गया है। आज भी वह पूर्व की भांति पंजाब बिजली बोर्ड के अधीन 67 वर्षों से बिजली का दोहन कर रही है। हिमाचल प्रदेश को अंग्रेजों के समय में हुए 99 वर्ष के अनुबंध का हवाला देकर कब्जा कर बैठा है। वह वर्ष 2024 को अनुबंध की समयसीमा समाप्त होने का इंतजार कर रहा है।

उस परियोजना से 250 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष शुद्ध लाभ पंजाब सरकार को जाता है लेकिन पंजाब सरकार स्थानीय जनता के हित व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक पैसा भी खर्च नहीं कर रही है। शानण की पहाड़ियां में ट्रालियां चलती थी उन्हें बंद कर दी गई है। सड़क और पुल टूटे हैं, स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं।

81 वर्ष पुरानी शानण जल विद्युत परियोजना के टनलों में दरारें आ चुकी है, पहाड़ी धंस रही है जिसके कारण कभी भी वहां विस्फोट हो सकता है जिससे जोगिन्दर नगर शहर ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारी जान-माल का नुकसान होगा। साथ ही साथ, इस पानी से हिमाचल बिजली बोर्ड द्वारा संचालित 66 मेगावाट बस्सी जल विद्युत परियोजना, निर्माणाधीन 100 मेगावाट उहल जल विद्युत परियोजना के विद्युत उत्पादन में भी रुकावट आएगी तथा करोड़ों का आर्थिक नुकसान होगा। भारत सरकार से मेरी प्रार्थना है कि शीघ्र ही जलविद्युत विशेषज्ञों की एक टीम शानण भेजी जाये जो इस परियोजना की जांच करे और ब्रिटिश सरकार के साथ हुए एग्रीमेन्ट को रद्द करने व शानण परियोजना को हिमाचल सरकार को सौंपने की कृपा करें।

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Thank you so much Sir for giving me an opportunity to speak in the 'Zero Hour'.

Sir, Jaykrushna Mahapatra Rajguru, who was born in 1739 in Puri district of Odisha is supposed to be the first martyr in India's freedom struggle against the Britishers.

Sir, he was not only a strategist; he was not only a visionary; he was not only a guerilla warfare by organizing *paikas* from each and every family of the Odisha princely State at that point of time. The Britishers saw that Jay Rajguru is the greatest threat to their nefarious design.

Sir, he waged a guerilla warfare against the Britishers and won the war. The Britishers saw that he is going to pose a greatest threat and subsequently, they arrested him. When they arrested him and produced before the court of law, the court said that you are the man who is responsible for waging a war against the Britishers. He had the courage to say so. He said that the king is not responsible and it is me who is responsible to this nefarious design.

The way he was killed, no human mind in a civilized world can think of that. His two legs were tied to a 400 year old banyan tree by bringing two

branches and the branches were let off causing a complete vertical split of his body. That is the most inhuman treatment the Britishers have given to a hero from Odisha. History has chosen to forget such a great hero who has contributed to the Indian Freedom Struggle. So, my demand before the Union Government is that let the place Medinipur in my Balasore constituency where he was killed be declared as a place of national importance and a historical place and infrastructure be created to commemorate the great hero of the Indian freedom struggle.

SHRI RADHESHYAM BISWAS (KARIMGANJ): Thank you hon. Deputy Speaker Sir for allowing me to speak in 'Zero Hour'. A road between Silchar to Guwahati under Special Accelerated Road Development Programme in North East region was approved by the Union Government as a National Highway No. 627 which is most important for Barak valley, Tripura, Mizoram and Manipur. The Government of Assam has already submitted the details of the project report of Rs. 1600 crore for the construction of the much awaited two lane highway. In reply to the question in the Assam Assembly by the hon. PWD Minister said that detailed project report sent by the Assam Government is not approved by the Union Government till now. I request through you to the Union Government to take necessary measures in this respect immediately.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र 19 महाराजगंज, गृह जिला सारण, बिहार के अंतर्गत श्यामचक से करींगा के मध्य एन.एच. 101 पर रेलवे क्रॉसिंग जो छपरा सीवान रेल खंड पर और छपरा से बनारस रेल खंड पर एवं ब्रह्मपुर से जलालपुर के बीच एन.एच. 85 पर रेलवे क्रॉसिंग के साथ-साथ राजेन्द्र सरोवर से जगदम महाविद्यालय के बीच रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर रेल उपरगामी पुल जनहित में बनाया जाना अति आवश्यक है। इस पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में छोटी, बड़ी, निजी और भारी मालवाहक गाड़ियों के साथ-साथ लोगों का भी आवागमन रहता है। कभी-कभी यह क्रॉसिंग घंटों बंद रहता है जिसके कारण आम लोगों को आने-जाने में कठिनाई होती ही है, रोगियों को रेलवे फाटक बंद रहने के कारण दम तोड़ना पड़ता है और परीक्षार्थियों को परीक्षा से वंचित रहना पड़ता है। इस संदर्भ में सदन के माध्यम से मेरे द्वारा पूर्व में भी सरकार से उपरोक्त स्थानों पर रेलवे क्रॉसिंग बनाने के लिए आग्रह किया गया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई सार्थक कार्यवाही नहीं हुई है। अत: सरकार से मेरा पुन: निवेदन है कि

उपरोक्त रेलवे क्रॉसिगों पर उपरगामी पुल का निर्माण कराए जाने के संबंध में जनहित में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपने क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विषय को उठाने की अनुमति दी उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 जो दिल्ली से अहमदाबाद, भरूच होते हुए मुंबई तक जाती है। भरूच के पास नर्मदा नदी पर पूरा राष्ट्रमार्ग छह लेन का है, मगर नर्मदा नदी पर जो लंबा पुल है वह केवल दो ही लेन का है। इसकी वजह से बाटलनेक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 जो दिल्ली से लेकर मुंबई तक जाती है, यातायात की दृष्टि से अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा यातायात उस मार्ग से होता है। इस बाटलनेक की वजह से वहां घंटों ट्रैफिक अवरुद्ध हो जाता है। कई बार कई किलोमीटर तक लंबी वाहनों की कतार लगी होती है। पन्द्रहवीं लोक सभा में भी मैंने और मेरे अन्य साथियों ने इस मुद्दे को सदन में उठाया था। मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, उस समय की यूपीए सरकार ने 1 मई, 2012 को गुजरात चुनाव से ठीक पहले इस ब्रिज का पीपीपी मॉडल पर शिलान्यास किया था, मगर आज तक उस पर कोई कार्यवाही संपन्न नहीं हुई है। आज भी लोग परेशान हैं। गुजरात सरकार ने भी कई बार उसे ईपीसी मॉडल इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल पर इस ब्रिज के निर्माण के लिए कहा है। मैं आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि अगर इस ब्रिज का निर्माण हो जाता है तो इससे लोगों को बहुत सुविधा होगी, जो लंबी-लंबी लाइन होती है, यातायात में जो अवरोध होता है, उसे हम दूर कर सकेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: I am having a long list of Members to speak during 'Zero Hour'. I will allow maximum of one minute. And if any Member exceeds the limit, automatically his speech would not go on record. Therefore, I would request all of you to cooperate. I would allow maximum of one minute and not more than that.

Shri Hukum Singh. You mention about the subject. That is enough.

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : महोदय, मेरा विषय अवैध खनन का है, जो मेरे लोक सभा क्षेत्र में शुरू होने वाला है। अगर वह हुआ तो लाखों किसान परिवार बर्बाद हो जाएंगे। मैं केन्द्र सरकार से प्रार्थना करता हूं कि उस अवैध खनन को तुरंत रोका जाए, किसानों को बर्बाद होने से बचाया जाए। यही मेरा निवेदन है।

DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Deputy Speaker, Sir, Tamil Nadu geographically had very little surface water and the ground water resources

were also fastly depleting. Understanding the basic underlying problem which necessitated conserving and increasing the ground water level, our hon. People's former Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma had taken pioneering efforts, the first ever in India in the field of rain water harvesting which stands out as a role model for our entire country.

In the Chennai City alone, the projected demand for drinking water by 2017 is 1584 MLD. At present, there are two desalination plants with 100 MLD capacity each, functioning in Tamil Nadu which converts sea water into drinking water. Our visionary leader, hon. People's former Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma, to avert the huge demand supply mismatch in the future, had proposed a 150 MLD SWRO Desalination Plant at Nemmeli near Chennai at a cost of Rs.1371.86 crore and another 400 MLD SWRO Desalination Plant at Perur near Chennai at a cost of Rs. 4070.67 crore. The requested Centre's share of 50 per cent is pending with the Government of India. The Government of India should release the necessary funds for expeditious completion of these proposed projects.

*SHRI KAPIL MORESHWAR PATIL (BHIWANDI):Hon. Deputy Speaker, Sir, Jai Maharashtra. The NH 3 passes through my constituency, Bhiwandi. It has been transferred to Gammon India for renovation work on BOT basis.

But there are many shortcomings in the construction of this road. There are no underpasses and service roads on this NH. The places like Yewai, Taloli, Khadawali, Asangaon, Vashin and Vashala have no underpasses. Hence, till date, more than 220 accidents have taken place on this road in which 120 people have died.

Last week, at Asangaon Junction, an accident took place and the family members of the deceased, blocked the road by putting the dead body in the middle of the road and all political parties supported them. As a matter of fact, many people have died there due to accidents.

Hence, I am requesting the Central Government to kindly construct underpasses at the accident prone sites on this highway and give relief to the people of my constituency. Thank you.

---

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Hon. Deputy Speaker Sir, Godavari Pushkaram is a festival of River Godavari which occurs once in 12 years. The Pushkaram festival was last held in the year 2003. The next Godavari Pushkaram will start from July 2015 onwards. During Godavari Pushkaram, pilgrims from all over the country will have a holy dip with the belief that they would be relieved from all sins, and perform rituals to departed souls. The first 12 days of Godavari Pushkaram is called Aadhi Pushkaram and the last 12 days of Godavari Pushkaram is called Anthya Pushkaram. These 24 days are very pious to devotees. A large number of pilgrims throng in to these places during Pushkarams. Government of Andhra Pradesh is planning to make arrangements for pilgrims during Pushkarams. In the year 2003 above two crore pilgrims have attended the festival in Rajahmundry alone.

In view of the above, I submit to inform you that a number of amenities are required at various locations abutting river Godavari. Therefore I request you to release an amount of Rs 25 crore from Ministry of Tourism, Government of India for construction of Tourist amenities across river Godavari at the earliest.

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Hon. Deputy Speaker Sir, Kozhikode is a major centre for manufacture of footwear with an approximate turnover of Rs 700 crore per annum and employing more than 10,000 employees.

The Footwear Design and Development Institute is the premier institute for footwear design and the Government of Kerala has suggested for the opening of one of the proposed four institutes at Kozhikode which the FDDI has agreed to in principle. The Government of Kerala has also allotted the mandatory 20 acres of land for the purpose in February, 2013. I request the hon. Minister of Commerce to allot the required fund of Rs 100 crore during the financial year of 2014-15 itself for construction work of the institute.

SHRI BHEEMRAO B. PATIL (ZAHEERABAD): Hon. Deputy Speaker Sir, I would like to draw the kind attention of the august House regarding the dire need to make Sangareddy-Nanded-Akola Road as new National Highway-163 and four-lane road.

In this connection, I would like to bring to your kind notice that in my Zaheerabad constituency in Medak District in Telangana State, there is a road passing from Sangareddy-Nanded-Akola and this is an inter-State road connecting Maharashtra from Telangana and it is passing in the backward areas but there is no industrial development in the surrounding villages.

In this connection, it is to be stated that the Government of Telangana is particularly to take care for the development of the surrounding districts industrially because there is no sufficient land available in the Hyderabad City. So, the investors who are interested to locate their industrial units in Medak District will be inclined positively provided there is road convenience of four-lane National Highway road and other infrastructure available in the vicinity. Sufficient land and water is available to attract the industrialists. There is every need to make the present National Highway into a new four-lane National Highway-163 so that simultaneously the backward areas can be developed and the industrialists can be impressed to locate the industries abundantly to generate employment also.

SHRI P.C. MOHAN (BANGALORE CENTRAL): Hon. Deputy Speaker Sir, Karnataka is facing an alarming situation with reference to school drop-outs or out-of-school children to the tune of 67 per cent. The number of school drop-outs has increased to 1,81,000 in 2014 from 1,08,000 in 2009 which has resulted in pushing Karnataka to 4th position from 6th position. The Karnataka Government was pulled up by the hon. High Court for its inability to handle the problem and was also criticized for submitting the wrong figures.

HON. DEPUTY SPEAKER: You should come to the point. Don't make any allegation.

SHRI P.C. MOHAN : Sir, the reason cited by the experts for school drop-outs were poverty, migration and Government's apathy. The disbursement of free text-books both for private and public schools and proper implementation of mid-day meal scheme can prevent drop-outs to some extent. I request the hon. HRD Minister to announce adequate funds for the State of Karnataka and advise the State Government to implement these steps properly.

SHRI G. HARI (ARAKKONAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, Thirukural with profound universalism is unparalleled in world literature for its masterly exposition of the tenets of justice and ethics. Guiding mankind in human values it is a timeless treasure and transcends the barriers of caste, creed and religion. Thirukural, the Tamil didactic masterpiece rendered by Thiruvalluvar, dates back to the Sangam Era of ancient Tamil Nadu.

Thirukural is among the most translated literary works with a universal appeal even for the modern life. It has been translated into many languages of the world including Chinese, Arabic and classical European languages. In 1330 couplets, uniquely relevant secular values in consonance with the modern Indian republican polity have been effectively conveyed.

The need of the hour is to acknowledge that such a moral-precept rendition is with us having a place above all the religions because of its secular nature. Hence our beloved leader Hon. Puratchi Thalaivi Amma had drawn the attention of our Prime Minister to declare Thirukural as national literature. Tamil Nadu Legislative Assembly also passed unanimously a resolution requesting the Government of India to declare Thirukural as our country's literature of great pride.

Every year we are celebrating January 16 as Thiruvalluvar day commemorating his birthday. On this occasion the Union Government must come forward to declare Thirukural being accorded the status of our national literature. Let this declaration be made as a gift to all the people of the world especially the Tamils world over.

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I want to raise an important issue regarding dilution of the Forest Rights Act. The Forest Rights Act, 2006 was launched during the year 2008 during our UPA Government and it provides rights to forest dwellers to own access and take decisions regarding forest areas.

Under the Forest Rights Act the Gram Sabha can regulate access to forest resources and stop any activities which adversely affect the forest. Up to May 31st, 14,12,712 individual titles had been issued, 23,578 community titles had been issued, and 46.5 lakh acres of forest area rights had been vested to forest dwellers. There have been various news reports regarding the alleged intention of the Central Government to dilute the Forest Rights Act. On 28th October, the Ministry of Environment, Forests and Climate Change had sent out a letter to all the States. That letter violates the rights of forest dwellers and gives the rights to the District Administration to divert forest areas for other purposes.

I would request the Government to take back any letters sent which are in violation of rights of forest dwellers, and to ensure that the Forest Rights Act is not diluted in letter and spirit. The interest of forest dwellers must not be compromised in the name of development. Thank you.

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी (बस्ती) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आज बस्ती जनपद, उत्तर प्रदेश के बारे में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बहुत पिछड़ा जिला है। बस्ती जनपद में अधिकतर किसान गन्ने की खेती पर निर्भर हैं। 1927 में नारंग शुगर मिल खुली थी जिसे 2005 में बजाज ग्रुप ने खरीद लिया था और सात-आठ सत्र चलाने के बाद बंद कर दिया। बस्ती के लाखों किसान शुगर मिल में गन्ना बेचते थे जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। इससे उनको रोजगार मिलता था लेकिन अब वे घर बैठे हुए हैं। यहां साल भर से आंदोलन चल रहा है। मैंने स्वयं इस आंदोलन में भाग लिया है लेकिन यह शुगर मिल नहीं चल पा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि शुगर मिल शुरु करवाई जाए।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं भारत के लिए सबसे गंभीर चुनौती की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ड्रग्स, हेरोइन, अफीम के धंधे से पूरा देश तबाह है। देश के 12 प्रतिशत

स्कूल के बच्चे तंबाकू से लेकर शराब का सेवन करते हैं और 90 प्रतिशत बूढ़े नशे से पीड़ित हैं। पंजाब विकसित प्रदेश हुआ करता था लेकिन आज नशे के कारण समाप्त हो रहा है। कुछ दिन पहले [*] डीएसपी, जिसने खिलाड़ी के रूप में प्रतिनिधित्व किया था, कनाडा और दूसरे देशों में जाकर, वहां के राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर, गलत धंधा किया। जब ईडी ने बुलाया और पूछा तो उसने कई राजनीतिज्ञों के नाम का खुलासा किया कि ये संलिप्त हैं। कई पदाधिकारियों के नाम संलिप्त बताए हैं। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Any individual's name cannot go on record.

श्री राजेश रंजन : पूरा पंजाब नशे के कारण चौपट हो चुका है। हर गांव में, हर पंचायत में हर महीने दो-चार लाशें निकलती हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे देश को नशामुक्त करने की बात कही है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यदि वे देश को नशामुक्त करना चाहते हैं तो गुजरात की तरह पूरे देश में तम्बाकू और शराब पर प्रतिबंध लगाएं और देश के भविष्य को बचाएं।

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय से जुड़ी एक वैज्ञानिक संस्था है, जिसका काम है आधुनिक विज्ञान से संबंधित अनुसंधान करके रक्षा सेवाओं को सुदृढ़ करना है। परन्तु पिछले दिनों में डीआरडीओ ने एक ऐसा कारनामा किया है, जिससे सारा देश स्तब्ध है। उसने मानवीय और आर्थिक संसाधनों पाँच करोड़ रुपए की लागत से एक रथ बनाकर आनन्दी मंदिर को भेंट किया, जो नहीं किया जा सकता था। जिस वैज्ञानिक ने इसके खिलाफ आवाज उठायी और व्हिसिलब्लोअर का काम किया, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। उसके अंडर जितने भी रिसर्च प्रोजैक्ट्स थे, वे उससे छीन लिये गये। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया तो डीआरडीओ के चीफ, डिफेन्स सेक्रेट्री और सेन्ट्रल विजिलेंस कमीशन को यह आदेश दिया गया कि इसे 17 तारीख तक फाईल करें। डीआरडीओ ने जो धर्म की नीति चलायी है, जो धर्म दीक्षा है, उसका अधिकार डीआरडीओ को किसने दी है और किसने उसे एक धार्मिक अनुष्ठान करने का आदेश दिया है। यह मैं सरकार से जानना चाहता हूँ।

[*] Not recorded.

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि आज देश में शेरों की कुछ संख्या है, वह गुजरात के दक्षिणी सौराष्ट्र के सासनगीर में है। वहाँ पाँच सौ से ज्यादा शेरों की बसावट है। इस अभ्यारण्य का एरिया करीब 1412 किलोमीटर का है। उस एरिया से छह राजमार्ग और छोटी-छोटी सड़कें निकलती हैं। उन शेरों के संरक्षण के लिए गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, जो करीब छह सौ करोड़ के करीब था। 276 किलोमीटर का जो रिंग रोड है, उसके लिए तुरंत केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव पास करना चाहिए ताकि हमारे देश में शेरों की रक्षा हो और उसका संरक्षण हो सके। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से कहूंगा कि गुजरात के उस अभ्यारण्य को बचाया जाए।

SHRI R.K. BHARATHI MOHAN (MAYILADUTHURAI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, everybody should get everything; poverty should be wiped out of this country under the able guidance of hon. Dr. Puratchi Thalaivi Amma.

I urge upon the Union Government to set up FM Radio Station at Kumbakonam in my Mayiladuthurai Constituency of Tamil Nadu. Already the DD's relay station set up is there in Kumbakonam. We can use this transmitter and the buildings to set up FM radio station. Since building and land is available with transmitter, installation will not require huge funds. There are a lot of villages around Kumbakonam and the main activities of the villagers are agriculture and fisheries. So, the FM station will serve the needs of all the sections of the people. So, I urge upon the Union Government to set up FM radio station as early as possible at Kumbakonam city. Thank you.

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : उपाध्यक्ष महोदय, परम्परा से बहादुर और इतिहास से अमर शहीद बाबा शामल के ज़माने से बागी और वर्तमान में तरूण बेदुरगा का क्षेत्र बागपत, मेरा संसदीय क्षेत्र है। चालीस-पचास साल पहले यह देश का नहीं, पर कम से कम उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा क्षेत्र था और आज सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जब बहादुर लोगों के गले में बेरोजगारी पड़ जाती है तो उससे बहुत ही हिंसक और वायलेंट क्राइम्स जन्म लेते हैं। उससे न केवल बड़े शहर, बल्कि पूरा क्षेत्र प्रभावित होता है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि बागपत क्षेत्र में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट स्थापित किया जाए जिससे बेरोजगार युवकों को ट्रेनिंग मिले और उनको रोजगार मिल सके।

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Hon. Deputy Speaker, Sir, our the then Deputy-Council General, Shrimati Deviyani Khobragade, was arrested in New York on false charges. She was indicted and humiliated by the US authorities. She was humiliated to such an extent that she had to undergo captivity search which is done for the drug peddlers. Every one of us know about highhandedness of the US authorities. We have experienced this in past when our hon. ex-President, Abdul Kalamji had gone to the US, when our George Fernandes had been to the US and recently even the present Prime Minister was also not treated properly by the US.

Shrimati Deviyani Khobragade is still under warrant in the US. The Minister of External Affairs had done a laudable job by bringing her back to India safely. But the criminal charges against her and arrest warrant still stands. Therefore, in view of present relations with the US, I would request the Government to pursue this case and ask the US authorities to exonerate her from the criminal charges.

श्री पी.पी.चौहान (पंचमहल): महोदय, मैं आपके माध्यम से बीएसएनएल टावर संबंधी एक मामला उठाना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र पंचमहल जिले की गोधरा तालुका में बीएसएनएल टावर पूरी तरह से बंद अवस्था में है। मेरे घर का टेलीफोन बंद है। जब मैं अपने संसदीय क्षेत्र में जाता हूं तो नेटवर्क कमजोर होने के कारण मेरा मोबाइल फोन काम नहीं करता है। लाइन ठप पड़ी रहती है, मेरे घर का फोन बंद पड़ा रहता है। अधिकारियों से बात करने पर वे मैटेरियल के अभाव को कारण बताते हैं। राज्य सरकार ने जिलेवार टावर्स की कमी का सर्वे कराकर केन्द्र सरकार को भेजा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र में टावर की यह जो समस्या है, उसके लिए अपने अधिकारियों की टीम भेजकर सर्वे कराएं और उक्त समस्या के बारे में पेंडिंग प्रपोजल को जल्द से जल्द कार्यान्वित किया जाए।

[*]SHRI R. PARTHIPAN (THENI) Hon'ble Deputy Speaker Sir. Vanakkam. In Tamil Nadu, Jallikkattu (bull taming sport)-a sport of bravery, has been organised since time immemorial and from the time of origin of Tamil language. In the year 2013 under the direction of Hon'ble Supreme Court, Hon'ble Amma organised this event. This year the Hon'ble Supreme Court has banned it. In my Theni parliamentary constituency, Alanganallur is famous for this sport of bravery, Jallikkattu. The Government of Tamil Nadu organised Jallikattu so far in the State which was even attended by large number of foreign tourists. I urge upon this august House to pass a special legislation to ensure organising of this brave sport regularly in Tamil Nadu. Thank you.

SHRI RAHUL SHEWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL): I thank the hon. Deputy Speaker for allowing me to speak on an important issue of construction of coastal road in Mumbai.

It is well known that Mumbai has a beautiful coastal line and a large number of urban and rural population exist on the coastal line. There is a dire need to construct a modern coastal road along the bank of the Arabian Sea.

Sir, in this respect, the Municipal Corporation of Greater Mumbai has submitted a proposal to build a coastal road of 36 kilometres length. The coastal road involves reclamation in sea of about 9.8 kilometres and road length falling in mangroves is 8 kilometres. The CRZ Notification, 2011, does not allow coastal road by way of reclamation. MCZMA has already submitted this conceptual proposal of coastal road by reclamation in sea to the Ministry of Environment and Forests on 11th June, 2013, in order to amend the CRZ Notification, 2011 to accommodate construction of coastal roads by way of reclamation in sea. The proposal is pending for approval with the Ministry of Environment and Forests which needs to be expedited at the earliest. Sir, I would request the hon. Minister of Environment and Forests to make suitable amendment in the CRZ Notification, 2011, and pave the way for construction of coastal road in Mumbai.

[*] English translation of the speech originally delivered in Tamil.

19.00 hrs.

*KUMARI SHOBHA KHARANDLAJE (UDUPI CHIKKMAGALUR):Hon. Deputy Speaker, Sir, I wish to speak in Kannada language. Sir, I would like to draw the attention of the Union government about the increasing incidents of rape in Karnataka. During the last 8 to 10 months rape and sexual assaults were repeatedly committed in the state. Such incidents are taking place all over the country. However, the horrific and barbaric incidents of rape and sexual assaults on school girls and even on small kids reported from Bengaluru in the State of Karnataka made the civil society hangs its head in shame.

Hon. Deputy Speaker, Sir, the recent incident of sexual assault and death of Nandita, a school girl from Thirthahalli in Shivamogga district of Karnataka, took the Centre stage in the State. Nandita was abducted by 3 boys from Thirthalli and drove her to a nearby hill. She was forced to consume poison mixed with water and attempt was made to rape her. Somehow she managed to escape and took shelter in a nearby house. Later, she started vomiting. She was taken to a hospital at Thirthalli and then she was admitted in a hospital at Shivamogga. From there, she was shifted to Manipal Hospital, where she breathed her last. Before her death she told the doctors at the hospital that she was made to consume poison. There has been a huge protest from across the state to condemn this inhuman incident and urge the State Government to punish the culprits. But it did not yield any result. The State Government ordered a probe. Unfortunately attempts are being made to 'close' the case. State authorities gave a twist to the case saying that the girl had committed suicide. Physical assaults on Nandita's father and other family members was committed and the Grocery shop of the victim's father was also set on fire by miscreants.

Deputy Speaker, Sir, my submission to the Union Government is that there should be a CBI enquiry into the incident relating to brutal death of Nandita. Justice should be done to the victim and her family by the impartial investigation

* English translation of the Speech originally delivered in Kannada.

of CBI. The reality of this inhuman incident of sexual assault and death should be made known to the world.

Therefore, I strongly urge the Union Government to take immediate step to hand over the case to CBI.

Thank you.

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN (VADAKARA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you very much for giving me this opportunity. I wish to bring to the notice of this august House a very important issue, a burning issue, relating to the plight of more than ten lakh rubber growers in the State of Kerala and elsewhere. Rubber cultivators are in deep distress due to sharp fall in the price of natural rubber following the decision of the Government to allow indiscriminate import of rubber.

As you are aware, rubber cultivators across the country are mostly small and marginal. The present crisis has become a life and death issue for the cultivators. They do not know how to earn their livelihood in the present situation. The Government of India is maintaining a criminal silence in the matter. The Members of Parliament from Kerala, cutting across political affiliations, have represented the matter before the Government. We have, in fact, demonstrated before the Parliament. But all our efforts are in vain. The hon. Chief Minister of Kerala, Shri Oman Chandi, and a group of political leaders are coming to Delhi to apprise the Government of this matter.

Under the circumstances, it is my humble request to the hon. Minister that Government should declare its stand on import of rubber. I would also like to request the Government to ban indiscriminate import of rubber so that justice is ensured to the cultivators.

SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I would like to bring to the notice of the august House an important matter. An independent expert Committee should be formed to investigate the administration of educational loan interest subsidy. In response to my submission in the Lok

Sabha on 30th July, 2014 under Rule 377, the hon. Finance Minister has written that the banks have been advised not to insist on payment of interest when the students are eligible for interest subsidy on educational loan. He has also mentioned that the banks have been asked to follow the guidelines. But in reality we get a lot of complaints that the banks are forcing students to pay interest when they are eligible for interest subsidy. The poor students are forced to borrow money from all sources to repay the bank interest. The banks are creating only a small portion as eligible interest subsidy to the students. This defeats the very purpose of the scheme to provide educational loan to poor students with comparable repayment. We get reports that the SBI classifies the educational loans as NPA even within four to five months after the moratorium and refer to Lok Adalat. This is causing mental agony to young students. There seems to be a lot of mess in administering interest subsidy on educational loans. I would like to request the hon. Finance Minister to investigate the matter by forming a committee of independent experts.

Thank you.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ram Tahal Chowdhury -- Not present

Shri Prahlad Patel -- Not present

SHRI HEMANT TUKARAM GODSE (NASHIK): Sir, I thank you for giving me this opportunity. All over India there are 62 cantonments. In my Nashik Parliamentary constituency there is the Deolali cantonment which has a population of about 50,000 people. People living within the cantonment limit pay all types of Government taxes. People employed in jobs and businessmen pay income tax, service tax and other taxes. But there are no schemes to fulfil their basic necessities such as road, light, water, school, hospital and other facilities provided by either the State Government or the Central Government. All other local authorities, like the Gram Panchayat, Corporations are given schemes by the State Government and also the Central Government for their overall development. People living in the civil area within the cantonment limits are also facing

problems such as delay in cantonment code for making lease land into free hold land and old grant land into free hold. These issues are pending for many years. This policy decision is pending since 2012 in the Ministry of Defence.

In the civil area within the cantonment limit, FSI is 1.0 and out of civil area, FSI is 0.5. If FSI is at 0.5, the land cost becomes double and there is an additional construction cost incurred also. So, common man cannot afford this accommodation.

Hon. Deputy-Speaker, through you, I request the Ministry of Defence to implement the schemes for the overall development of cantonments which are under the State Governments and the Central Government as they are given to the local authorities for implementation. I also request to raise the FSI for land which is out of civil area from 0.5 to 1.0 so that accommodation for common people will become affordable.

Special attention should be given to resolve all cantonment code lease, lease land and old grant land cases throughout India at the earliest.

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): Sir, nowadays, all over the country, wild animals like elephants, cheetahs, tigers, etc. are moving out of forests towards villages and are also causing a lot of damage or loss to the property and the lives of people.

My constituency is basically a dry area. In my constituency, more than a dozen of elephants have entered and virtually have camped there. A few cheetahs have caused grievous and severe injuries to four to five innocent villagers. In one case in Mudukiri Taluk of my constituency, people have recorded as to how a wild bear is killing and eating an individual. So, deforestation is the main cause for these activities.

So, I urge upon the Government of India to see that these wild animals are more comfortable in the forests and to give more compensation to the injured people and the families of the deceased.

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Sir, I have got this opportunity while the hon. Minister, Shri Anant Gete is available in the House.

Today, the public sector undertakings like HMT, HMT Cables, Midani, Bharat Electronics, BHEL, Hindustan Aeronautics Ltd., Bharat Dynamics Ltd. and HMT Bearings have come up in Hyderabad for the last many years after we got Independence. For the last years, some of the units are not doing well. Particularly regarding HMT and HMT Bearings, there is a talk that they are going to be closed.

I would like the Government to take it up as early as possible to see that Hyderabad flourishes which is now the capital of the new State of Telangana. These public sector undertakings should be saved.

HCL is a company which is going to be taken over by Ordnance Factory. I request the Government to take it up as early as possible.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सीसीएल और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत जो आउटसोर्सिंग का वर्क चल रहा है, उसमें नियम कानून को ताक पर रख कर माइनिंग एक्ट को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है और न ही लोगों को मुआवजा मिला है। जिन लोगों की जमीन ली गई है, उन्हें नौकरी भी नहीं मिली है। इसके साथ-साथ बहुत हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे कि गरीब लोगों के घर गिर रहे हैं। सीसीएल और बीसीसीएल में जो आउटसोर्सिंग का काम चल रहा है, खास कर हमारे क्षेत्र में बीएनके कठारा में, ढोड़ी क्षेत्र में और बीसीसीएल का ब्लाक-1 से लेकर एरिया-6 तक में, यहां लोगों को काफी कष्ट हो रहा है। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि इस बारे में जांच बिठाई जाए, ताकि वहां के लोगों को इसका लाभ मिल सके।

[*]SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL) Hon'ble Deputy Speaker Sir. *Vanakkam. "Kedil Vizhuch Selvam Kalvi Oruvarku Maadalla Matrai Yavai".* "Learning is the imperishable wealth that none can destroy; To men nothing else affords real joy", says Thirukkural written by Saint Thiruvalluvar. Peace, Progress and Prosperity for human upliftment, Puratchithalaivi Amma's words of wisdom. Hon'ble Deputy Speaker Sir, This is Thirukkural. I think you know very well about this literary masterpiece. This literary work has 1330 couplets spread in 133 chapters and in three major divisions like Virtue, Wealth and Love. All aspects of the entire universe are covered in its 42,194 words of lofty wisdom. Thirukkural has been translated into several languages of the world. Very well knowing the importance of this great literary work Thirukkural, People's former Chief Minister Hon'ble Puratchithalaivi Amma had written a letter to the then Hon'ble Prime Minister Dr. Manmohan Singh on 16.9.2004 for declaring Thirukkural as the national scripture. A resolution in this regard was also passed unanimously in Tamil Nadu Legislative Assembly on 13.4.2005. If Thirukkural is declared as a national scripture it would be a national pride. The great literary work would help in strengthening the unity of the country transcending all barriers of caste, religion, creed, etc. This universal literary masterpiece should be declared as the national scripture as demanded by People's former Chief Minister Hon'ble Puratchithalaivi Amma. I also request the Hon'ble Deputy Speaker to make his endeavours to achieve this goal. Thank you.

[*] English translation of the speech originally delivered in Tamil.

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) : माननीय उपाध्यक्ष जी. एक अति संवेदनशील मुद्दा सदन में उठाने की अनुमति आपने मुझे दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दिनांक 16-12-2014 को प्रकाशित 'हिन्दी दैनिक' समाचार पत्र बिहार में प्रकाशित हुआ था। बिहार सरकार के खुफिया विभाग के हवाले से छपी खबर में खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि सीवान जेल में बंद पूर्व सांसद द्वारा अपने समर्थकों के बीच गुप्त रूप से 23 व्यक्तियों की सूची जारी की गई जिनकी हत्या करनी है। सूची के अनुसार सीवान में तेजाब कांड के चश्मदीद गवाह राजीव रोशन और मेरे प्रेस प्रवक्ता श्रीकांत भारती की हत्या कर दी गई है। सीवान की स्थिति बहुत ही दयनीय है। कभी भी मेरी भी हत्या की जा सकती है। मेरे पचास से अधिक समर्थकों की हत्या पूर्व सांसद के गुंडों द्वारा की गई। आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि पूर्व सांसद जो सीवान जेल में बंद हैं, उनको भागलपुर केन्द्रीय कारागार में भेजा जाए और पूर्व में जो हमारे प्रेस प्रवक्ता की हत्या की गई है, उसकी जांच सी.बी.आई. से कराई जाए, ऐसा मेरा सरकार से अनुरोध है। धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: This is a State subject. This cannot be taken up here.

Shri Balbhadra Majhi – not present.

Shri Ashwini Kumar Choubey is allowed to associate with the matter raised by Shri Om Prakash Yadav.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, बिहार के गोपालगंज जिले के अन्तर्गत बैकुण्ठपुर थाना-क्षेत्र के चमनपुरा गांव के महाभारत कालीन प्राचीन मंदिर से चोरी हुई दुर्लभ नीलम पत्थर से निर्मित भगवान विष्णु की पुरातन चतुर्भुजी मूर्ति जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की है, उक्त मूर्ति के दर्शन-पूजन हेतु करोड़ों श्रद्धालु भक्तिभाव से तीर्थाटन हेतु दूर-दूर से आते हैं। इससे तीर्थाटन-पर्यटन पर भी कुप्रभाव पड़ रहा है।

देश के कई राज्यों में बहुमूल्य मूर्ति की चोरी की कई घटनाएं विगत वर्षों से सुर्खियों में हो रही हैं जिसमें एक साजिश के तहत राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह काफी सक्रिय है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इन कीमती मूर्तियों को बेचा जाता है।

उक्त काण्ड संख्या 209/11 (बैकुण्ठपुर थाना) के अनुसंधान को स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से वहां के शासन-प्रशासन के दबाव में आकर डी.एस.पी. के दूरभाष आदेश पर थाना द्वारा

अनुसंधान को बंद कर दिया गया है। इससे सम्पूर्ण क्षेत्र में तनाव एवं जनाक्रोष व्याप्त है। राज्य सरकार ऐसे मामलों में पूर्णत: निष्क्रिय एवं विफल रही है।

अतएव जनभावनाओं को देखते हुए केन्द्र सरकार से उपरोक्त कांड की उच्चस्तरीय जांच सीबीआई से कराने का आग्रह करता हूं जिससे उल्लेखित विशिष्ट मूर्ति जो एक राष्ट्रीय धरोहर है, की बरामदगी हो सके एवं सफेदपोश लोगों का मुखौटा सामने आ सके।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Deputy-Speaker, Sir, thank you. I would like to invite the attention of the Government, through you, towards the dilemma of the people belonging to the forward communities who are economically backward and are living below the poverty line.

In Kerala, the social service organisations like the century-old Nair Service Society and similar other organisations are demanding welfare schemes for the poor people of forward communities. In order to tide over the difficult situation of the poor people from the forward communities, we have to ensure that they get equal opportunities in education and employment.

For finding a solution to the problem, the UPA Government has set up a Commission to study the problems of the forward communities, under the chairmanship of Justice Singhu and the Report is with the Government now. The recommendations of the Justice Singhu Commission may be considered and implemented at the earliest.

A Corporation for the development of Forward Communities may be set up on the lines of the Corporation for the Development of Forward Communities established by Government of Kerala at the national level.… (*Interruptions*)

Through the said Corporation, several developmental schemes like educational scholarships, fellowships, education loans, vocational training, self-employment programmes, grants, assistance for marriages, etc. can be implemented. This will be a great support to the economically poor people belonging to forward communities.

SHRI V. ELUMALAI (ARANI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minster of Railways to the need to expedite the new railway line from Tindivanam to Nagari involving a distance of 180 kms. linking Vandavasi, Cheyyar, Arani, Arcot, Ranipet, Pallipattu which was announced in 2006-2007 as follows; “A new railway line will be laid and it will connect Tindivanam, Vandavasi, Arani, Cheyyar, Arcot…” Though about several years have elapsed, yet there is very little progress.

In a meeting organized by the General Manger of Southern Railway in Tiruchirappalli which was attended by some Members of Parliament, I asked about the ongoing project of the new railway line from Tindivanam to Nagari, Tindivanam to Thiruvannamalai. He stated that it would take about 80 years.

I, therefore, urge upon the hon. Minister of Railways to pay special attention to this ongoing project, allot sufficient funds and expedite the same. Thank you.

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र का एक गंभीर विषय जीरो ऑवर में सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। महाराष्ट्र में सूखा और अतिवृष्टि के कारण किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, जिसके कारण किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याएं भी बड़े पैमाने पर चालू हैं। केन्द्रीय समिति वहां जाकर इन सबका जायजा लेकर आई है। आज ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से सूचना मांगी है कि किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं को रोकने के लिए सरकार के माध्यम से क्या हो रहा है? जो थोड़ा बहुत अनाज किसानों ने निकाला है, वह अनाज भी कम दामों में बिक रहा है। किसान का धान पांच सौ रुपये कम दाम में बिक रहा है।

मेरी सरकार से मांग है कि समर्थन मूल्य पांच हजार रुपये क्विंटल करना चाहिए, लेकिन जो सूखा महाराष्ट्र में पड़ा है, जिसके कारण किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उसके लिए तुरंत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रीय आपदा घोषित करके वहां के किसानों की मदद करनी चाहिए। यह मांग मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से करता हूं।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): उपाध्यक्ष महोदय, बजट 2014 में माननीय वित्त मंत्री जी ने देश के विभिन्न शहरों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैन्ट खोलने का प्रस्ताव किया था, जिसमें महाराष्ट्र का भी नाम शामिल हैं।

महोदय, पूरे देश में पुणे शहर को एजूकेशन हब के नाम से जाना जाता है। वैसे पूना-पिंपरी चिंचवड शहर एक ही माना जाता है। यह शहर महाराष्ट्र राज्य के पुणे महानगर क्षेत्र में से एक है। जो कि पुणे के ट्विन सिटी के रूप में माना जाता है। पिंपरी-चिंचवड में विभिन्न आटोमोबाइल कंपनियों, औद्योगिक कंपनियों के अतिरिक्त सभी जानी मानी आई.टी. कंपनियां भी हैं। पिंपरी-चिंचवड एशिया के मेजर इंडस्ट्रियल हब में से एक है। जबकि इसी एरिया में 200 एकड़ में इंडस्ट्रियल कन्वेंशन सैंटर बनने जा रहा है। पिंपरी-चिंचवड न्यू टाउनशिप डैवलपमैन्ट अथारिटी, जो कि महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत है, इस संस्था के पास सैक्टर 12 में 125 एकड़ जमीन उपलब्ध है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से पिंपरी-चिंचवड शहर में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमैन्ट बनाये जाने की मांग करता हूं।

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I would thank you for giving me this opportunity and for the patient hearing even at 7.20 p.m. It is a very important issue. So, please give one more minute to me

Sir, our State is a newly-born State. There is only one State in this country which has no capital, no international airport and no railway zone. So, a separate railway zone is a longstanding request. Right now, there are four divisions in our State: Vijayawada, Guntur, Guntakal and Visakhapatnam. Waltair Division is rightly a part of the East Coast Railway Division. So, there is a lot of discrimination meted out to our Waltair Division. But income-wise, we are earning a sum of Rs.7000 crore *per annum.* But, unfortunately, the facilities and the issues are very high in our division. That is why, I would request the hon. Minister to separate our Division from the East Coast Division and form a new, separate railway zone. Already, it was provided in the Andhra Pradesh Reorganistion Act. It is not only that.… (*Interruptions*) We gave a lot of infrastructure in Visakhapatnam like rail connectivity, road connectivity and buildings. There is no financial involvement in this. So, I request the Government of India to give a separate railway zone to our new State.

श्री मोहम्मद असरारुल हक (किशनगंज) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरा क्षेत्र किशनगंज, बिहार हिमालय के दामन में है। वहां का एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। मेरा क्षेत्र हिमालय के दामन में है, वहां नदियों का जाल बिछा हुआ है। वहां सात बड़ी नदियां हैं, जिसमें हर साल बहुत बाढ़ आती है और दर्जनों गांव और हज़ारों एकड़ खेती की जमीन जल में विलीन हो जाती है, जिससे वहां गरीबी बढ़ रही है। पिछली लोक सभा में भी हमने इस मसले को उठाया था और उस वक्त यूपीए सरकार ने वहां पर बांध बांधने के लिए महानंदा सब बेसिन स्कीम के नाम से एक प्रोजेक्ट मंज़ूर किया था। उसका सर्वे भी मुकम्मल हो चुका है। लेकिन तब तक इलैक्शन आ गए थे। अभी तक उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मुतालबा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उस स्कीम पर काम शुरू किया जाए।

श्रीमती प्रियंका सिंह रावत (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरे संसदीय क्षेत्र बाराबंकी में उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था अत्यंत खराब है। प्रदेश सरकार की लचर कार्य प्रणाली के चलते बराबंकी जनपद की विद्युत व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। विद्युत व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अनेकों बार धरना प्रदर्शन किए गए तथा ज्ञापन के माध्यम से जनपद की विद्युत समस्या में सुधार लाने हेतु अनुरोध किया गया। परंतु समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। निकट भविष्य में इस समस्या के सुधार की कोई संभावना भी नहीं दिखाई पड़ रही है, जिससे क्षेत्र की जनता, कृषकों एवं व्यापारियों को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत आपूर्ति जीर्ण-क्षीर्ण होने के कारण क्षेत्र में अराजकता, चोरी, डकैती तथा हत्या जैसे कृतियों को बढ़ावा मिल रहा है। इस समस्या के निराकरण के लिए जनपद में वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम से जनमानस को राहत दिलाए जाने की आवश्यकता है। अतः आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि जनपद बाराबंकी में अक्षय ऊर्जा लगाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है।

SHRI S. SELVAKUMARA CHINNAYAN (ERODE): Hon. Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to raise a matter of urgent public importance.

Through you, I would like to draw the attention of the hon. Minister of Road Transport and Highways regarding development of two important roads in my constituency. The two State Highway Roads from Perundurai to Kangayam and Tiruppur to Kangayam in Tiruppur District of Tamil Nadu are important link

roads leading to NH 47 and NH 67 respectively. Kangayam is famous for producing coconut oil and there are many rice mills in and around Kangayam. Tiruppur town is famous for hosieries and knitting industry which exports to many countries in the world. Chennimalai is also another important textile town near Kangayam. So there is a lot of traffic congestion on these two roads. At present the width of both these roads is only 7 metres. Both these roads need to be widened to 14 metres immediately to meet the ever increasing traffic.

Hence, I urge upon the hon. Minister of Road Transport and Highways to immediately allocate sufficient funds under Central Road Fund for widening of these two roads.

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): Sir, thank you very much for giving me time to speak on untimely rain and its impact in my constituency, Koppal, and in Sindhanoor, Raichur and Bellary and nearby areas. Koppal and nearby areas have witnessed heavy rainfall for the last one week. Almost four lakh acres and 10 lakh tonnes of paddy have been affected due to the untimely rain. Variety which is mostly getting affected is `Sona Massori', which is considered as the best quality of paddy. Farmers who grow paddy in these areas mostly depend on its production. Untimely rain is ruining the crops. Lakhs of farmers are facing livelihood problem due to untimely rain which has come at the time of harvesting.

Therefore, I would like to demand from the Government of India to provide compensation to the farmers and increase the minimum support price of paddy from Rs.1360 to Rs.1600.

DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity regarding Nabakalebar festival.

Sir, as you know, Puri is a holy city and is among the four Dhams in India. Nabakelebar festival is going to be held in 2015. This is a festival which is celebrated once in 15 years when the deities assume new forms. The Government of Odisha, under the dynamic leadership of hon. Chief Minister Shri Naveen

Patnaik, is gearing up for this momentous occasion. A number of projects are being undertaken for the infrastructure development and strengthening of existing services and amenities such as provision of drinking water, sanitation, health, augmentation of road network etc. More than 50 lakh pilgrims and tourists from different parts of the country and also from outside the country are expected to converge in Puri during this important festival. A proposal seeking special financial assistance of Rs. 1,397 crore for undertaking these developmental works has been submitted by the Government of Odisha.

So, I urge upon the Union Government to sanction the required funds for early implementation of the projects so that the Nabakalebar festival can be held smoothly.

*SHRIMATI V. SATHYABAMA (TIRUPPUR) Hon'ble Deputy Speaker Sir. Thank you for this opportunity. Tiruppur produces 90% of the garment production of the country. Due to hard work of the people of Tiruppur, at present the country earns a revenue of Rs.18,000/- Crore of foreign exchange in a year through exports. Industrial workers get Provident Fund, ESI and other facilities provided by companies. Workers having ESI facilities have to go to Coimbatore which is at a distance of 75 kilometres for availing medical assistance. Around 6 lakh workers face hardships for getting medical assistance and in view of that I urge upon the Union government to immediately set up a multi-speciality ESI hospital in Tiruppur. People's Chief Minister of Tamil Nadu and beloved leader Hon'ble Puratchithalaivi Amma, through the Tamil Nadu Religious Endowment Department has provided adequate land for this purpose. I therefore urge upon the Union Government, on behalf of working class, to immediately set up a 100-bedded multi-speciality ESI hospital in Tiruppur and order for allocation of adequate funds. Thank you.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 19th December, 2014 at 11.00 a.m.

19.27 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 19, 2014/Agrahayana 28, 1936 (Saka).

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.